राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम सत्र, १९६५ का ५०वां दिवस [संख्या ३७

बुधवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, सार्वजनिक निर्माण, वन, आबकारी, पंचायत, राजकीय उद्योग, विकास व सहकारी विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ८६७

श्रीमती सुमित्रा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८६८

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

गांव पालका, तहसील गंगरार में हुए किसान सम्मेलन में दिया गया स्मृति-पत्र

८६६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गांव पालका, तहसील गंगरार में जंगलात सम्बन्धी विषयों को लेकर ता० २८–५–६३ को एक किसान सम्मेलन हुआ और उसमें वन मंत्री भी उपस्थित थे ?

(२) क्या यह सही है कि लगभग ५१ गांवों के किसानों ने एक स्मृति-पत्र वन मंत्री को दिया और उन्होंने उसकी जांच डी० एफ० ओ० से कराई ? अगर हां, तो उसका क्या निर्णय रहा ?

(३) क्या जांच के पश्चात् स्मृति-पत्र पर निर्णय दिया जा चुका है ? अगर हां तो कब और नहीं तो क्यों ?

Page No 2

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

(४) स्मृति-पत्र की जांच में कुल कितने किसानों के बयान हो चुके हैं और अब क्या कार्यवाही बकाया है ?

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) यह तो कहना कठिन है कि कितने गांवों के किसानों ने स्मृति-पत्र वन मंत्री जी को दिया था किन्तु स्मृति-पत्र अवश्य प्रस्तुत किया गया था और उसकी जांच डिविजनल वन अधिकारी ने की थी । स्मृति पत्र में मुख्यतः १२ शिकायतों का उल्लेख था । उनकी जांच कराने पर जो निष्कर्ष निकले उनका विवरण संलग्न है ।

(३) जो शिकायतें सही नहीं पाई गई उन पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी । शिकायत सं० १ व ६ में जिन कर्मचारियों की गलती या असावधानी पाई गई उन्हें दन्ड दिया जा चुका है । शिकायत सं० १० की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हो पाई है ।

(४) स्मृति-पत्र की जांच में कई काश्तकारों के बयान लिये गये हैं । अब केवल शिकायत स० १० के सम्बन्ध में एक ही गवाह का बयान लेना बाकी है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : उसमें अवैध कटाई हुई थी उसके बारे में क्या निर्णय लिया है ? कम से कम ६० एकड़ जंगल की अवैध कटाई की है चित्तौड़ रेन्जर में उसमें क्या रहा ?

श्री दिनेशराय डांगी : शिकायत का कौन सा नम्बर है ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यह स्मृति-पत्र दिया गया उसमें चित्तौड़गढ़ के रेन्जर के खिलाफ ६०० एकड़ अवैध कटाई कराने के सिलसिले में क्या निर्णय रहा ?

श्री दिनेशराय डांगी : उसका हवाला नहीं है । अलग से आपने दे रखा है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : इस प्रश्न में नहीं स्मृति-पत्र में है ।

श्री दिनेशराय डांगी : आपकी १२ शिकायतों की अलग उत्तर दिया हुआ है ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कुछ उत्तर नहीं है । वहां पर ६०० एकड़ जंगल में एक लाख का नुकसान हुआ है ।

श्री दिनेशराय डांगी : इस प्रकार की बात की अलग से जांच करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन ।

बारां की शराब की दुकान

६००. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बारां मोटर स्टैण्ड व रेल्वे स्टेशन के पास शराब की दुकान है ?

(२) यदि हां, तो वहां किस नियम के आधार पर दुकान खोली गई ?

(श्री दयाचन्द सोन)

(३) क्या यह सच है कि इसकी शिकायत वहां के दुकानदारों ने की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी हां।

(२) असिस्टेंट कमिश्नर, एक्साइज की आज्ञा से नियमानुसार खोली गई है।

(३) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : दुकान खोलने का आधार क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : किस बात का आधार ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कुछ नियम तो होंगे कि इस एरिया में ऐसा हो ?

श्री बालकृष्ण कौल : कोई आधार नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एटरेण्डम खोल रखी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : हां।

श्री दयाचन्द सोन : वहां कुल कितने ठेके हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न अलग है।

श्री दयाचन्द सोन : कितनी जगह वहां पर शराब बिकती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न अलग है।

श्री दयाचन्द सोन : क्यों है ?

श्री बालकृष्ण कौल : क्यों का कोई जवाब नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार शराब की दुकान किस किस स्थान पर खोली जाय, किन किन जगहों पर मुमानियत की जाय—इस सम्बन्ध में विचार करने का विचार कर रही है ?

श्री बालकृष्ण कौल : रूल अभी हैं उनके आधार पर ही जिन जगहों पर नहीं खोली जानी चाहिये वहां नहीं खोली जाती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई - नियम तो कोई नहीं है, आपने कहा।

श्री बालकृष्ण कौल : जहां नहीं खोली जानी चाहिये वह नियम है, आपका ७५ राजस्थान एक्साइज रूल १९५६। उसमें जिस जगह नहीं खोली जानी चाहिए वह है—स्कूल के नजदीक अस्पताल के नजदीक या प्लेसेज ऑफ वर्शिप के नजदीक, दूसरे जहां टैक्सटाइल मिल है उसके नजदीक नहीं खोली जानी चाहिए। यह दो-तीन हैं बाकी नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : इस ठेके पर शराब बिकती है वहां पर इन्सपेक्टर वगैरह ने जांच की है और आप कहते हैं कि इस प्रकार की शिकायत करेंगे तो जांच की जायगी।

Page No 4

श्री बालकृष्ण कौल : शिकायत नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : मैं कह रहा हूं और आप शिकायत नहीं है, कहते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आपके जोर से बोलने पर जवाब दूसरा नहीं दूंगा। आप कायदे से सवाल कीजिये और कायदे से सवाल का जवाब दिया जायेगा। बर्दाश्त कीजिये उत्तर को।

श्री दयाचन्द सोन : ६ महीने के बाद तो सवाल आता है। रात-दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आप दो रुपये की बोतल देते हैं और वहां ८) रुपये की बोतल बिकती है। एक ही आदमी को गारन्टी दे दी और वह मनमाने रेट से लूट खसोट करता है। पानी मिलाकर बेचता है। शिकायत करते हैं तो इन्सपेक्टर सुनता नहीं है। आप कहते हैं कि यह कानून ऐसा है। आप दूसरी जगह दुकान खुलवाइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ऐसी पब्लिक प्लेसेज, जहां लोग-बाग आते जाते रहते हैं, में लोगों पर बुरा असर पड़ता है तो ऐसे स्थानों पर शराब की दुकान बन्द करें।

श्री दयाचन्द सोन : इसका जवाब मिलना चाहिये। वहां पर बस स्टेन्ड के पास है, स्टेशन के पास है।

श्री बालकृष्ण कौल : जो इस वक्त नियम है उनके अनुसार जवाब दे दिये। माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं कि ऐसी ऐसी जगह नहीं खोला जाय, उसके बारे में सरकार सोचेगी, इस संदर्भ में सोचेगी कि इससे सरकार के रेवेन्यू पर क्या असर पड़ता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न विधान सभा में कई बार आ चुका है, कई बार निवेदन किया है कि जहां से अधिक लोग गुजरते हैं, जहां पर लोग फेमिलीज़ के साथ रहते हैं ऐसे स्थानों से दूर ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : प्रश्न यह नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह नया सवाल नहीं है, कई बार यह प्रश्न यहां लाया गया है, कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, निवेदन किया गया है कि पब्लिक प्लेसेज पर शराब की दुकान हो।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मैं आपके द्वारा विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि क्या वे विचार करेंगे कि जहां पर आम रास्ता है, चौराहा है या घरों के सामने जहां पर कुछ देर के लिये सायंकाल मजदूर आकर अपने परिवार के साथ बैठते हैं ऐसी जगह नहीं होनी चाहिये ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसके बारे में मैं जवाब दे चुका हूं, इस कन्टेक्सट में सोच लेंगे कि इससे सरकार की रेवेन्यू पर असर तो नहीं पड़ता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा। पीने वाले तो दूर जाकर भी ले लेंगे।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : प्रश्न यह है कि आपने कहा जवाब दे चुका हूँ ऐसे मंदिर के पास नहीं खोलना चाहिये, स्कूल के पास नहीं खोलना चाहिये। यह तो आपके कानून में है लेकिन इसके अलावा हमारा यह निवेदन है और ऐसी कई शिकायतें भी आई हैं कि जहां पर आम रास्ता है, चौराहा है, पास में लोगों के घर हैं ऐसी जगह खोलने से घर के बच्चों और औरतों के पास बुरा बर्ताव हुआ है। मैंने स्वयं ने शिकायत की है ऐसी जगह नहीं खोलना चाहिये।

श्री दयाचन्द सोन : मेरे ख्याल से मंत्री महोदय ढोलक बजा कर शराब की बोतल हाथ में लेकर बेचना चाहते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह आपकी भविष्यवाणी है।

श्री जोधसिंह चौहान : आपने यह क्या प्रोपेगन्डा कर रखा है-एक तरफ तो कांग्रेस वाले कहते हैं शराब बन्द करो और आप बढ़ावा देना चाहते हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जब पुलिस आॅथोरिटीज के द्वारा इस प्रकार की दुकानों, जो पब्लिक प्लेसेज पर हैं, रोकने के सम्बन्ध में स्टेप्स उठाये गये थे तो आपके विभाग द्वारा आदेश दिया गया कि इनको डिस्टर्ब न किया जाय क्यों कि यदि डिस्टर्ब किया जायगा तो सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इस वक्त इस बारे में नहीं कह सकता। आप प्रश्न पूछिये मैं इन्क्वायरी करके बताऊंगा कि किसने रोका, क्यों रोका, रोकने का अधिकार था या नहीं ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : ऐसी जगह के लिये सरकार आगे के लिये क्या विचार रखती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसी चीज का, जिसका असर हमारे रिसोर्सेज पर पड़े, मैं प्रश्न पर जवाब तो नहीं दे सकता।

सड़क निर्माण कार्य तथा सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

६०१. श्री मोहरसिंह राठोड : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दूधवाखारा से दूधवाखारा स्टेशन की सड़क का निर्माण कब किया गया ? इसके निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ ?

(२) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि दी गई ? यदि नहीं दिया गया तो, अब कब तक दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस सड़क का निर्माण १६५४-५५ में किया गया था। निर्माण पर १,३४,८७४ रु० व्यय हुआ है।

(२) जी नहीं। राजस्व विभाग से अवार्ड आने पर।

श्री मोहरसिंह राठोड : अवार्ड के

Page No 6

(श्री मोहरसिंह राठोड़)

लिये कब लिखा गया था ? आज तक नहीं लिखा गया इसलिये अवार्ड का प्रश्न ही नहीं उठता। अवार्ड के लिये कब लिखा गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : डेट नहीं है।

श्री मोहरसिंह राठोड : लिखा ही नही गया। आपने गलत जानकारी दी है।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर गलत जानकारी दी है तो मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा।

पंचायत समिति सपोटरा के प्रधान के विरुद्ध अनियमितता की जांच

६०२. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समिति सपोटरा के प्रधान के खिलाफ अनियमित कार्यवाही के संबंध में जो जांच हो रही थी उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां तो रिपोर्ट के आधार पर प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, ग्रामोद्योग (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां। जांच से कोई अनियमितताएं प्रमाणित न होने से कार्यवाही का प्रश्न नही उठता।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मंत्रीजी ने जो जानकारी दी है यह बिल्कुल गलत है। तीन बार इन्क्वायरी हुई है। मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है उसकी कॉपी मैं पेश कर सकता हूं। मंत्रीजी ने गत वर्ष भी आश्वासन दिया था कि जांच करवाई जायगी। उसने अपने रिश्तेदारों को तकावी दिलवाई पर उससे काम नहीं हुआ है। कुए के लिए तकावी दी वे कुए नहीं बने हैं, बांध के लिये दी; बांध नहीं बना। प्रधान भी अब हट गया है। सन् ६२ में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, सन् ६३ में नहीं की, ६४ में नहीं की और आज सन् ६५ है और मंत्रीजी बता रहे हैं कि कोई अनियमितताएं नहीं हैं। ऑडिट रिपोर्ट से जाहिर है कि अनियमितताएं हुई हैं या तो वह रिपोर्ट गलत है या मंत्रीजी गलत कह रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : तकावी तकावी समिति द्वारा स्वीकृत होने पर दी गई है और जिनको तकावी दी गई है उनमें से कोई उनका नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। एस. डी. ओ. करौली ने जांच करने के बाद तय पाया कि उसने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपने बताया कि किसी नजदीकी रिश्तेदार को नहीं दी। उसकी धर्मपत्नी जो जयपुर में रहती है वह नजदीकी रिश्तेदार है या दूर की ?

श्री दिनेशराय डांगी : धर्म पत्नी का मुझे पता नहीं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : उनकी धर्म पत्नी को दी गई इसके अलावा तीन औरों को दी गई जो उसके नजदीकी रिश्तेदार हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे जो जानकारी दी गई है उससे पता चलता है कि

(श्री दिनेशराय डांगी)

उनके लिए दूर के रिश्तेदार को स्थाई समिति के द्वारा ८३००) की तकाबी दी गई थी।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : प्रतापचन्द उसका चाचा है और उसका लड़का गोविन्दचन्द जो ८ साल का है-उन दोनों को दी गई एक ही घर में बाप और बेटे को तकाबी दी गई।

श्री दिनेशराय डांगी : दोनों ही खातेदार हैं और हर खातेदार ले सकता है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : प्रतापचन्द को दी गई है और उसके ८ साल के बच्चे को दी गई। बाप बेटे दोनों को तकाबी नियमों के विरूद्ध दी गई है और जिस काम के लिए दी गई वह काम भी नहीं हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सम्बन्ध में जांच सरकार ने कब और किस किस अधिकारी से करवाई ?

श्री दिनेशराय डांगी : एस. डी. ओ. करोली के द्वारा जांच करवाई।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मेरे पास जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसको गलत माना जाय या मंत्रीजी को गलत माना जाय ?

श्री दिनेशराय डांगी : मुझे पता नहीं। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसको सहकारी रिपोर्ट मानता हूँ।

प्रश्न संख्या ६३०

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पीने के पानी की व्यवस्था

६०४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़, पंचायत समिति क्षेत्र प्रतापगढ़ और अचनारा के पहाड़ी एरिया के गांव वालों को पीने के लिये एक एक-दो दो मील दूर से पानी लाना पड़ता है और वह भी खड्डों का गंदा पानी होता है जिसमें जंगली जानवर व मवेशी आदि पानी पीते हैं ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं जिनको पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? क्या सम्बन्धित पंचायत समितियों ने उन गांवों में सार्वजनिक कुए खुदवा कर उनकी मुसीबत को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) यह सही है कि पीने के पानी की असुविधा है।

(२) दोनों पंचायत समितियों में लगभग २४२ गांवों में पीने के पानी की असुविधा है। इन गांवों को ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है।

श्री हरलाल मीणा : कितने गांव हैं ?

Page No 8

श्री दिनेशराय डांगी : २४२ दोनों पंचायत समितियों के मिला कर।

प्रश्न संख्या ६०५

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री स्वरूपसिंह।

जोधपुर तहसील के कच्चे बांधों की मरम्मत

श्री स्वरूपसिंह (लूनी) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील के करवड, जांजीवाल गहलोत, लोरड़ी पंडितजी, जाजीवाल कला, नारांकी ढानी, केरू के स्थानों पर जो कच्चे बांध बने हुये थे वे फूट गये हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

(३) यदि हां, तो कब से काम शुरू कर दिया जावेगा ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, छोटी सिंचाई योजना (श्री दिनेशराय डांगी) : काफी कोशिश करने पर भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए समय चाहता हूँ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अब समय कौनसा होगा, हाउस तो खत्म होने जा रहा है।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य चाहेंगे तो अलग से उत्तर लिख कर भेज दूंगा।

श्री दलपतसिंह : बाद का किस को पता है।

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स के प्रमोशन्स

६०७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सहकारी विभाग के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के लिए पी० एस० सी० व विभागीय तरक्की समिति से एप्रूव होना आवश्यक है ?

(२) क्या यह सत्य है कि कई असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स को बिना एप्रूवल के प्रमोट कर डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मन्त्री सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां। प्रशासनिक कारणों से फिलहाल पदोन्नति की गई है। ऐसे सहायक रजिस्ट्रार जिन्हें उप रजिस्ट्रार बनाया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ५६ असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स का

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सलेक्शन पी० एस० सी० द्वारा किया गया था ?

श्री भीमसिंह : यह सही है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सिलेक्शन के लिये १२ असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की पोस्ट की रिकमन्डेशन सरकार ने भेजी थी ?

श्री भीमसिंह : जी हां ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पी० एस० सी० ने सिलेक्शन करके जो लिस्ट भेजी थी सरकार ने उस लिस्ट को अब तक आउट नहीं किया है ?

श्री भीमसिंह : जी हां । उसमें बहुत सी कमियां थीं । सिलेक्शन में जो तथ्य इन्क्ल्यूड होने चाहिये थे वे नहीं हुए इसलिए वापिस रेफर किया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पी० एस० सी० के सिलेक्शन के बाद किन नियमों के अन्तर्गत वापिस इस रिपोर्ट को भेजा गया ?

सहकारी मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : पब्लिक सर्विस कमीशन का सलेक्शन तो सरकार के सामने सलाह के रूप में आता है । जो बेसिक क्वालिफिकेशन्स पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट करके प्रेस्क्राइब की थी उनके आधार पर चुनाव न होने के कारण और जो चुने हुए आदमी थे वह बेसिक क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते थे-इस कारण राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन का ध्यान आकर्षित किया कि आपके द्वारा जिन व्यक्तियों का चुनाव हुआ, उनके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब थीं, वह उनमें नहीं है इसलिए पुर्नविचार करें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने १९५९ से लेकर आज तक दुबारा फिर कभी सलेक्शन को किये जाने के बारे में नहीं लिखा ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार ने कई बार लिख दिया, अन्त में पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिस्ट विद्ड्रा कर ली, वह मान गई सरकार की बात, जो हमने कहा था वह मान लिया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सवाल नहीं है, १९५९ के अन्दर सलेक्शन जिन पोस्ट्स का हुआ उनके बाद में सरकार ने इन पोस्ट्स के लिए क्या पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है कि इनके लिए एड-वर्टाइजमेंट करके सलेक्शन किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : जो विद्ड्रा की है १२ आदमियों की लिस्ट उसके बाद में सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है और पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार के बीच में खतो किताबत चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करके रिक्वीजीशन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझा नहीं आपका प्रश्न !

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करने के लिए रिक्वीजीशन भेजा है ?

श्री मथुरादास माथुर : भेजा है, मना कब किया है।

श्री भैरोंसिंह : १६५६ के बाद में अब ?

श्री मथुरादास माथुर : अब राज्य सरकार की तरफ से क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करके, रूल्स में तरमीम करने के लिए जो प्रावधान है वह पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा है । पब्लिक सर्विस कमीशन के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : आपने रूल्स की बात कही। वह मैं नहीं पूछ रहा हूं । मैंने पूछा है कि इन पोस्ट्स के लिए रिक्वीजीशन भेजा है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : पोस्ट्स का रिक्वीजीशन, याद नहीं; भेजा या नहीं। यह मुझे याद है कि पांच चार महीने हुए उनका जवाब आया, उन्होंने पहले वाले सलेक्शन को विद्ड्रा कर लिया है । उसके बाद में इन आदमियों को, जो इतने साल से काम कर रहे हैं, बारे में रूल्स के हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन और हमारे बीच में खतो किताबत चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सीनियर पोस्ट के लिए सरकार ने एक प्रमोशन कमेटी का गठन कर रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : हां ! हां ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कमेटी की बिना एप्रूवल के कमेटी की बिना रिकमन्डेशन के सीनिअर पोस्ट पर किसी का अपाइन्टमेंट नहीं हो सकता ?

श्री मथुरादास माथुर : वह रूल्स में साफ है कि जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं वह डिप्टी रजिस्ट्रार प्रमोशन से भी होते हैं और उस पद पर डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। दोनों तरीकों को काम में लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बिना रिकमन्डेशन के किसी सीनियर पोस्ट के ऊपर नियुक्ति की जा सकती है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : टेम्प्रेरिली, की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : ऐं !

श्री मथुरादास माथुर : की जा सकती है टेम्प्रेरिली, ऑफिशियेटिंग की जा सकती है जब तक वह नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल्स में जो प्रावधान है, उन रूल्स में बिल्कुल इसके विपरीत व्यवस्था है कि बिना कमेटी की रिकमन्डेशन के इस प्रकार की नियुक्ति नहीं की जा सकती ?

Page No 11

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल ठीक है, नियुक्ति नहीं की जा सकती है, पर्मानेन्ट अपाइन्टमेंट नहीं किया जाता जा सकता है, ऑफिशियेटिंग अपाइन्टमेंट हो सकता है। आर्डिनरिली सीनियर जगह खाली हो तो किया जा सकता है, कमेटी और पब्लिक सर्विस कमीशन को बिना पूछे छः छः महीने तक किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप रूल्स में ऐसा प्रावधान बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को टेम्प्रेरी बेसिस पर, ऑफिशियेटिंग बेसिस पर नियुक्ति करने का अधिकार है ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट के ऊपर उन रूल्स के आधार पर रुकावट भी नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मगर उस आदमी को पर्मानेन्टली उस पर कन्फर्म नहीं कर सकते जब तक सलेक्शन कमेटी के द्वारा सलेक्शन न हो सके। और जगह खाली हो जाय और इमीजियेटली भरनी हो तो सीनियर मोस्ट आदमी को मेरिट के ऊपर ऑफिशियेटिंग चान्स दे सकते हैं लेकिन कन्फर्मेशन सलेक्शन कमेटी के द्वारा होना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने ऑफिशियेटिंग और प्रमोशन के लिए कोई व्यवस्था, नियम या क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट सीनियोरिटी के ऊपर, मेरिट के आधार पर कर सकती है, और सीनियर मोस्ट आदमी जो होता है उसको चान्स दे देती है।

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यक्तियों को डिप्टी डाइरेक्टर और सीनियर पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया है वह सीनियर हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सीनियोरिटी है उनकी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो एक हुक्माराम हैं, जो सीनियर हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : इन्डीविजूअल केस को डिस्कस नहीं कर सकता। यदि कोई सीनियर आदमी हो और आदमी के अदरवाइज कोई खिलाफ बात नहीं हो तो प्रमोशन दिया जा सकता है। इस तरह के केस का उत्तर नहीं दे सकता !

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात को आपने स्टडी कर लिया है इनसे जो जूनियर हैं जिनके एडवर्स रिमार्क हैं और जिनकी सर्विस शीट क्लीन नहीं है उनको डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त किया गया है ?,

श्री मथुरादास माथुर : जो डिप्टी डाइरेक्टर के पांच छः नाम हैं, जिन्हें प्रमोशन दिया गया है आॅफिशियेटिंग, उन लोगों के सी. आर्स. को देख कर और सीनियोरिटी को देख कर दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स की सीनियोरिटी लिस्ट डिक्लेअर नहीं की है ?

श्री मथुरादास माथर : असिस्टेन्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

रजिस्ट्रार की सीनियोरिटी लिस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नाम दिये थे, वह डिक्लेअर नहीं हुई है। डिपार्टमेंट की जो बनी हुई है वह है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : इनमें जो दूसरे डिपार्टमेंट्स से आये हैं उनकी सीनियोरिटी लिस्ट बना ली है।

श्री मथुरादास माथुर : वह बन रही है। जो सरप्लस होकर आदमी आये हैं उनको सीनियोरिटी लिस्ट पर लाया जाय–यह तय नहीं हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह प्रमोशन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए किया, उनमें आपके विभाग में दूसरे विभाग के आये हुए व्यक्ति भी थे ?

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे विभाग से आये हुए व्यक्ति, जो डिपार्टमेंट में सीनियर थे, उनको प्रमोशन दिया गया है। यह सब प्रोवीजनल है और सब्जेक्ट टू सलेक्ट कमेटी रिकमन्डेशन है।

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यक्तियों को डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट पर अपाइन्ट किया, क्या यह सही है कि कोऑपरेटिव विभाग के सलेक्शन के नाते एप्रूव नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो दूसरे विभाग से सरप्लस होकर हमारे यहां पर आये हैं, उसके लिए एक राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसमें फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उसने सरप्लस करके हमारे डिपार्टमेंट में भेजा है। वह काम कर रहे हैं। जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में नहीं था, चाहे पंचायत से आये हों, चाहे कहीं से आये हों उनकी सीनियोरिटी वहां थी और पर्मानेन्ट नहीं हो पाये थे। वहां वह काम कर रहे थे ओहदे पर तो उनको हमारे डिपार्टमेंट में चांस दिया गया है और ऑफिशियेटिंग चान्स मिला है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि जिन व्यक्तियों को डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त किया गया है उनका राजस्थान की किसी पोस्ट पर पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्शन या एप्रूवल नहीं हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : गलत है।

श्री भैरोंसिंह : एप्रूवल है ?

श्री मथुरादास माथुर : हां।

श्री भैरोंसिंह : किस पोस्ट पर ?

श्री मथुरादास माथुर : इक्वीलेन्ट पोस्ट पर।

श्री भैरोंसिंह : नाम बता दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो लिस्ट दी गई है....

श्री मथुरादास माथुर : एक है, श्री कृष्ण का नाम है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ऑफिसर में जब से था, उस वक्त से एप्रूव्ड था। उसको

(श्री मथुरादास माथुर)

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर ट्रान्सफर किया है। तो एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के बारे में तो मैं जानता हूं कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड है। दूसरे ऑफिसर हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड नहीं थे लेकिन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ऑफिस में काम कर रहे थे, दो तीन साल से काम करने के बाद इधर आये हैं। उस वक्त यह सोचा था कि सैकिंड प्लान में पोस्ट बहुत हो गई हैं क्योंकि कोग्रॉपरेटिव डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, योजना के आधार पर बहुत से ऑफिसर्स की जरूरत पड़ी। तो जो काम कर रहे थे वे डिस्क्वालिफाइड नहीं थे उनको काम देकर भर लिया गया और कुछ प्रमोशन से भरी गई, कुछ पर दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों को लाकर लगाया गया। अब उन आदमियों का अपाइन्टमेंट रेगुलेराइज करना है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सलेक्शन हो उनकी कार्यवाही चल रही है। उसके लिए एक दफा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लोगों का सलेक्शन कर दिया लेकिन सलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने एतराज किया और बाद में उनको उसने विद्ड्रा कर लिया। इसलिए यह डिले हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा कि पांच आदमियों की लिस्ट दी है आपने उनमें कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से इस सर्विस या दूसरी किसी न किसी पोस्ट पर कन्फर्म्ड या एप्रूव्ड हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने बताया कि जो लोग अजमेर सर्विस के हमारे यहां पर आये हैं वे तो कन्फर्म्ड और एप्रूव्ड हैं। उनमें से एक नाम मैंने आपको बताया श्री कृष्ण एप्रूव्ड है। तीन नाम बताये, श्री नाहर सिंह और भैरोंसिंह जो पंचायत डिपार्टमेंट में था। वह पोस्ट अबालिस कर ली गई, वहां और वह सरप्लस होकर हमारे डिपार्टमेंट में आये हैं। एक चौथा नाम मैंने आपको बताया जिसकी मुझे पर्सनल नालेज है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपकी जानकारी सही है कि पंचायत डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पर काम कर रहे थे, उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एप्रूवल मिल गई थी ?

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं कह सकते।

श्री भैरोंसिंह : यह कहा है !

श्री मथुरादास माथुर : यह कहा है कि सरप्लस होकर हमारे डिपार्टमेंट में हैं इसलिए वह पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्म या एप्रूव्ड थे या नहीं उनको सरप्लस कमेटी ने किया है तो सरप्लस करने के जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार जो पर्मानेन्टली होल्ड करते हैं उनको करते हैं और जो टेम्प्रेरी होते हैं तो उनको घर भेज देते हैं। तो जो हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है उसने नाम भेजे और हमने एब्जार्ब कर

Page No 14

(श्री मथुरादास माथुर)

लिया है । इसके बारे में जानकारी नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी पोस्ट पर एप्रूव हो चुके हैं या नहीं । वह सरप्लस होकर हमारे डिपार्टमेंट में आये हैं तो इस बात को समझते हैं कि किसी न किसी जगह पर्मानेन्टली फिक्स अप होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : यह बतला दें कि सर्विस रूल्स के माफिक एडहोक बेसिस पर प्रमोशन दिये जा सकते हैं या यह कोऑप-रेटिव सर्विस तक लिमिटेड है ?

श्री मथुरादास माथुर : कोआॅपरेटिव सर्विस रूल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन रूल्स में कोऑपरेटिव सर्विस की डेफी-नेशन दे रखी है उसके अनुसार वही व्यक्ति लिया जायगा प्रमोशन के लिए जो कन्फर्म्ड है या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एप्रूव्ड है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एप्रूव्ड होना चाहिए । जो नये रिक्रूटेड हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट से आये हैं उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूवल होनी चाहिए, वह किसी तरीके से एप्रूवल होनी चाहिए । पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया था इन पोस्ट्स के लिए ।

श्री भैरोंसिंह : लिखने का सवाल नहीं है । आपने कहा कि एडहोक बेसिस पर प्रमोशन दिये जा सकते हैं, यह आप प्रिज्यूम करके चलते हैं । आपने उनको प्रमोशन दिया है जो पंचायत सर्विस कैडर में आते हैं और जब इसके लिए डेफीनिशन दे रखी है कि वही व्यक्ति प्रमोशन या सलेक्शन में आयेगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड होगा ।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप रूल्स देख लें ।

श्री मथुरादास माथुर : पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव्ड हो, इसके मायने यह है कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया है और पब्लिक सर्विस कमीशन अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई । हर साल हिदायत करते हैं । टर्म बढ़ा देते हैं । हम उनको लिखते हैं अगर रिकमन्डेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वे अपने घर जावेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि यह किसी दूसरे सीनियर ऑफिसर की सिनियोरिटी को इफेक्ट नहीं करेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं कर रहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो यह मान लिया जावे कि दूसरे एसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार थे जो इनसे सीनियर हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी सीनि-योरिटी तैयार नहीं हुई है क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से लेने वालों के लिये प्रिन्सीपल्स तय नहीं हुए हैं ।

Page No 15

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने सीनियोरिटी लिस्ट के आधार पर किया है, जिसको आपने प्रोमोशन दिया है उससे ज्यादा सीनियर लोग वहां पर नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जो सीनियोरिटी है डिपार्टमेंट की, इसके अलावा क्वालिफिकेशन और मेरिट्स आदि को भी ध्यान में रखते हैं। आखिर कोई न कोई एडवर्स रिमार्क उनके होगा ही।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ कि आप जो जानकारी देते हैं वह सही नहीं है। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी लेन्थ ऑफ सर्विस ज्यादा है, क्वालिफिकेशन्स ज्यादा है और डिपार्टमेंट सीनियोरिटी भी है और कोई भी एडवर्स एन्ट्री उनके रेकॉर्ड पर नहीं है और वे हायर पोस्ट के लिये सलेक्टेड हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है, वह गलत है। कोई सीनियोरिटी और क्वाली-फिकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो क्राइटेरिया रखा गया है वह यह है कि एक तो मंत्रीजी के भाई हैं, एक जाने वाले मंत्री के लड़के है, एक नये मंत्री के जवाई हैं और कोई किसी एम. एल. ए. के पति होते हैं। जो सीनियर और डिपार्टमेंट के एप्रूव्ड हैं उनको चान्स नहीं दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने एक एक पोइन्ट पर जवाब दिया है। आपने यह कहा है कि कोई किसी का भाई है, किसी का भाई होगा, किसी का खाविन्द होगा, यह चार्ज लगाने का आपको अधिकार नहीं है। हां, अगर फेवरिटिज्म किया गया है तो आप कह सकते हैं। मैंने बराबर इन केसेज को एग्ज़ामिन किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई किसी का भाई हो उसके नाते उसको कोई हक नहीं मिले यह उचित नहीं समझता। और माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे किसी भी बात को कहें उससे पहले सोच समझ कर कहें। आपको इस प्रकार की बात कहने से पहले १० दफे सोचना चाहिये। अगर हम फेवरि-टिज्म करें तो आप कह सकते हैं। आपको इस प्रकार की बातें यहां नहीं कहनी चाहिये। आपने मन्त्री के भाई के लिये कहा मैं यह कहूंगा कि वह पी० एस० सी० सले-क्टेड है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जिन जिन को प्रमोशन दिया है उनमें और कौन कौन पब्लिक सर्विस कमीशन से सले-क्टेड थे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि उसमें ७ आदमियों का ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप उनका रेकार्ड देखें तो आपको मालूम होगा कि कइयों के एक भी रिवर्स एन्ट्री नहीं है। हुकमराज, रूपचन्द......

श्री मथुरादास माथुर : आपको मैं इनकी सी० आर० बता दूंगा आप देख लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : सन् १९५९ में हुकमराज का नाम ५ नम्बर पर

Page No 16

(श्री जयनारायण सालोदिया)

था और नारसिंहजी का ६ नम्बर पर था।

श्री अध्यक्ष : Next.

वन्य आखेट संरक्षण संस्था

६०८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में वन्य आखेट के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयत्न किये गये तथा किये जा रहे हैं ?

(२) राज्य में वन्य आखेट के संरक्षण के लिये सलाह देने तथा प्रबन्ध हेतु किस प्रकार की संगठनात्मक संस्था स्थापित अथवा निर्गमित की गई है ?

(३) वन्य आखेट संरक्षण मण्डल के सदस्य कौन कौन हैं तथा उनका व्यक्तिगत अनुभव, जिसके कारण वे मण्डल में चुने गये हैं, क्या हैं ?

(४) क्या यह सही है कि मण्डल के कुछ सदस्य राज्य सरकार की सिफारिश पर अखिल भारतीय सलाहकार निकाय में नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो अन्य सदस्यों की तुलना में उनको ऐसे चुनाव का हकदार बनाने वाली क्या क्या योग्यतायें हैं ?

उप-मन्त्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) वन्य जीवन के संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम व नियम बनाये गये हैं। सूची संलग्न है।

(२) राजस्थान में अन्य आखेट के संरक्षण के लिये सलाह देने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों का राज्य सरकार द्वारा मण्डल बनाया गया है।

(३) मण्डल के सदस्यगण की सूची संलग्न है। समस्त सदस्यगण वन्य आखेट सम्बन्धी हर प्रकार के मामलों का काफी अनुभव रखते हैं। या अन्य प्राणियों की सुरक्षा में गहरी रूचि रखते हैं।

(४) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन्य जीव के संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम व नियम बनाये गये उनसे क्या वाइल्ड फील्ड ज्यादा प्रिजर्व हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : शहरों में रहने लग गये हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या इसमें ऐसे भी मेम्बर हैं जो......

श्री दिनेशराय डांगी : आप फिर से कहें। सुनाई नहीं दिया।

श्री जुझारसिंह : क्या इसमें ऐसे भी सदस्य हैं जो गलत तरीके से जंगल में जाकर

Page No 17

(श्री जुझारसिंह)

नियमों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं और उनकी शिकायतें हुई हैं उनको भी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह मेरी जानकारी में नहीं है ?

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि मि० रूंगटा जो इस बोर्ड के सदस्य हैं, उनके खिलाफ शिकायत की गई और सी० एफ० ओ० की शिकायत है कि ये नियम के विपरीत पोचिंग करते हैं इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही की जावे और इनका चालान किया जाना चाहिये ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। आपका तो प्रश्न यह है कि राज्य में वन्य आखेट के संरक्षण के लिये सलाह देने तथा प्रबन्ध हेतु किस प्रकार से सदस्य बनाये गये हैं। इस तरह का प्रश्न है जिसका मैंने जवाब दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : यह मामला पहले से ही सरकार के पास चल रहा है। यह बात आपके ध्यान में है या नहीं। जिस व्यक्ति का गवर्नमेंट में केस चल रहा है उसको सदस्य कैसे बनाया ?

इस बोर्ड का और सरकार का पर्पज इस बोर्ड के बनाने से यह है कि वाइल्ड गेम को प्रिजर्व करेंगे। जिस व्यक्ति का अभी नाम लिया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है और उनकी राइफल छीन ली गई और वन विभाग के चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट ने चालान करने की सिफारिश की है उस आदमी को बोर्ड में रखा जाना कहां तक उचित है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी है, मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस बात की जानकारी भीखाभाई को है और उनको लिखित रूप में दी है।

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : कौनसी जानकारी।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री को लिखित रूप में शिकायत की है।

श्री भीखाभाई : मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। जहां तक राजस्थान के वन्य आखेट संरक्षण के बोर्ड के सदस्यों का प्रश्न है, इस बात की कोशिश की है कि जहां तक हो सके दो प्रकार के व्यक्तियों को लिया जावे एक जो जीव संरक्षण में विश्वास रखते हों और दूसरे जो ऐसे लोग हों जो आदतन शिकार करने के अभ्यासी हों और वे भी जीव संरक्षण में विश्वास रखते हों ?

जहां तक व्यक्ति विशेष का प्रश्न है और उनके बारे में कहा, एक बार शिकायत जरूर आई थी। और कोई भी किसी प्रकार की किसी की शिकायत आती है तो

(श्री भीखाभाई)

हम बराबर नियमानुसार कार्यवाही करते हैं लेकिन किस व्यक्ति को रखना है, उसके लिये मैं यह कहूंगा कि वाइल्डलाइफ संरक्षण में विश्वास करते हैं उनको इसमें रखा जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : जो शिकायत मन्त्री महोदय को दी गई उसके सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया है ? और क्या यह सही है कि चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने के लिये लिखा था और आपने उन पेपर्स को दबा दिया है ?

श्री भीखाभाई : नहीं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है जी नहीं, तो वे पेपर्स कहां हैं ?

श्री भीखाभाई : कानूनी कार्यवाही जहां होनी चाहिये वहां होती होगी। जो प्रश्न पूछा गया है उसकी परिधि के बारे में मैंने उत्तर दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो दो प्रकार की क्वालिफिकेशन्स इसके मेम्बर बनने के लिये बताई उनमें से श्री रामजी काक कौनसी क्वालिफिकेशन्स में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जानते हैं ... ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानता हूं इसीलिये तो आपसे पूछ रहा हूं।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : आप यह बताइये कि वे कौनसी क्वालिफिकेशन में नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : उनकी क्वालिफिकेशन तो हर फन माला है वे इन दो क्वालिफिकेशन में से किस क्वालिफिकेशन में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जिनके बारे में कहते हैं उनकी दिलचस्पी गेम के प्रिजर्वेशन में है।

श्री भैरोंसिंह : मारने में क्वालिफिकेशन है या अहिंसा में है ?

श्री भीखाभाई : जो हिंसात्मक प्रवृति होती है वही बाद में अहिंसात्मक हो जाती है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : जो व्यक्ति पोचिंग करता है और उसको इस परिभाषा में ले कर सदस्य बनाया गया है, उसके बारे में सरकार का क्या विचार है कि वह सदस्य बनने के बाद में पोचिंग नहीं करेगा ?

श्री भीखाभाई : कोई आदमी पोचिंग करता है, अवैध तरीके से शिकार करता है और हम यह सोचते हैं कि नियमित ढंग से करता है तो ज्यादा अच्छा होगा कि उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाय गेम प्रिजर्वेशन की। चोर को चौकीदार बना दिया जाय तो वह चोरी करना छोड़ देगा।

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय इसे बड़ा लाइटहार्टड्ली ले रहे हैं जिस व्यक्ति

Page No 19

(श्री जुझारसिंह)

की पोचिंग करने की आदत बनी हुई है उसको प्रिजर्वेशन बोर्ड का सदस्य बनाया जाय तो वह तो और ज्यादा पोचिंग करेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसा व्यक्ति तो और अधिक पोचिंग करेगा, इससे पोचिंग बढ़ जायगा।

श्री भीखाभाई : यह लाइट हार्ड्ली लेने का सवाल नहीं है। जो सवाल का उत्तर है इसमें बराबर इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रिजर्वेशन हो, जहां तक बोर्ड के गठन का सवाल है, मैंने किया है, इस ढंग से किया है कि अच्छे ढंग से व्यवस्था हो, मैं और आगे बढ़ गया था पर जहां तक बोर्ड के निर्माण का सवाल है पूरा इस बात का ध्यान रखा गया है कि वन्य जीवों का संरक्षण हो। माननीय सदस्य ने पूछा है, उनको भी रखा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : पूछा तो मैंने भी है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको इसमें नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आपकी हिंसात्मक प्रवृत्ति है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रामजी काक का नाम ऑल इन्डिया बोर्ड के लिये राजस्थान सरकार ने रिकमण्ड किया है।

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं भीखाभाई से पूछ रहा हूं।

श्री भीखाभाई : आल इन्डिया बोर्ड में तो वे आलरेडी हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस बारे में रिकमण्ड किया है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार ने नहीं किया है, केन्द्रीय सरकार ने किया है।

श्री दिग्विजयसिंह : फोरेस्ट्स एनीमल्स प्रिजर्वेशन के सम्बन्ध में बोर्ड ने क्या क्या सिफारिशें सरकार को की हैं और उन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है ?

श्री भीखाभाई : मैं फोलो नहीं कर सका माननीय सदस्य को।

श्री अध्यक्ष : इस बोर्ड के आज तक सरकार को कितनी सिफारिशें की और उनमें से सरकार ने कितनी सिफारिशें स्वीकार कीं ?

श्री भीखाभाई : यह डिटेल्स की बात है, जब से बोर्ड बना, कितनी सिफारिशें इसने सरकार को की, कितनी सिफारिशों को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, कितनी अन इम्प्लीमेंटेड पड़ी रही which are not available with me just now.

श्री दिग्विजयसिंह : मैं डिटेल्स नहीं चाहता यह मोटे तौर से बता दीजिये कि कितनी सिफारिशें बोर्ड की तरफ से सरकार के पास आई और कितनी को सरकार ने

Page No 20

(श्री दिग्विजयसिंह)

स्वीकार किया। मन्त्री होने के नाते आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिये। आप भी इस बोर्ड के सदस्य हैं, शायद चेयरमैन होंगे ?

श्री भीखाभाई : उसके अध्यक्ष हिज-हाईनेस कोटा हैं, मैं केवल सदस्य हूँ। यह सब-डिटेल्स की बातें है कितनी मीटिंगें हुई, चेयरमैन साहब आदेश देते हैं तो साल में दो बार मीटिंगें हुआ करती हैं, कई साल से यह बोर्ड बना हुआ है। यह सारी बात माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो अलग से सवाल पूछ लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें कुछ हिंसक सदस्य और कुछ अहिंसक सदस्य है तो यह बतायें कि कितने सदस्य तो हिंसक हैं और कितने अहिंसक हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कतई यह नहीं कहा कि हिंसक हैं या अहिंसक है। मैंने यह कहा कि यदि कोई आदमी पोचिंग करता है, उसको रेगुलेट करना है तो वाइल्ड बीस्ट्स प्रिजर्वेशन में रखा जाय ताकि यह प्रिजर्व करने लग जाय।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : श्री हरिश्चन्द्र गोलेछा कौनसी केटेगरी में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : जीव संरक्षण करने वालों में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय कौनसी परिभाषा में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : जीव संरक्षण पूरा का पूरा।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या बोर्ड ने बहुत साल पहले सिफारिश की थी कि साल भर के लिये ब्लाक रिजर्व करते हैं वह नहीं होने चाहिये। उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री भीखाभाई : यह सारी डिटेल्स तो मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय ने कभी शेर देखा है ?

श्री भीखाभाई : मैंने इस सदन में देखा है।

श्री भैरोंसिंह : सदन में देखा है या जंगल में देखा है....

एक माननीय सदस्य : जंगल में तो गीदड़ देखा होगा।

श्री दौलतराम सारण : ये शेरों के साथ खेले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ये रोज दर्पण में मुंह देखते हैं तो शेर देख लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप भीखाभाई की इन्सल्ट कर रहे हैं. ये आदमी हैं, इस तरह से कह कर आप इनको जानवर बता रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : इनके पालतू शेर कई हैं।

Page No 21

श्री मथुरादास माथुर : ये नसिंह भगवान् के अवतार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : यह जो योजना मंत्रीजी ने भीखाभाई के लिए कहा है कि नसिंह हैं, यह हाउस की प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय, इनकी कान्स्टीट्युएन्सी के लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, केवल इसी बिना पर इनको नोमिनेशन फार्म रिजेक्ट हो जायगा।

प्रश्न संख्या ६०६

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिसखां

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन

जमवारामगढ़ सड़क पर ढूंढ नदी पर पुल

६१०. श्री दयाचन्द सोन (बारां–सु): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जमवा रामगढ रोड पर ढूढ नदी के ऊपर पुल नहीं होने के कारण बरसात में सभी प्रकार का यातायात रुक जाता है ?

(२) यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, अधिक वर्षा होने पर।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत कर दिया है। आशा है चतुर्थ योजना में।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़ !

ग्राम पंचायत बोरावड़ के सरपंच का चार्ज

६११. श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बोरावड़, तहसील परबतसर की फाइलें का व रेडियो का चार्ज अभी तक भूतपूर्व सचिव श्री पूर्णचन्द सोनी ने नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत बोरावड़ ने राज्य सरकार के संयुक्त आयुक्त, विकास को चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में कई दर्खास्तें दी थीं ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

(३) क्या यह सच है कि सरकार ने सरपंच ग्राम पंचायत बोरावड़ को चार्ज दिलाने में आज तक ढिलाई बरती है जिसके कारण पंचायत आज तक बन्द है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, जांच से पाया गया कि चार्ज २६-७-६२ को ही दिया जा चुका।

(३) जी नहीं।

श्री जेठमल बरबड़ : रेडियो और फाइलें नहीं दी हैं ?

Page No 22

श्री दिनेशराय डांगी : रेडियो का शब्द तो इसमें नहीं है, वैसे रेडियो की जांच चल रही है। पुलिस में एन्क्वायरी चल रही है।

श्री जेठमल वरवड़ : सरकार ने पुलिस को एन्क्वायरी कब दी ?

श्री दिनेशराय डांगी : १५-४-६४ को एस० पी० नागर को।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

बसी डिंगरी रोड

६१२. **श्री देवीलाल मीणा** : (सराड़ा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर जिले में बसी डिंगरी रोड के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर हिम्मतनगर रेल्वे लाइन पर डिंगरी (जयसमन्द-रोड) एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से जयसमन्द सलूम्बर का रास्ता जाता है ?

(३) क्या वसी-डिंगरी रोड को डामर कराये जाने व इस पर साथ ही छोटे व बड़े पुल बनाये जाने की योजना है ताकि रेल्वे स्टेशन से आवागमन अवरुद्ध न हो सके ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र):
(१) केवल ३७,००० रु० का प्रावधान था।

(२) जी हां।

(३) यह कार्य अर्थाभाव के कारण योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री देवीलाल मीणा : क्या इस कार्य को योजना में लिये जाने का विचार है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीसरी में तो नहीं ले पावेंगे, चौथी में कन्सीडर कर पावेंगे।

श्री देवीलाल मीणा : रेल्वे स्टेशन की वजह से यह रोड महत्वपूर्ण है, फिर सरकार इसे बनाना क्यों नहीं ठीक समझती?

श्री हरिश्चन्द्र : जितना काम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ अर्थाभाव के कारण अकोमोडेट नहीं कर सके। चूंकि पैसा खर्च हो चुका है, चौथी योजना में इसको लेने पर विचार करेंगे।

श्री देवीलाल मीणा : ३७,००० रुपयों की सेंक्शन थी तो क्या वह रकम पूरी खर्च नहीं हुई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ३७,००० रु० खर्च हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

पंचायत समिति क्षेत्र बारां में कलमण्डा के तालाब की मरम्मत

६१३. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु०): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि कलमण्डा पंचायत समिति क्षेत्र बारां का तालाब तीन बार हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी फिर टूट गया ?

Page No 23

(श्री दयाचन्द सोन)

(२) क्या सरकार उसको पुनः बनाने का विचार कर रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री दयाचन्द सोन : अभी पांच-छ साल पहले बाढ़ आ गई, काफी मकान गिर गये और आप कह रहे हैं 'जी नहीं' तो मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह तालाब पहले से ही टूटा हुआ था। हमने रिपेअरिंग की हो और फिर टूट गया हो ऐसी स्थिति नहीं है। पानी निकालने के रास्ते की मरम्मत के लिये सिंचाई विभाग को लिखा हुआ है उनकी टेक्निकल सेन्क्शन जब तक नहीं मिल जाती पंचायत समिति इसको नहीं कर सकती।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : कब से टूटा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : टूटने की तारीख तो मेरे पास नहीं है। पुराना तालाब है और पहले से ही टूटा हुआ है।

श्री दयाचन्द सोन : बारां में बाढ़ आयी वह किस कारण से आयी ? सैंकड़ों मकान गिर गये। बरसात में पानी बारां में आकर इकट्ठा हो जाता है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसको वापिस बनाया जाय या क्या इसका तखमीना बनाया गया है। सिंचाई विभाग से जब तक टेक्निकल सेन्क्शन पंचायत को न दे दी जाय तब तक यह नहीं हो सकता। वैसे कार्यवाही की जा रही है।

श्री दयाचन्द सोन : यह कैसी कार्यवाही है ? हर साल पानी भर जाता है बारां में।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

बस्सी (चित्तौड़गढ़) से ग्वालियर सड़क का निर्माण कार्य

६१४. चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बस्सी (चित्तौड़गढ़) से ग्वालियर तक जो सड़क निर्माण कार्य हुआ था उसमें पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा कोई अनुदान दिया गया था और स्थानीय जनता ने भी श्रमदान किया था ? यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया था तथा श्रमदान कितने रुपये के मूल्य का हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार द्वारा यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई थी उसके बिलों के भुगतान में श्रमदान व पंचायत समिति का व जनता द्वारा दिये गये अनुदान व नकद को भी जोड़ दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग को पंचायत

Page No 24

(श्री हरिश्चन्द्र)

समिति से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। श्रमदान के विषय में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सड़क पर पंचायत ने १३ हजार रुपये का अनुदान दिया और १३ हजार के लगभग जनता ने श्रमदान किया। उसी सड़क पर सार्वजनिक विभाग से यह दिया है क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : किस बात की जांच करवाना चाहते हैं ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : इसी अनुदान को पी. डब्ल्यू. डी. के काम में गिना गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझा नहीं। आप जांच किस बात की करवाना चाहते हैं ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : जो सड़क आपने बस्सी से ग्वालियर तक निकाली है उसमें पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ ने सड़क नहीं बनी, उससे पूर्व १३ हजार का अनुदान दिया और १३ हजार का श्रमदान हुआ। पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क बनी और एस्टीमेट बने तो उसमें उस रकम को गिना गया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : पचायत के द्वारा काम हुआ है उसका हमारे पी. डब्ल्यू. डी. में कहीं जिक्र नहीं है। जो अलोकेशन हमारा हुआ है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पंचायत समिति की ओर से १३ हजार रुपया अनुदान का दिया गया और १३ हजार का श्रमदान हुआ तो जो पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से एस्टीमेट बनाये गये तो क्या उनको भी इसमें इन्क्लूड कर लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप लोगों का काम पहले हो चुका होगा। प्लान में यह सड़क आयी और पी. डब्ल्यू. डी. ने उसको बनायी। एक दो मील। पहल श्रमदान कितना हुआ और खर्चा कितना हुआ इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : श्रमदान और अनुदान उसमें गिना गया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : कतई नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सवाल यह है कि श्रमदान और अनुदान दिया गया और उससे यह सड़क बनी और सड़क के ऊपर आपकी सड़क बनी। यह जानना चाहते हैं कि अनुदान और श्रमदान पंचायत की ओर से दिया गया तो वे काम में आगये या नहीं और आगये तो आपके एस्टीमेट्स से घटाये गये या नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : पांच से आठ मील का काम अलॉट हुआ। पंचायत विजयपुर को एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ने अलॉट कराया। जितना काम कराया पंचायत समिति ने

(श्री हरिश्चन्द्र)

कराया । उससे पहले कितना काम कराया यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पंचायत समिति ने अनुदान दिया, श्रमदान भी किया गया तो क्या पंचायत ने उसको इन्क्ल्यूड करके पेमेंट तो नहीं ले लिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मेरी जानकारी है नहीं लिया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस संबंध में आप और जानकारी करायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई ऐसी मेटिरियल बात बतायें तो ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यह पंचायत विजयपुर को ही दे दिया गया था और उसमें इन्क्ल्यूड कर दिया है, इसलिए इसकी जांच करायें ।

श्री हरिश्चन्द्र : १९५९-६० के पहले पंचायत ने श्रमदान कराया है । पंचायत विभाग ने एडजस्टमेन्ट किया हुआ है । वहीं से उसकी जानकारी हो सकती है । लेकिन जो सड़क का काम हमने कराया उस ग्राम पंचायत को ठेका दिया और उसको पेमेन्ट हुआ. जितना काम उसने किया उसका । पहले काम हुआ है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पी. डब्ल्यू डी. और पंचायत समिति से पेमेन्ट ले लिया इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : पंचायत से जितना काम कराया उसका पहले ही पेमेन्ट हो चुका है । प्लान के नीचे जो सड़क आ गयी और उसके अन्तर्गत जो काम हुआ उसका ठेका पंचायत को दिया और उसका उसको पेमेंट कर दिया । उसमें वह इन्क्ल्यूड हो गया हो तो आप डेफिनेट बतायें ।

प्रश्न संख्या ६१५

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह ।

डूंगरगढ़ लूणकरणसर सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

६१६. श्री मोहरसिंह राठोड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) डूंगरगढ़ से लूणकरणसर सड़क निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया और उस पर अब तक कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(२) इस सड़क की लम्बाई क्या है ? और अब तक इस पर क्या कार्य हुआ है ?

(३) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का कोई मुआवजा दिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) वर्ष १९६४ में । ७८,६३० रु० व्यय हुआ ।

Page No 26

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) २८ मील। ४।। मील में मिट्टी का कार्य तथा १,५०,००० घनफुट धांधला इकट्ठा कराया गया।

(३) जी नहीं।

श्री भीमसेन : क्या यह सड़क तीसरी योजना में पूरी हो जावेगी ?

श्री केसरीसिंह (पाली) : मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि मुआवजा नहीं दिया गया। खास कर एक सजेशन दिया गया था कि जो जमीन ली जावे उसका अन्तरिम मुआवजा तो चुका ही देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : वह अभी तक तय नहीं हुआ है। तय हो जाने पर दे दिया जावेगा। डिप्टी मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया था लेकिन orders have not yet been issued.

श्री केसरीसिंह : कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : अनकरीब ही।

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि क्या तीसरी योजना काल में यह सड़क पूरी हो जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अभी तो कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : प्रश्न संख्या ७८०।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या नेशनल हाई–वे के अन्तर्गत यह सड़क बन रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

स्थगित–प्रश्न

(७.४.६५)

खनिज ठेकेदारों से बिक्री कर की वसूली

७८०. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में खनिज ठेकेदारों से बिक्री-कर कब से तथा किस दर से वसूल किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील अटरू के ग्राम वादोरा के श्री किशोर से गत आठ वर्षों के बिक्री-कर की मांग की गई है जब कि उनको बिक्री कर की अदायगी की सूचना (नोटिस) केवल लगभग ६ मास पूर्व दी गई थी ?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): (१) खनिजों पर १.४.५५ से बिक्रीकर लागू है। खनिजों की विभिन्न किस्मों के लिये विभिन्न दरें निश्चित हैं। आयरन ओर पर १ प्रतिशत और अभ्रक पर २ प्रतिशत बिक्री-कर है। जहां कर की दर

Page No 27

(श्री बालकृष्ण कौल)

विशेष रूप से निश्चित नहीं की गई है, वहां साधारण दर निम्न प्रकार है:

१.४.५५ से ८.३.६०	३½ प्रतिशत
९.३.६० से ८.३.६१	४ ,,
९.३.६१ से १.३.६३	५ ,,
२.३.६३ से आज तक	६ ,,

(२) जी नहीं। २०.३.६४ को धारा १६ (१) राजस्थान सेल्स टैक्स १९५४ के तहत व्यापारी को नोटिस यह बतलाने के लिये जारी किया गया कि धारा ६ राजस्थान सेल्स टैक्स १९५४ के तहत अपना रजिस्ट्रेशन न करवाने के लिये उस पर जुर्माना क्यों नहीं किया जाय? पार्टी को सुनने के बाद उस पर ५०) रु० का जुर्माना किया गया। इसके बाद उसका व्यापारी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और उसके खिलाफ असेसमेन्ट की कार्यवाही चालू है।

(१२ मध्याह्न)

श्री जुझार सिंह : आपके ठेका देने के बाद में आठ दस साल तक वसूल नहीं करने का क्या कारण है? कॉन्टेक्टर्स आपरेट करते रहेंगे आठ दस वर्ष बाद नोटिस देते हैं तो क्या डिपार्टमेन्ट की ड्युटी नहीं है कि ठेकेदार साल दर साल वसूल कर लिया करे?

श्री बालकृष्ण कौल : उस व्यापारी की ड्युटी है कि जब उसका टर्न ओवर इतना आता है तो वह अपने आप रजिस्टर कराये। हमारे सर्वे कराने के बाद कोई ध्यान में आता है तो हमें नोटिस देना पड़ता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसी ड्यूटी व्यापारी कम ही अदा करते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इस कानून के दायरे में आने के लिये रकबा या इन्कम कितनी होना आवश्यक है?

श्री बालकृष्ण कौल : यह कानून में दिया हुआ है कि कितना टर्न ओवर होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह कानून आपको याद है?

श्री बालकृष्ण कौल : किताब में छपा हुआ है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मिनरल प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जो सेल्स टैक्स की रेट बताई उस पर परचेज टैक्स कब से लागू हुआ है? भारतवर्ष से बाहर एक्पोर्ट करने पर क्या पर्चेज टैक्स लागू है?

श्री बालकृष्ण कौल : इसका ताल्लुक इस प्रश्न से नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि उस इलाके के अन्दर सर्वे की व्यवस्था थी तो क्या सर्वेयर ८ साल तक नहीं गये?

श्री बालकृष्ण कौल : सर्वे की व्यवस्था है किसी भी दिन कर ले। किस दिन कर लेनी चाहिये इसकी व्यवस्था नहीं है।

श्री जुझार सिंह (चेचट) : छोटे छोटे कल्टीवेटर्स जिनको नियम कानून का पता

(श्री जुझारसिंह)

नहीं, वर्षों तक ग्राबपाशी करते हैं, डिपार्टमेन्ट की तरफ से पूछा तक नहीं जाता, सडेनली आठ दस वर्षों के बाद उन पर जुर्माना करके परेशान किया जाता है, क्या डिपार्टमेन्ट में यह व्यवस्था नहीं है टैक्स की वसूली समय रहते ही कर ली जाया करे ताकि कॉन्टेक्टर्स को किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहे ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : खनिज ठेकेदार से किस दर से वसूल किया जाता है माननीय मंत्री महोदय कहते हैं लागू नहीं होता लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि बिक्री कर में पर्चेज टैक्स इन्कलूडेड है राजस्थान के बाहर या भारत के बाहर भेजते हैं उस पर किस हिसाब से पर्चेज टैक्स है यह एक पर्टीकुलर क्वेश्चन है जिसका जवाब दीजिये ?

श्री जुझारसिंह : खनिज ठेकेदार को फिर अपने पास से देना पड़ता है जब इतनी लेट कार्यवाही होती है ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो ठेका है ।

श्री जुझारसिंह : खनिज ठेकेदार को आप किस आधार पर जिम्मेदार ठहराते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : उनकी ओर से वसूल करके दें ।

श्री जुझारसिंह : क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं इग्नोरेन्स की वजह से वे वसूल नहीं कर पा रहे थे उनको घर से देना पड़ रहा है ऐसी हालत में बिक्री कर वसूल कर लिया करें टाइम पर इत्तला हो जाया करे ताकि कॉन्टेक्टर्स को परेशानी न हो ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसका कोई इलाज नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारे राजस्थान में जितनी माइन्स हैं उसके ठेकेदार हैं जो टैक्स वसूल किया जाता है क्या सभी जगह एक सा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह नया प्रश्न है इस पर सोचा जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपसे जो सवाल पूछा गया था वह इस प्रकार है कि राजस्थान में बिक्रीकर खनिज पर किस दर से वसूल किया जाता है । मैं यह पूछ रहा हूं बिक्रीकर की दरें समान रूप से सब जगह क्यों नहीं लागू करते ? मेरा क्वेश्चन रिलेवेन्ट है । कई जगह पर तो १०० रुपया ट्रक पर लेते हैं कहीं पर पांच रुपया लेते हैं सेल्स टैक्स मेजरमेन्ट और वेट के हिसाब से वसूल होता है कहीं पर वेट के हिसाब से होता है तो इस अन्तर को मिटाने की दृष्टि से आपने इसको एग्जामिन कराया है ? क्या युनिफार्म रेट्स लागू नहीं हो सकतीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : इस पर विचार किया जायगा ।

श्री जुझारसिंह : इस पर्टीकुलर केस में पर्टीकुलर व्यक्ति से आठ वर्ष का सेल्स

(श्री जुझारसिंह)

टैक्स वसूल किया गया राज्य सरकार को जमा नहीं कराया, इग्नोरेन्स की वजह से वसूल नहीं कर पाया उसको ठेकेदार को घर से देना पड़ रहा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : हम कैसे इग्नोरेन्स मान कर चल सकते हैं हम समझते हैं कि उसने लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सेल्स टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है डेप्रीसियेशन्स सेल्स टैक्स पर्सेन्टेज की व्यवस्था के आधार पर सब जगह से सेल्स टैक्स वसूल कर सकें ?

श्री बालकृष्ण कौल : रूल्स के तहत सब कुछ कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या रूल्स में यह भी प्राविजन है कि प्राइस पर सेल्स टैक्स चार्ज करने के वजाय अन्य तरीके से भी वसूल कर सकते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : कोई भी चीज कायदे कानून के खिलाफ नहीं की गई है अगर आप ज्यादा व्याख्या चाहते हैं तो एग्ज़ामिन करके बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या आपको कायदे कानून की जानकारी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

स्थगित प्रश्न

(७-४-६५)

बसों पर टैक्स की बकाया

७८७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या वित्त मन्त्री (आबकारी तथा कर) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जब से पेसेन्जर्स गुड्स टैक्स चालू हुआ है तब से उदयपुर में बस नं० आर० जे० वाई० १७३६ और बस नं० आर० जे० वाई० १०६६ का टैक्स बाकी है ? यदि हां, तो कितना ?

(२) क्या टैक्स देरी से जमा कराने या नहीं कराने से अभी तक उन पर कोई पेनेल्टी लगी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) उदयपुर में ऐसी रकमें किन किन में कितनी बाकी हैं और क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) इन बसों के कर की वसूली की स्थिति इस प्रकार है:—

(i) ६१-६२ तक का पूरा टैक्स जमा हो गया

(ii) ६२-६३ के टैक्स का बकाया यह है:—

बस नं०	कर बकाया
१०६६	१५७०.३४
१७३६	४१६६.५६
	५७३६.८७

(iii) ६३-६४ व ६४-६५ के रिटंन के आधार पर कर की अदायगी होती रही

(श्री बालकृष्ण कौल)

है। इन वर्षों के कर का ऐसेसमेन्ट होना बाकी है।

(२) जी हां। इन केसेज के मालिक पर पैनेल्टी लगाई गई थी।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष राशि व कारण सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जोधसिंह चौहान : आपने अटेचमन्ट नोटिस दिया है सरकार ने मोटरें कब्जे में ली हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यकीनन नहीं कह सकता। जहां तक मेरी खबर है जिसका अटेचमेन्ट होना है अटेच कर ली गई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कब किया है अटेच ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तारीख नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि अटेचमेन्ट के अन्दर निर्धारित रकम प्राप्त नहीं होती हैं तो अटेच्ड प्रोपर्टी को ऑक्शन करने की व्यवस्था है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्टीकुलर समय खत्म होने पर भी आक्शन नहीं किया क्या यह सही है ?

श्री बालकृष्ण कौल : उसमें कई दिक्कतें आ जाती हैं। ऑक्शन में यदि उतनी कीमत नहीं आती है तो रोकना पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितनी सरकार की रकम है अगर वह प्रोपर्टी की सेल से या जो प्रोपरटी सरकार ने अटैच की है उससे वसूल नहीं हो तो सेल ही नहीं किया जावे, आपने क्या यह तै किया है कि मोटर तब तक नहीं बेची जावेगी जब तक पूरी रकम वसूल न हो जावे ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो अपने को जितनी राशि वसूल करनी है उसका लिहाज रखते हुए इन सब चीजों का फैसला किया जाता है। अगर बेचने लगें और एक हजार में ही नीलाम हो और उससे हमारी रकम वसूल नहीं हो रही हो, तो नहीं बेचेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी राशि तक मिल जावे तो उसके बाद नीलाम शुरू हो जावेगा उसका ?

श्री बालकृष्ण कौल : करीब करीब जितना हमारा रुपया है उतना वसूल हो तब हम उसको नीलाम कर सकते हैं, और इन्हीं चीजों का ख्याल रखते हुए जो संशोधन आज हाउस में बिल के सिलसिले में आवेंगे वे क्लॉज बाई क्लॉज आ जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप इस प्रकार का आदेश जारी करेंगे कि ३।४ हिस्सा अगर वसूल होने की सूरत हो तो बस नीलाम की जावे। मैं इस राशि को ३।४ तक फिक्स कराना चाहता हूं। आप लगभग की बात करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो माननीय सदस्य चाहते हैं वही विचार मेरे भी हैं। और इसलिये जितने संशोधन रखे हैं, अमेन्डिंग बिल में, वे इसीलिये रखे हैं कि सरकार की आप मदद करें। जैसा संशोधन है वह आप पास करें, ताकि सरकार को पूरी तरह से एक एक पैसा वसूल करने में सफलता मिले।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसी निकम्मी सरकार की हम क्या मदद करें कि जो गरीब लोगों की बसें तो पांच पांच हजार में नीलाम करा दें और ताकतवर लोगों की बसों को हाथ भी लगाने से डरे।

श्री बालकृष्ण कौल : अब मैं नहीं कह सकता कि निकम्मे कौन हैं।

श्री भैरोंसिंह : निकम्मे मन्त्री होंगे, उनकी कैबीनेट होगी वे नहीं होंगे तो उपमन्त्री होंगे, आप होंगे। मैं तो पालिसी की बात पूछना चाहता हूं। पोलिसी का जवाब दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पालिसी का जवाब दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बताइये कि सरकार ने कोई ईयर मार्क किया है क्या कि इतनी कीमत किसी चीज से मिलेगी तो बेची जावेगी। या आपको यह डिस्क्रिशन होगा या आपके अफसरों को डिस्क्रिशन होगा कि जिस किसी गरीब की चाहे बेच दें और ताकतवर के हाथे भी नहीं लगावें।

श्री भैरोंसिंह : इसके पीछे आपकी क्या नीयत है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह नीयत नहीं होगी। साफ डिस्क्रिशन होगा और बहुत से वाकयातों को देख कर डिस्क्रिशन इस्तेमाल होगा। आज उस डिस्क्रिशन को लिमिट करने के लिये कानून में अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है। और मैं देखूंगा कि माननीय सदस्य किस तरह से उसको लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कोअरशन और परस्यूएशन यहां नहीं चलेगा। इस पर बहस होगी अगर ऐसा कुछ आवेगा तो और उस समय आप दिखाई नहीं देंगे यहां पर। भाग खड़े होंगे और यहां बिठा देंगे परसरामजी को। कानून को आप समझते नहीं, आप यहां स्टेण्ड नहीं हो सकेंगे, खिसकने वाले हैं जल्दी ही आप। यह मुझे मालूम है। कानून आप जानते नहीं। नहीं जानने से झगड़े की सूरत खड़ी कर लेते हैं और जब यह सूरत खड़ी होती है तो खुद भाग जावेंगे अपने डिप्टियों को इस झगड़ों में फंसा जाते हैं और जब प्रसंशा होती है तो आप आ जाते हैं उसे लेने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सीधा सा प्रश्न है जो अटैचमेन्ट किया जाता है उसे बेचा जाता है और उससे रकम वसूल की जाती है, अगर उससे पूरी रकम वसूल नहीं हो पाती तो उसकी ओर दूसरी प्रोपर्टी अचैट की जाती है और उसे नीलाम पर चढ़ाया जाता है बनिस्बत इसके कि आपको डिस्क्रिशन दिया जाय कि इसे नीलाम किया जाय या नहीं क्योंकि इससे पूरी रकम वसूल नहीं हो सकेगी, तो इसलिये क्या आप नीलाम करना ही बन्द कर देंगे। जब तक वैसी पूरी प्रोपर्टी अटैच न हो जावे तब तक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नीलाम नहीं करेंगे ? यह मंशा है आपकी ? सीधा सा कानून है कि जब अटैचमेन्ट हो गया तो नीलाम उसका किसी सूरत में नहीं रुकना चाहिये, नीलाम होना चाहिये, नीलाम होने के बाद जो पैसा सरकार का लेना फिर भी बचे तो उसकी दूसरी प्रोपर्टी और अटैच करके उससे वसूल किया जाना चाहिये । यह सामान्य नियम है नीलामी का और अटैचमेन्ट का । इसमें कोई किसी तरह के डिस्क्रिशन का सवाल ही नहीं है । आप पैसा खाली उसी मोटर पर ही समझते हैं ? आप उससे वसूल न हो और दूसरी प्रोपर्टी अटैच करिये । यह है साधारण सा कायदा । अब उससे खामखां में डिस्क्रिशन का मामला बीच में लाकर उलझाना चाहते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसमें इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जवाब दीजिये न इसका तो ।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा डिस्क्रशन है नीलाम करूं या न करूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका डिस्क्रिशन ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप अपनी राय रखते है, मैं अपनी राय रखता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६२-६३ की जो बाकी थी उसको वसूल नहीं किया गया तो जिन्होंने वसूल नहीं किया उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये न । अटैचमेन्ट के रूल्स के इन्टरप्रीटेशन के मामले में सारे राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में एक उसूल है एक कानून है । इसमें सरकार का रुपया वसूल करने के लिये जो एक चीज अटैच की जावे उतने में ही उसे बेच सकें तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे आप उसे । क्या आप उसे फिर पड़े रहने देंगे ? अगर उससे आपका पूरा रुपया वसूल नहीं होता है या तीन-बटे चार भी होता हैं तो क्या फिर १।४ आप उसको छोड़ देंगे ? उसकी वसूली की कार्यवाही फिर आगे और अटेच उसकी प्रोपर्टी और दूसरी चीज करके नहीं करेंगे ? और जब करेंगे तो फिर सीधा सा कानून है, जो अटैच कर ली उसे आप नीलाम कर दें उससे चाहे १।४ वसूल हो या ३।४ या कितना ही, उसके बाद जो बचे उसके लिये आप और दूसरी चीज अटैच करियें । आप कहते हैं मेरी राय है । यह कोई जवाब है । सदन में बैठकर जानकारी चाहते हैं हम और आप इस तरह का जवाब देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जवाब तो होगा वही देंगे न ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अगर बस से पैसा उतना पूरा वसूल नहीं होता और इसलिये उसे नीलाम नही करके पड़ा रखेंगे तो क्या धीरे धीरे उस पड़ी हुई बस का डिप्रिसियेशन नहीं कम हो जावेगा ? उसकी तो धीरे धीरे उलटी कीमत कम हो जावेगी । फिर तो पूरा वसूल कर ही नहीं सकते और आपके कहने से तो यह मालूम पड़ता है कि आप पूरा वसूल नहीं कर पावेंगे ।

Page No 33

श्री बालकृष्ण कौल : ये जितनी बसें ली जाती हैं या ली गई हैं, हायर पर्चेज सिस्टम से लोगों की ली हुई होती हैं अब उनको अटैच कर लेना तो आसान है पर उनको नीलाम कर देने में कितनी दिक्कतें हैं, यह आप आसानी से अन्दाज लगा सकते हैं। इसमें कानूनी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस लिये हम हरेक को अटैच कर लें और उसे ऑक्शन करने लग जावें और वह रुपया भी वसूल न कर पावें और कानूनी दिक्कतों में खामखां फंस जावें तो यह सब सोचना पड़ता है, इसमें । इसलिये यह बिल यहां लाकर कोशिश की है कि कानून हमारी और थोड़ी मदद करे ताकि सरकारी रुपये को वसूल कर सकें। यह निकम्मापन हमारा ही रहता है और माननीय सदस्य इसे निकम्मापन कहें तो उनके देखने की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सरकार ने नीति निर्धारित की है क्या कि हायर पर्चेज की बसें नीलाम नहीं की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : पहला चान्स सरकार का होता है अटैच करके नीलाम करके उस हायर पर्चेज की बस से भी पैसा वसूल करने का। यह तो सीधा मामला है स्पष्ट है कि पैसे वालों का असर है आप पर और इसलिये आप इधर उधर का रास्ता देखते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: असर वालों की बसें नीलाम ये नहीं करते ये तो गरीबों की नीलाम करते हैं और इसीलिये ये डिस्क्रिशन अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

(१२.५. म प)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गांधी सागर बांध से बिजली का उत्पादन

८६७. श्रीमती सुमित्रा : (झुंझुनू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांधी सागर बांध में इस वर्ष पानी कम इकट्ठा होने की वजह से बिजली के उत्पादन में कमी हुई ?

(२) पानी की इस कमी का क्या कारण था ?

(३) बिजली की कमी के कारण सरकार को कितनी हानि हुई ?

(४) बिजली की इस कमी की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या क्या साधन जुटाये और उसमें कितना खर्चा हुआ ?

(५) बिजली की कमी के कारण उद्योग व कृषि उत्पादन में कितनी कमी हुई ?

(६) बिजली की इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(७) क्या सरकार इस संबंध में कोई न्यायिक जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) भारी वर्षा कम हुई।

(३) इसका सही अनुमान कठिन है फिर भी लगभग १८८ लाख युनिट कम मिलने का भय है।

(४) इसके लिये १३२ के० वी० लाईन रतनगढ से जयपुर तक लाई गई है।

(५) उद्योगों में पॉवर की कमी की गई जिससे उत्पादन में कमी हुई। कृषि में बिजली की कोई कटौती नहीं की गई अत: इसका कारण उत्पादन कम होने का प्रश्न नहीं उठता।

(६) प्रकृति।

(७) प्रश्न नहीं उठता।

राजगढ़-भूंपा सड़क निर्माण कार्य

८६८. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजगढ से भूंपा तक सड़क निर्माण कार्य कब किया गया था ? इसकें निर्माण में कितना रुपया खर्च किया गया था ?

(२) क्या सरकार को पता है कि अब यह सड़क बहुत टूटी फूटी हालत में होने के कारण वाहनों के आवागमन के कान में नहीं आ सकती ?

उत्तर

(१) राजगढ़ से भूंपा बीकानेर देहली रोड़ का भाग है जो वर्ष १६४६ में निर्माण कराया गया था इस मार्ग पर कितना खर्च हुआ अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) जी हां। सड़क की हालत खराब है।

कुशलगढ़-बांसवाड़ा सड़क पर पुलों का निर्माण

६०३. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ से बांसवाड़ा सड़क पर भूरा कुआ व सरसिया पाड़ा के नालों पर पुल बनवाने के लिये कोई टेण्डर मंजूर हुए हैं ?

(२) क्या सरकार इन पुलों का शीघ्र निर्माण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

मशीन टूल फैक्टरी, धौलपुर

६०५. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रघुवीरसिंह)

क्या सरकार को विदित है कि भारत सरकार द्वारा मशीन टूल फैक्टरी, धौलपुर में लगाई जा रही ? अगर हां, तो राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार यह स्कीम कब तक क्रियान्वित हो सकेगी ?

उत्तर

धौलपुर में मशीन फैक्टरी की स्थापना की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

पंचायत समिति कामां और नगर के काश्तकारों को सिंचाई के लिए बिजली

९०९. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा पहाड़ी और कस्बा जुरहड़ा को बिजली की लाईनों से पंजाब के कस्बा पूनाहना और कस्बा बींबां से मिला दिया गया है ? यदि हां, तो राजस्थान के उक्त दोनों कस्बों में बिजली के कनेक्शन कब तक दिये जावेंगे ?

(२) क्या यह सही है कि कस्बा सीकरी की जनता ने भी पहाड़ी से गोपालगढ़ होती हुई पंजाब वाली बिजली के लिये मांग की है ? यदि हां, तो कस्बा सीकरी को कब तक बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति कामां और नगर के काश्तकारों ने कुओं से सिंचाई करने के लिये बिजली की मांग की है ? यदि हां तो अब तक कितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं और उनका कब तक बिजली सप्लाई कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) पहाड़ी से बींबां तक की जुरहड़ा से पुनाहना तक की एच० टी० लाइन तैयार है, लेकिन पंजाब सरकार से कनेक्ट करने की कोई मंजूरी अभी नहीं आई है। मंजूरी आने पर कनेक्ट कर दिया जायगा।

(२) सीकरी को बिजली देना अभी निश्चित नहीं हुआ है।

(३) कामां पंचायत समिति से अकाल गांव के लिये कुछ दरख्वास्तें हमारे पास आई हैं लेकिन नगर पंचायत समिति से कोई दरख्वास्त नहीं आई है। अकाता से कामां तक पानी आजाने की वजह से फाइनल सर्वे नहीं हुआ है।

बांसवाड़ा-कुशलगढ़ सड़क पर डामर कार्य

९१५. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बांसवाड़ा से कुशलगढ़ सड़क को डामर रोड बनाने का ठेका कब किसको किस शर्त पर दिया गया ?

(२) उक्त सड़क पर कितने मील तक डामर का कार्य हो चुका है और कितना कार्य करना अभी शेष है ? क्या अभी कांक-रीट रोड बनाना बाकी है ?

Page No 36

(श्री हरिभाई)

(३) क्या यह सत्य है कि गत साल उक्त सड़क पर डामर के ढोल पहुंचे थे और डामर पिघल कर काफी तदाद में खराब हो गई? यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हुआ और इस नुक्सान का कौन जिम्मेवार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है?

(४) अब उक्त सड़क का कार्य कब तक पूर्ण होने की आशा है?

उत्तर

(१) उक्त सड़क पर डामर का कार्य श्री ईश्वरलाल जोशी को दि० ५-२-६२ व श्री देसाई कोठारी कन्सट्रक्शन कं० को १०-६-६३ एवं श्री विश्वकर्मा सहकारी समिति लि० कुशलगढ़ को दि० २१-१२-६४ को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फार्म नं० ६४ मेन्युअल ऑफ आॅर्डर खंड-२ के शर्तों के अनुसार दिया गया है।

(२) डामर कार्य ३ मीलों में तथा रिमेटलिंग का कार्य ८ मीलों में पूर्ण हो चुका है। जी हां।

(३) जी हां। डामर मिल कर खराब नहीं हुई है। प्रश्न नहीं उठता।

(४) आशा है चतुर्थ योजना तक।

(१२. १५ म. प.)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विषयक

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे कल ले लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): इसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आ गई हो तो उसकी एक प्रति हमें भी दी जाय तो बैटर रहेगा डिस्कशन ज्यादा ठीक कर सकेंगे। उस कमेटी में हम भी थे।

(१२. १६. म. प.)

रामदेव मेले में बिना लाइसेन्स की जीप से हुई दुर्घटना विषयक वाद-विवाद

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, दो महिलाएं सदन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनके साथ ज्यादती हुई है।

रामदेव मेले में बिना लाइसेन्स के जीप चला कर उसके हस्वेण्ड को और लड़के को क्रश कर दिया और बहुत से लोगों को औरों को भी घायल कर दिया। और भाग गये जीप वहीं छोड़ कर।

इस सम्बन्ध में पुलिस ने भी न तो उन महिलाओं की एफ. आई. आर. दर्ज की है और न अन्य कार्यवाही की है। यहां तक कि उनके कपड़े थे जो थानेदार ने लिए थे जो सुबुत थे उनको भी थाने के बाहर फेंक दिये हैं और इसके अतिरिक्त डाक्टर ने इस मामले को इस प्रकार से चेन्ज करने की कोशिश की है

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि आया पत्थर से टकरा कर उनका सिर फूट गया हो और मरगये हों उससे। इस मामले को लेकर कल से सदन के सामने ये महिलाएं भूख हड़ताल पर हैं और बाल्मिकी समाज की ओर से दो तीन दिन पहले इस बारे में प्रदर्शन भी हो चुके हैं।

इसलिए अर्ज करू कि इस सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव मूव किया है। मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। इसके पीछे प्रभावशाली लोग हैं। वे बाकायदा लोगों को डरा धमका कर इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी सुबूत और किसी प्रकार की चीज उनके पक्ष में न हो जावे। बल्कि यहां तक कोशिश हो रही है कि कोई इस मामले में आवाज उठाता है तो उस पर वहां की पुलिस और थानेदार झूठे केस बनाने तक का प्रयत्न कर रहे हैं। काफी एक शक्तिशाली लोगों का दल उस गरीब को कुचलने के पीछे हैं। गरीब भंगी मारा गया और इसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं इतना निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य ने भी यह बात मेरे सामने रक्खी थी और इस सम्बन्ध में एक डेपूटेशन भी मिला था और उनके मिलने के बाद जो कुछ करना था उसके बारे में गंगानगर के एस. पी. को स्वयं जांच करने के बारे में मैंने आदेश दे दिये थे और इस समय जांच हो रही होगी।

मैं समझता हूँ कि जो यहां बैठे हैं वे वहां जानकारी देकर जो कार्यवाही करने की हो उसमें सहायता दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने इस जांच के लिए आदेश दे दिये। पर मेरी जानकारी के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे पुलिस और बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो मिल कर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट के एस. पी. से ऐसी स्थिति में जांच आप करवायें तो भय है कि इस मामले की असलियत सामने ही न आवे ऐसी स्थिति में अच्छा यह होता कि आप जयपुर से किसी अधिकारी को भेज कर यह जांच करवाते को ठीक रहता अन्यथा उन लोगों को इनफ्लुएन्स से दबाया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : राजस्थान के किसी सी. आई. डी. अफसर से करवाते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे से जब ये मिले और डेपूटेशन भी मिला और उनको जब किसी अधिकारी को वहां भेजने के लिए कहा तो उनको खुद को ऐतराज नहीं था। इसलिए इसी अधिकारी को रेफर किया। अगर उस समय वे कहते कि नहीं, इसको नहीं, वहां के किसी अधिकारी के नीचे यह जांच न सौंपी जावे तो शायद यह भी सोचने को मैं तैयार हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाता कि उसकी जगह किसी और को कहा जाता क्योंकि उनके साथ जो हुआ है निष्पक्ष दृष्टि से उसकी जांच हो इसमें किसी प्रकार की हमारे दिमाग में हिचकिचाहट नहीं है। जांच होने के बाद जो फैक्ट सामने आ जावें उसके बाद भी उन पर सोचा जा सकता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपसे मैं मिला उसे दस बारह दिन का समय हो चुका है और उससे पहले डेपूटेशन को मिले भी पांच छ दिन हो गये। इस तरह इस वाकये को पन्द्रह बीस दिन का समय गुजर चुका है। सूचना आज दिन तक की जो है उस पर से निवेदन करना चाहता हूं कि एस. पी. ने कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है, न वह सूरतगढ़ गया है और न जानकारी हासिल करने का कोई प्रयत्न किया है।

बल्कि इसके विपरीत इन्सपेक्टर घूम घूम कर भंगियों की बस्ती में लोगों को दिन दहाड़े धमका रहा है और टेरीफाई कर रहा है। उसने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ शहादत दी तो मैं बुरी तरह से पेश आऊंगा और इन १५-१६ दिनों में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और थानेदार को पूरी छुट्टी है कि वह सबूतों को दबाये।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : इस सिलसिले में मुख्य मन्त्री जी ने अपनी तरफ से आज से करीब १५ दिन पहले वहां पर एस० पी० को लिख दिया और उन्होंने अभी तक किसी तरह का जवाब नहीं दिया। वस्तु स्थिति यह है कि वहां जो कार्यवाही पहले कर ली गई वह कार्यवाही विपरीत कर ली गई और कहलाते यह हैं कि मोटर के ड्राईवर ने एक्सीडेन्ट किया है। अब गलत कार्यवाही हो गई तो उसको छुपाने के दृष्टिकोण से वहीं के ऊपर के अधिकारी कोई जांच नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि वह महिला जिस दिन मिली उसके साथ आदमी भी थे तो उनको आफर किया था कि कुछ पैसे ले लें और इस मामले को निपटा लो। क्योंकि उसके पति की बड़ी निर्दयतापूर्ण मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने मारा या जिसकी वजह से एक्सीडेन्ट हुआ है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि अब पुलिस ने और दूसरे अधिकारियों ने गलत कार्यवाही कर दी, इनफरमेशन गलत है तो ऊपर से किसी अधिकारी को भेजकर सही स्थिति का पता लगायें तब तो ठीक है वर्ना वहां से गलत कार्यवाही हो चुकी है इसलिये सारे मामले में आपके कहने के बावजूद भी १५ दिन में आपको रिपोर्ट नहीं मिली इसलिये जैसा माननीय श्री भैरोंसिह जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी किसी को यहां से भेजकर जांच करवायें कि वह ड्राईवर कौन था, किसने एक्सीडेन्ट किया इसका पता लगायें तो ठीक है नहीं तो सारा मामला फिर दब जायेगा।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, जैसा निवेदन किया कि असिलियत जानने का और दोषी को सजा देने के बारे में मुझे किसी प्रकार का एतराज नहीं है। यह मानकर चलना कि एस० पी० से भी मिले हुए हैं और सही जांच नहीं होगी तो ऐसा मानने का कारण नहीं होना चाहिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और एक सब-इन्सपेक्टर की लेवल की शिकायत के बाद कई लेवल आते हैं; यह काम एक सीनियर ऑफिसर को सौंपा है। अब तक क्या किया है क्या नहीं किया है इसकी और जानकारी कर लूंगा लेकिन हमें उन्हें काम सौंपना चाहिये क्योंकि वह खुद अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम करे वह उपयुक्त होगा। यहां से किसी सीनियर आदमी को भेजने की परम्परा जहां तक कम हो सके ज्यादा अच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास : १५ दिन हो गये हैं आप रिपोर्ट मंगाकर जवाब दीजिये।

(१२.२४ म. प.)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५।

(अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६५।

(विराम)

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि खण्ड ३,४,७,१४,१७ और २० स्वीकार किये जा चुके हैं। जो शेष खण्ड हैं उनके ऊपर अब विचार होगा। खण्ड २ इस पर एक संशोधन है।

[खण्ड २ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुये—

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली)

Part (b): In new clause (cc) sought to be inserted in section 2, omit the expression "whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or protit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern"

2, Part (b): Omit part (ii) of new clause (cc) sought to be inserted in seetion 2.

3. (1) In the amendment proposed by the minister-in-charge, insert the words 'with or' between the words 'carried on' and 'without':

(2) add the following new sub-clauses after sub-clause (ii):—
"(iii) Any trade association in the performance of its functions for achieving its avowed objects; (iv) an Industry, where such sales are of out dated Machineries and of capital goods".

श्री परसराम मदेरणा, (उपमन्त्री)—

4. In sub-clause (b), in the definition of the word "business", and the following as a separate para at the and, namely:—

"but does not include activities of sale, supply or distribution of goods carried on without any profit motive by—

(श्री परसराम मदेरणा)

(i) any charitable or religious institution in the performance of its functions for achieving its avowed objects; and

(ii) an educational institution, where such sale, supply or distribution is made to its students".

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)–
5. In view of the proposed amendment in the definition of 'Business' by the Minister-in-charge the proposed clause (cc) be replaced by the following:—

(cc) 'business' means any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in its nature by a dealer whether or not carried on with the view to make gain or profit and whether or not and profit accrues therefrom and all and every transactions in connection with, or incidental and ancillary to such business ;

Provided that any person or class of persons or institution whether charitable, religious or educational w hose avc wed object is other than business shall not be included herein".

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :
6. Part (b) : In new clause (cc) sought to be inserted in section 2, omit the expression, "whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern".

श्री सम्पखिलाल बोहरा (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक आपत्ति है। इस बिल को लेने के पहले इस राजस्थान टैक्सेशन अमेन्डमेंट बिल में सेल्स टैक्स की सिर्फ १४ क्लॉजेज़ थीं जो कि राज्य सरकार ने गवर्नर से सेंक्शन लेकर विधान सभा में पेश किए उन १४ क्लॉजेज में से २ तो ऐसे थे जिनमें एक बार चेन्ज हुआ है बाकी के १२ में से ६ अमेन्डमेन्ट्स ऐसे थे कि जिनमें सरकार ने फिर अमेन्डमेन्ट किए हैं। एक में अमेन्डमेन्ट स्वीकार कर लिया है और एक दो और स्वीकार कर लिये हैं। इसलिए इस सेल्स टैक्स के सिर्फ १४ क्लॉजेज़ हैं वे १४ के १४ जो कि कान्सीक्वेन्शल अमेन्डमेंट हैं उनको छोड़ दें तो सारा का सारा बिल एक तरह से चेन्ज हो गया है और जो चेन्जेज हुई हैं वह इतनी कन्ट्रोवर्शियल हैं कि आज गवर्नमेंट भी इससे परेशान हो रही है कि हमने किया वह कैसे क्या हो गया है ? तो आज यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, कि स्टे की पावर्स के पीछे सबसे ज्यादा झगड़ा था। गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी बिल लाकर यह कहना चाहा कि वह जल्दी से जल्दी पास करा लें। अगर बिना देखे पास करा लेते तो बहुत सी कन्ट्रोवर्सी रह जातीं। अपील में स्टे कर सकते हैं और उसमें लिखा है कि यदि अपीलेट कोर्ट के पास अपील पेन्डिग हो तब कमिश्नर के पास स्टे के लिए जा सकते हैं।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

इसका सीधा सादा अर्थ होगा कि ६० दिन अपील की मियाद होती है और उसके बीच में वह नहीं जा सकता और ६० दिन में वह रिकवरी कर लेंगे। इसी तरह से रेवेन्यू बोर्ड के पास पावर्स हैं कि यदि रिवीज़न में हो तो स्टे ले सकते हैं। Revision is lying in the Revenue Board. तब आप अपील कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसमें यह होगा कि सबसे पहले अपील डिप्टी कमिश्नर के पास जायेगी और उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड के पास जायेगी और वहां जाने के लिये साल, डेढ़ साल लगेगा तब तक रिकवरी के लिये कहीं जा नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में जो कानून आज लाया गया है वह और डिफिकल्टी क्रियेट कर रहा है बनिस्पत इससे कि हम रिलीफ चाहते थे यह और दिक्कत पैदा कर देगा।

माननीय उप-वित्त मन्त्रीजी ने जो अमेन्डमेंट मूव किये हैं उनसे डिफिकल्टीज साल्व होने के बजाय और बढ़ गई। जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला है उन्होंने कहा कि दो मेम्बर रखेंगे यदि एक मेम्बर से नाराजगी हो तो दो मेम्बर के पास अपील कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं हो रही है। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि डबल मेम्बर बेन्च तो कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी इसलिए केसेज़ का डिस्पोज़ल और कम हो जायेगा। इसलिए पुराना प्रावधान ही अच्छा रहता और इसी दृष्टि से बहुत से क्लॉजेज़ में बहुत सी बात और खास तौर से १५(ए) के बारे में उदाहरण देकर कहूंगा कि १८-२-६५ को जिस प्रकार की ज्यादती मांगीलाल के साथ हुई है—वह घासीराम मांगीलाल का केस अकेला नहीं है बल्कि बहुत से केसेज़ हैं। १८-२-६५ को एक असेसमेंट किया और ५० हजार का टैक्स लगाया और सिर्फ इस बात पर कि 'रिट लेट बाई डेज़' २५ हजार की पेनल्टी लगाई....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य जो पहले भी भाषण कर चुके हैं उन्हीं जिन मुद्दों के ऊपर आज किस मकसद से यहां फिर वही बात कहना चाहते हैं Are you now raising a constitutional issue ?

मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि जो भी अमेंडमेंट्स लाये गए हैं वे आप की भावनाओं की कद्र करते हुए लाये गए हैं और आपके दिमाग में जो सिंगल बेंच की बात आ रही है यह 'आफ्टर थाट' है। ऐसी बेन्च दो मेम्बर्स की होनी चाहिए ऐसा अमेंडमेंट आपने दिया है लेकिन उसके बाद में जिस तरह का रिप्रेज़ेन्टेशन होता रहा है वह टैक्स कन्सलटेन्ट्स एसोसियेशन हम से भी मिला था और आपसे भी मिला होगा आप पहले दो मेम्बर के bench की बात कह रहे थे. और फिर अब एक की कह रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें रिलीफ नहीं दी गई है यह गलत है। पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्टे की पावर्स रिवीज़न में नहीं थी अब रिवीज़न के वक्त स्टे की पावर्स रखी है। उसके साथ ही साथ बिज़नेस की डेफीनेशन में जो संशोधन किया है यह भी माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए किया है। इसी तरह से दूसरे अमेन्डमेंट्स भी किये गए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय

Page No 42

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों ने यहां कहा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर्स वालेन्टरी किया जाना चाहिए। इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है तो उसका भी प्रावधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो स्थिति यह है कि जो बातें वहां पर कही गई उनको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट्स यहां पर लाये गये हैं और वे अमेंडमेंट्स सिर्फ ५ क्लॉजेज में आये हैं। कुछ तो कान्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट्स हैं और कुछ दूसरी नेचर के हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से पूरे बिल को री-कास्ट किया गया है यह बात सत्य नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं यही कहना चाहता था.........

श्री अध्यक्ष : यह सारी बहस की इस समय आवश्यकता नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं सिर्फ ५ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। रेवेन्यू बोर्ड की पावर्स दी हैं वहां नीचे लिखा है कि रेवेन्यू बोर्ड असेसिंग ऑथोरिटी की सेटिस्फेक्शन पर स्टे दे सकेगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब स्टे दे सकता है जब रिवीज़न रेवेन्यू-बोर्ड में लाई करती हो। पहले डिप्टी कमिश्नर के पास लाई करेगी वह फैसला करेगा तब रिवीज़न में जायेगी और डिप्टी कमिश्नर अपील का फैसला साल दो साल में देगा तो ओरीजिनली जो पावर्स हैं जिनके पास पहले अपील जायेगी उसकी तो कह रहे हैं कि हम तुमको पावर्स नहीं दे रहे हैं, हम स्टे नहीं कर सकते और दो साल बाद रिवीज़न में अपील जायेगी तो कहते हैं रिवीज़न ऑथोरिटी कर सकती है। उसमें अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट है कि असेसिंग ऑथोरिटी के सेटिस्फेक्शन पर बात होगी वह कभी नहीं हो सकती। जैसा कि सी० एम० काल के केस में हुआ। उसमें ३ बार मिक्योरिटी रिजेक्ट की और इस तरह के कानून बनाकर इस तरह के पावर्स देना चाहते हैं कि असेसिंग ऑथोरिटी हरेसमेंट करे, बिना रीज़न्स के करे। आपको आश्चर्य होगा कि इतनी पावर्स इनकी बढ़ गई हैं कि असेसिंग के पास कुछ नहीं था तो ४ गधे पकड़ लाये अटेचमेन्ट में और अभी इस एक्ट के आने के बाद २८-३-६५ को यह लिखा है:............

आज दि० २८-३-६५ को मैं नौरतमल अग्रवाल वाणिज्य कर निरीक्षक, अजमेर शहर, सहायक वाणिज्य कर निरीक्षक, वार्ड 'सी' अजमेर शहर के आदेश सं० ६६६ दि० २६-३-६५ के पालनार्थ मेसर्स धरमचन्द प्रहलाद चन्द लाइम डीलर, रावन की बगीची अजमेर के यहां पहुंचा। श्री धरमचन्द गणेशजी मालिक फर्म धर्मचंद प्रहलाद चन्द मौके पर मौजूद मिला। २६८०)४२ नं० पै० बाबत सेल टैक्स बकाया रकम देने से इन्कार किया और निम्नांकित माल मौतबिरान की मौजूदगी में सरकार के सुपुर्द किया जिसकी फर्द बनाई जाकर मौतबिरान के दस्तखत करवाये गये।

१. रेडियो सैट एक।

२. गधे चार।

दस्तखत–नौरतमल अग्रवाल

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): वहां पर गधों की बहुतायत होगी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : जिसकी जो प्रापर्टी होगी वही अटेच होगी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप तो मूवेबल और इम्मवेबल सब लेने लग गये। थोड़े दिनों बाद तो आप बच्चों और औरतों को उठा लायेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : आप गधों के साथ बच्चों और औरतों को नहीं मिलायें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : राजस्थान में आपने ऐसे कितने गधे पकड़ रखे हैं। इन गधों को खिलाने पिलाने का कोई प्रोवीजन है क्या ? आपने इनके लिए रुपया कहां से खर्च किया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : गधों का इन्तजाम नहीं होता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : फिर पकड़ क्यों लाये ?

श्री मुरलीधर व्यास : इन्तजाम नहीं है तो पकड़ा क्यों ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): आपके कैसे हो गये ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह तो गधों की बात है। आदमी तक मर जाते हैं। मांगीलाल के केस में मैंने सरकार से मांग की थी कि आप निडर हों तो निष्पक्ष जांच की मांग स्वीकार करें लेकिन उन्होंने उसको मन्जूर नहीं किया। सुरानाजी ने मांग की थी कि एक निष्पक्ष ऑफिसर से जांच करायें लेकिन वह भी मन्जूर नहीं की। मैं यह भी इस सदन में कहता हूं कि स्वयं मदेरणा जी इन सारे कागजों को मंगाकर जांच कर लें और मालूम पड़े कि अधिकारी दोषी है कि नहीं वह सदन को बता दें। यदि अधिकारी दोषी पाया जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

आज प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि डिप्टी कमिश्नर को अपील के स्टे के पावर्स नहीं दिये तो क्यों नहीं दिये ? इसलिए कि डिप्टी कमिश्नर की अपील है उसने एक केस में चार-बार स्टे दिया। बार-बार दिया और इन्होंने रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट इस बेसिस पर किया है कि कमिश्नर के कहने पर। उसके खिलाफ अपील रेवन्यू बोर्ड के पास गई तो रेवेन्यू बोर्ड का फैसला है ४-३-६५ का उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।—

'These revisi ons aiscout of a common list that either the Deputy Commissioner (Sales Tax)' Appeals has refused to grant stay on the plea that he has no power to grant stay as per provisions of amended section 13 of the Rajasthan Sales Tax Act, or the stay granted by the Deputy Commissioner, Sales Tax (Appeals) has not been complied by the assessing authorities on the plea that they have received instructions from the Commissioner, Excise & Taxation, not to enforce the stay gran-

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

ted by the Deputy Commissioner, Sales Tax (Appeals)."

यानी कमिश्नर ने इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर ने स्टे ग्रान्ट दिया है उसको एन्सफोर्स नहीं किया है और चार-चार बार दिया। इसलिए वे अपील में गये और अपील का यह फैसला है।

श्री बालकृष्ण कौल : पाइंट आॅफ इन्फर्मेशन। यह बहस किस चीज पर हो रही है। चार क्लॉजेज पास हो चुकी हैं और क्लॉज बाई क्लॉज बिल शुरू हो चुका है। अब क्या यह आपत्ति है कि सारा बिल चैन्ज हो गया इसलिए नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : "Where an act confers a jurisdiction, it impliedly also grants the power of doing all such acts, or employing such means, are essentially necessary to its execution. On jurisdiction explicari non-potuit. It seems axiomatic that where the legislature invests an appellate Tribunal with powers to prevent an injustice, it impliedly empowers it to stay the proceedings, which may result in causing further mischief. In such cases the refusal to stay the proceedings may make the appeal itself nugatory, if a reassessee file an other and costly appeal. A view of law which leads to such overous results is prima facie untenable. It would appear highly undemocratic and unconstitutional in a welfare State like ours to question powers of an appellate court which is the foundation of justice. It is, however, a matter of gratification that the Commissioner has now also granted the power of stay which is an extra relief that has been given to the assessee...... I have, therefore, no hesitation in holding that the Dy. Commissioner Appeals is a court under the Rajasthan Sales Tax Act and he can grant stay of recovery of tax till the disposal of the appeal pending before him."

इस प्रकार का डिसीजन रेवेन्यू बोर्ड ने दिया है और उस डिसीजन को खत्म करने के लिए अपीलेट कोर्ट को पावर्स नहीं हीं और सरकार के पास में अपील पेंडिंग करती है तो कमिश्नर के पास जा सकता है और डिप्टी कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकता तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो प्रोवीजन जो धाराओं में कन्फिलिक्ट है एक तरह से जो भावना व्यक्त की गई थी और जिस भावना का आदर करके चाहिए था रिलीफ देना वह वास्तव में रिलीफ नहीं मिला है और उलटा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एक्ट में ऐसा एक भी कानून नहीं है जिससे टैक्सेज एफेक्टेड होते हैं, जिससे टैक्सेज पर कोई असर पड़ता हो। इसलिए इस कानून को डेफर्ड कर दें आप और काम एण्ड कूल माइण्ड से सोच कर रिड्राफ्ट करके पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री, कर) : अध्यक्ष महोदय, बस इतना ही कहना इस वक्त ठीक होगा कि बहुत कूल माइण्ड से सोचने के बाद राज्य सरकार यह एमेंडमेंट लाई है और राज्य सरकार ऐसा मुनासिब समझती है कि जो कुछ एमेंडमेंट राज्य सरकार ने रखे हैं वे माननीय सदस्यों की भावना को देख कर रखे हैं। उसके आगे अगर आप किसी प्रकार का और कन्सेशन चाहते हैं तो मैं समझता हूँ यह उचित नहीं होगा। मेरे लिए कहने का कुछ नहीं है क्योंकि आपके एमेंडमेंट हैं और उस वक्त आप बोलेंगे क्लॉज बाई क्लॉज पर बोलेंगे उसको। मैं आपके विचारों को मैं सुनूंगा और सुनने के बाद कोई ऐसा पाइंट एराइज होता है कि जिस पाइंट को राज्य सरकार यह समझे कि यह वाजिब पाइंट है और कोई एमेंडमेंट स्वीकार होना चाहिए तो वह उसी स्टेज पर देखा जायगा। राज्य सरकार ने जनरल डिबेट पर जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त कीं उसको देख कर एमेंडमेंड लाने चाहिए थे और वह ले आई भी है। रहा सवाल कि किस को स्टे किया है वह कहां स्टे हो सकता था वह रेलेवेन्ट क्लॉज पर कहा जाता तो उचित था। समझता हूं कि अब यह बिल क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाना चाहिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय अध्यक्षजी, जो माननीय उपमंत्री जी ने बयान दिया है कि एमेंडमेंट पेश करने के बाद में उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्लॉज १५ ए का जो नया सेक्शन इसमें जोड़ना चाहते हैं और अब आपने जो विभिन्न खण्डों में जो विभिन्न संशोधन किये हैं उसको मद्दे-नजर रखते हुए धारा १५ ए में जो नई बात जोड़ना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि धारा १५ ए जो कि आपने पेश की है जो कि हम लोगों को सर्क्युलेट हुआ है उसमें तो रेवेन्यू बोर्ड कोई स्टे नहीं देगा। इस तरह का प्रोवीजन रखा है और आपने जहां धारा २४ में संशोधन किया है तो उसमें सरकार ने यह स्वीकार किया है कि धारा १४ में निगरानी सुनते वक्त रेवेन्यू बोर्ड उसमें कोई भी स्टे दे सकता है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से जो धाराएं पेश हुई है सदन में वे धाराएं एक दूसरी से कन्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिए क्लॉज बाईक्लॉज कन्सीड्रेशन हो, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उसी पर सारी डिटेल्ड बहस की जायगी तो मेरा निवेदन यह है कि वह धारा बिल्कुल कन्ट्राडिक्टरी है जिसको कि आपने सारे एक्ट में जब कि अलग अलग टुकड़ों में बांट कर अलग अलग धाराओं में जोड़ दिया है इसलिए धारा १५ ए के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा १५ ए को यह बहस शुरू हो उससे पहले विद्ड्रा कर लें। तीसरी बहस काफी नियमित आ जायेगी और रेग्युलेट करने में बड़ी सहूलियत रहेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सवाल यह है कि डिप्टी कमिश्नर को स्टे करने का अधिकार नहीं है ठीक है, आपने रखा, लेकिन इसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न दूसरा है। धारा १५ ए के बारे में स्पेसिफिक बात कही गई है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज ११ के द्वारा नई धारा एक्ट में १५ ए जोड़ी गई है जैसा कि कोलायतसे आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इस धाराके कुछ प्रोविजन्स दूसरे क्लाज में डाल दिये गये हैं यह बात सही है। इसका मतलब यह हुआ कि धारा १५ (ए) को डिसमेन्टल कर दिया गया है, कुछ रिवीजन के cluase में चली गई, कुछ कमिश्नर को स्टे की पॉवर दिए हैं वहां चली गई इसलिये इसको विद्ड्रा करने का प्रश्न नहीं उठता। जिस वक्त यह क्लॉज विचारार्थ आयेगा देखा जायगा इस लिए मैं इस स्टेज पर इसको विद्ड्रा नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का एक संशोधन और है।

श्री परसराम मदेरणा : clause 2 in sub-clause (b) in the definition of the word 'business' add the following as a separate para at the end, namely:—

"but does not include activities of sale, supply of distribution of goods carried on without any profit motive by—

(i) any charitable or religious institution in the performance of its functions for achieving its evowed odjects; &

(ii) an educational institution, where such sale, supply of distribution is made to its students."

अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट मैंने जो प्रस्तुत किया है वह क्लॉज़ २ में है। इसमें 'बिजनेस' की डेफिनेशन का प्रावधान है। बिजनेस की डेफिनेशन के बारे में जिस वक्त बिल के प्रिन्सिपल्स पर बहस हो रही थी उस समय कई माननीय सदस्यों ने यह जाहिर किया था कि जो रिलीजियस चेरिटेबल और एज्युकेशनल इन्सटिट्यूशन्स हैं वे अपनी एक्टिविटीज में सप्लाई, डिस्ट्रिब्युशन या सेल ऑफ गुड्स बिना प्रोफिट के करते हैं तो ऐसी संस्थायें बिजनेस की डेफिनेशन के पर्व्यू में नहीं आना चाहिये। उनके इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए मेरे अमेन्डमेन्ट का मकसद यह है कि वे इस प्रकार के इन्सटिट्युशन्स, इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, विदाउट प्रोफिट मोटिव के करते हैं तो उनको बिजनेस से एक्सक्ल्यूड किया जा सकता है। मैं यह जो अमेन्डमेन्ट लाया हूं वह माननीय सदस्यों की इच्छा थी उसके अनुसार लाया हूँ। राज्य सरकार की पहले भी उन्हें टैक्स करने की कत्तई इच्छा नहीं थी फिर भी यदि वे अपनी एक्टिविटीज इस प्रकार से चलाते हैं तो किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहे इसलिये मैं यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'नो प्रोफिट नो लोस' बेसिस पर जो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं वे इसके परव्यू में आयेंगी या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं आयेंगी। बशर्ते वह चेरिटेबल व रिलीजियस सोसाइटी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं ग्रायेंगी ? जिनके उद्देश्य में लिखा है गाँव के लोगों की सेवा करना, जो सर्विस कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो प्रोफिट नहीं लेकर लाखों रुपयों का धंधा करती हैं वे आपने जो भावना व्यक्त की है उसमें नहीं ग्रायेंगी लेकिन जो कानून पेश किया है उसमें आयेंगी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कानून में लिखा है कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी धंधा करे या न करे उसको प्रोफिटेबल माना है।

श्री परसराम मदेरणा : जो डीलर की डेफिनेशन है सेक्शन २ सब सेक्शन (एफ) जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है हमने स्पेसिफकली मेनशन किया है कि कोई सोसाइटी इन्क्ल्युडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी firm or association if buys goods or sells supplies or distributes goods to its members;

इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी ईवन विदाउट प्रोफिट मोटिव के काम करती है तो भी 'बिजनेस' की डेफिनेशन में आयेगी ग्रौर उसका टर्न ग्रोवर टैक्सेबल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न बहुत साफ है, भाषण में ज्यादा नहीं देना चाहता। ग्रापने कहा कि कोई सोसाइटी बिना प्रोफिट मोविट के काम करेगी उसको आप चाहते हैं कि एग्जेम्प्शन दे दिया जाय प्रोविजो डाल कर। मैं यह कहता हूं कि ग्रापकी भावना की पूर्ति इस प्रोविजो से इस लिये नहीं होती है कि उनको यदि आप एक्सक्ल्यूड नहीं करेंगे, जो इन्सटिट्युशन्स विदाउट प्रोफिट काम कर रहे हैं एक पैसा भी नहीं लेते ऐसी भावना से काम करने वाली कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जयपुर शहर में उपभोक्ता भंडार खुले हैं। मुहल्ले के ग्रच्छे आदमियों ने मिल कर शक्कर का वितरण अच्छी तरह से करने के लिये चार ग्राना, आठ आना मेम्बरशिप के लेकर उपभोक्ता भंडार खोले हैं केवल इसलिये कि हमारे मुहल्ले के लोगों के लिये शक्कर की व्यवस्था हो जाय और मुनाफे के तौर पर एक पैसा उनको नहीं मिलता, वे ऐसा धंधा करने वाले हैं वे आपकी जानकारी में हैं। प्रोफिट मोटिव से काम करने वालों का एग्जेम्प्शन नहीं किया जाय तो कोई बात नहीं लेकिन इससे आपकी भावना की पूर्ति होती है या नहीं ! मेरी मान्यता है कि यह प्रोविजो आपने क्लॉज (२) में एड किया है आपकी स्वयं की भावना जो ग्रापने व्यक्त की ग्रौर जिस भावना से आप संशोधन लाये हैं उसकी पूर्ति इससे नहीं होती।

श्री परसराम मदेरणा : जो ग्रमेन्डमेन्ट मैंने मूव किया है उससे राज्य सरकार के इन्टेन्शन की पूर्ति होती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आज अन्नपूर्णा होटल है सेक्रेटेरियट में वह 'नो प्रोफिट नो लोस' बेसिस पर चलता है। उनको हमने एग्जेम्प्शन दिया है यह जानते हुए कि ये विदाउट प्रोफिट के काम करते हैं तो भी टैक्सेबल हैं इसलिये यह कहना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एग्जेम्प्ट करने का प्रश्न ग्राता है, ठीक नहीं है। लेजिस्लेचर की मंशा साफ है। कोऑपरेटिव सोसाइ-

(श्री परसराम मदेरणा)

टीज बिदाउट प्रोफिट भी काम करती हैं तो भी वे टैक्सेबल हैं. उन पर टैक्स लगेगा। ऐसी सोसाइटी जो एज्युकेशन इन्सटिट्यूशन की तारीफ में नहीं आती है उसका ऐसा केरेक्टर नहीं है तो निश्चित तौर से रिलीजियस, चेरिटेबल और एज्युकेशनल इन्सटिट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आयेगी। जो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज रिलीजियेस चेरिटेबल और एज्युकेशनल उद्देश्य की हैं तो वे बिजनेस की डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट होगी अन्यथा हर प्रकार की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज एग्जेम्प्ट नहीं होगी, एक्ट में साफ है, लेजिस्लेचर की मंशा साफ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय मंत्रीजी ने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसकी जगह मैंने एक दूसरा संशोधन क्लॉज २ में पेश किया है, मैं अपना उक्त संशोधन मूव करता हूं उसके वर्डिग्ज ये हैं। जो डेफिनेशन बिजनेस की रखी है उसके स्थान पर मेरा यह संशोधन है :

"(cc) 'business' means any trade, commerce or manufacture or any adventure on concern in its nature by a dealer whether or not carried on with the view to make gain or profit and whether or not any profit accrues therefrom and all and every transactions in connection with, or incidental and ancillary to such business :

Provided that any person or class of persons or institution whether charitable, religious or educational whose avowed object is other than business, shall not be included herein."

मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने चेरिटेबल, रिलीजियस और एज्युकेशनल इन्सटिट्यूशन्स को जिनका मोटिव प्रोफिट कमाना नहीं है उनको तो इस क्लाज से बाहर किया है स्पेसिफिकली क्योंकि जनरल बहस के समय तीन चार उदाहरण सोफिया स्कूल और दूसरों के दिये गये थे वे चेरिटेबल और एज्युकेशनल इन्सटिट्यूशन्स से सम्बन्धित थे। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके एग्जम्पशन को सरकार ने एप्रिशियेट किया है और नेसेसरी एग्जम्पशन लाये हैं लेकिन जो उदाहरण दिये गये थे उनके अलावा भी कई बोडिज हो सकती हैं जो चेरिटेबल, रिलीजियस और एज्युकेशनल की तारिफ में नहीं आते। जो बोडिज और इन्सटिट्यूशन्स व्यापार नहीं करना चाहते और उनका उद्देश्य दूसरा है लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये व्यापार करने के लिये मजबूर हो जाते हैं या उनको व्यापार करना पड़ता है उनकी पूर्ति नहीं होगी इसलिये मैंने प्रोविजो डाला है :

"Provided that any person or class of persons or institution whether charitable, religious or educational whose avowed object is other than business shall not be included herein."

इसलिये यह डेफिनेशन जो मैंने पेश की है वह बहुत वाइडर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वाइडर डेफिनेशन को

Page No 49

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आवश्यकता इसलिये है कि जैसे एक रेड क्रोस सोसाइटी है वह एज्युकेशनल, रिलीजियस और चेरिटेबल तीनों तरह की एक्टिवटिज में नहीं आती हैं, उसके द्वारा यदि कोई चीज बेची जाय, दवाइयां बेची जाय या दूध का वितरण किया जाय तो मैं नहीं जानता कि उस रेड क्रोस सोसाइटी को टैक्स करने का इन्टेनशन सरकार का हो सकता है और हाउस भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की रेड क्रोस सोसाइटी पर टैक्स हो जाय। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि तीन इन्सटिट्यूशन्स के लिये प्रोविजो रखा है उनके साथ और भी बोडिज और परसन्स आ सकें इसलिये आपकी भाषा में इफेक्टिव रूप में संशोधन करने की आश्यकता है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैसूर हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसकी ओर मैं माननीय उप मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह रूलिंग १९६५ जनवरी पेज ३०, सेल्स टैक्स केसेज में रिपोर्ट की गई है। इस विधेयक में जो प्रावीजन है कि डीलर की डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है उसको डीलर मानते हैं और डीलर मानकर उसको टैक्स करना चाहते हैं, इसके बारे में मैसूर की हाई कोर्ट ने होल्ड किया है, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोपरेटिव सोसाइटीज हैं, इस तरह की क्लब्स हैं, इनके सम्बन्ध में कोई भी सेल्सटैक्स एक्ट किसी भी विधान सभा के द्वारा बनाया हुआ हो और उसमें यह घोषित भी कर दें कि यह डीलर की डेफीनेशन में आयेगी, तो उसने होल्ड किया है कि यह विधान सभा के परव्यू के बाहर है। इस तरह के प्रावीजन्स, जो हमने सहकारी समितियों को डीलर मानने के लिए किये हैं, जिसका कि यह उद्देश्य है कि अपने मेम्बर्स में किन्हीं चीजों का वितरण उसे करना है और उस पर कोई मुनाफा कमाने का उद्देश्य नहीं है, उसके लिए मंत्री जी कहते हैं कि उसको डीलर मानेंगे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डीलर की परिभाषा में सहकारी समिति को रख लिया है इसलिए डीलर की परिभाषा को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। क्योंकि जो प्रावधान हमने रखा है उसके लिए हाई कोर्ट ने यह रूलिंग दी है कि जो प्रावधान करके हमने उसको डीलर घोषित कर दिया है वह हमारी शक्ति के बाहर है कि इस तरह का टैक्स लगा दें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरीके से हमने प्रावधान सहकारी समितियों और क्लब्स को टैक्स करने के लिए रखा है। वह कानून के विरुद्ध है और संविधान के विरुद्ध है। इसलिए जो मैंने संशोधन पेश किया है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उस संशोधन को स्वीकार करें।

मैं अन्त में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सेल्स टैक्स अधिकारी पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस दे देते हैं, इंडिया पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ्स को नोटिस दे देते हैं कि क्योंकि वह फार्म और डाक टिकट बेच रहे हैं इसलिए उनको सेल्स टैक्स देना चाहिए। आपके सेल्स टैक्स अधिकारी ने पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस दे दिया कि आप एक रुपये का फार्म बेचते हो,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इस पर सेल्स टैक्स लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कानून में कौनसा प्रावीजन है जो आपके सेल्स टैक्स अधिकारी को इस तरह की एवसर्ड कार्यवाही करने से रोके और उसको यह आदेश दे दे कि जो स्टेटुअरी बोडी है जिसको कानून के द्वारा जो कर्त्तव्य दिये गये हैं उन कर्त्तव्यों का पालन करती है और उसके द्वारा जो क्रेडिट की जाय, जो बिक्री की जाय उसको टैक्स करने की कानून की इन्टेन्शन नहीं है। यह कानून में साफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा यह हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने फार्म्स की बिक्री रोक दी और उस कारण सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो गया। इसके कई कारण हैं उसमें से यह भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यह नहीं चाहता कि वह सेल्स टैक्स अधिकारी के पास अपना सारा खाता ले जाय और उससे जांच कराये। साथ ही अपने आपको एक ह्यूमीलेटिंग पोजीशन में खड़ा करे आपके सेल्स टैक्स अधिकारी के सामने। इसलिए उसने कह दिया कि जहन्नुम में जाय यह बिक्री और सरकार का पैसा, हमें फार्म्स बेचने नहीं हैं और इस कारण जहां सेल्स टैक्स की दो हजार, तीन हजार, पांच हजार रुपये की आमदनी हुई वहां राज्य का एक लाख रुपये का नुकसान कर दिया। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक विचित्र स्थिति होगी, यदि इंडियन पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ्स आपके सेल्स टैक्स अधिकारी की इस कार्यवाही के कारण डाक टिकट की बिक्री बन्द कर दे क्योंकि सरकार डाक टिकटों की बिक्री पर टैक्स मांगती है। मैं समझता हूं इससे एक अजीब पोजीशन पैदा हो जायगी। इसलिए इस सारी पोजीशन को क्लीअर करना चाहिए और जो संशोधन मैंने रखा है, मैं समझता हूं कि सारी स्थिति को वह क्लीअर करेगा इसलिए माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा !

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस की डेफीनेशन के बारे में जब जनरल वादविवाद हुआ था उस दिन मैंने बहुत सारी बातें बताई थीं और बहुत सारे उदाहरण पेश किये थे जिनमें इस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने...

श्री अध्यक्ष : इन तीनों में से कौनसा अमेंडमेंट पेश करना चाहते हैं ? तीनों पेश करना चाहते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दोनों साथ हैं।

श्री अध्यक्ष : साथ कर दीजिये। नंबर, ४,११, और ४१–तीन हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ४,११ और ४१ !

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पहला अमेंडमेंट तो यह है : Regarding definiti on of 'business' :

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

"Whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern."

यह डिलीट किया जाय और बिजनेस की डेफीनेशन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है उसी डेफिनेशन को रखा जाय। इसके बारे में मैं पहले भी काफी उदाहरण पेश कर चुका हूं और उसके कारण आप जो अमेंडमेंट लाये हैं उससे भी जो मन्शा इस बिजनेस की डेफीनेशन को रखने की है वह सर्व नहीं होती है, वह उद्देश्य फलीभूत नहीं होता है। मैंने एक्जाम्पल बताई थी उसमें बताया था कि बिजनेस की डेफीनेशन में कोई इन्डस्ट्री आती है और वह इन्डस्ट्री कान्सीक्यूएन्सली, कोई आउट ऑफ डेट मशीनरी का सेल करती है तो अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई इन्डस्ट्री सारी की सारी बेच दे, तमाम मशीनरी भी बेच दे, कैपीटल गुड्स को सेल कर दे, पूंजीगत व्यापार को बेच दे तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आपकी डेफीनेशन से जो इन्डस्ट्री बिजनेस में आती है उस पर टैक्स लगता है। इसलिए मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है वह यह है :

"An industry where such sales are of outdated machineries and of capital goods."

इसको भी एक्जेम्प्शन मिलना चाहिए। इसी प्रकार मेरा दूसरा अमेंडमेंट है :

"Any trade association in the performance of its functions for achieving its avowed objects."

यानी कोई ट्रेड एसोसियेशन है वह अपने मेम्बर्स को फैसेलिटी देती है, अपने मेम्बर्स को सामान देती है, ट्रेड की दृष्टि से, ट्रेड को इम्प्रूव करने को कोई चीज देती है, कोई रिसर्च कराती है और रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वह इसके हिसाब से टैक्सेबल हो सकती है। कोई ऐसा काम हो, जो बिल्कुल प्योरली नेशनल पाइन्ट ऑफ व्यू की दृष्टि से, कल्याणकारी समाज की स्थापना की दृष्टि से, राज्य की तरक्की करने की दृष्टि से हो तो ऐसी चीजों में जो मुनाफा हो उस पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। यह भी इस डेफीनेशन में एड होना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण जो इससे पहले जहां यह बिजनेस की डेफीनेशन शुरू होती है, वहां इन्होंने लिखा है विदाउट प्रोफिट मोटिव ग्रानली, यानि कोई प्रोफिट मोटिव नहीं हो, यह लिखा है। जो मंत्री जी ने डेफीनेशन दी है बिजनेस की उसमें लिखा है शुरू में है :

"whether or not any profit accrues therefrom."

यह तो बिजनेस की डेफीनेशन में लिखा है और जहां यह डेफीनेशन इन्होंने चेंज की है, इसके अन्दर यह क्लॉज़ लगाया है, चेरिटेबल एण्ड रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन, उसमें लिखा है :

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

"but does not include activities of sale, supply or distribution of goods carried on without any profit motive;

तो इसमें मेरा यह सजेशन है कि "carried on with or without any profit motive" यानि जहां तक रिलीजिअस और चेरिटेबल और एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स का

(१२.५८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सवाल है तो कोई प्रोफिट मोटिव से करे तो उसको सारा का सारा प्रोफिट इन्स्टीट्यूशन के काम में आता है इसलिए उसको एग्जेम्प्शन मिलना चाहिए, जहां मंदिर हो, ट्रस्ट हो, कोई यूनीवर्सिटी हो, उनका कोई प्रोफिट मोटिव नहीं होता है। इसी तरह कोई प्रोफिट मोटिव नहीं होता है तो मिल्क की सप्लाई होती है। राजस्थान का जो मिल्क का कारखाना है वह मिल्क सप्लाई करता है तो आपकी डेफीनेशन के अनुसार वह मिल्क सप्लाई में प्रोफिट का बिजनेस हो जाता है और उसमें प्रोफिट का मोटिव होगा उसमें लोस भी हो सकता है। तो इसके अनुसार एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी के द्वारा चलाये गये डेअरी फार्म के द्वारा किये गये मिल्क प्रॉडक्ट भी टैक्सेबल होते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस तरह की एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन और रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन हैं वह चाहे विद प्रोफिट, चाहे बिना प्रोफिट मोटिव के धन्धा करे तो उसकी बिक्री के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

इस प्रकार इसमें करीब मेरे चार अमेंडमेंट्स हैं, इनको मैं बिजनेस की डेफिनिशन में मूव करता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय; सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट पेश किया गया है और जिसमें रिलीजिअस और चेरिटेबल और एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को टैक्स से, जो विदाउट प्राफिट के काम करते हैं, जो विदाउट प्राफिट-मोटिव के काम करते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इसके साथ साथ जैसा कि पहले बहस के वक्त में निवेदन किया गया था इन संस्थाओं के अलावा कई और संस्थायें हैं जिनका उद्देश्य यह नहीं होता कि उनके द्वारा प्रॉफिट अर्न किया जाय या प्रोफिट प्राप्त किया जाय। Profit motive includes losses also.

(१. म. प.)

तो जो मैंने अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें मेरा मकसद यह है कि ऐसी संस्थाओं को जो विदाउट प्रोफिट धन्धा करती हैं और जो सार्वजनिक हित में कार्य करती हैं, जैसे कई फैक्ट्रीज हैं और वहां पर लेबर काम करने वाले हैं उनको सस्ता खाना खाने के लिये अगर कोई सोसाइटी प्रबन्ध करती है तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिये। अगर कोई संस्था लेबर को जहां पर ४) रु० डाइट के लिये जाते वहां पर २) रु० में या जहां पर एक रुपया डाइट

Page No 53

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लिया जाता है वहां पर ८ आने या १२ आना डाइट में इस प्रकार का केन्टीन चलाती है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज दूसरा सामान भी मुहय्या करती है और उस पर कोई किसी प्रकार का प्रोफिट नहीं लेती है और उन गरीब लोगों को सस्ता सामान देती है, जिससे गरीबों का ज्यादा से ज्यादा हित होता है, उन पर इस प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिये।

अभी सुराणाजी ने जैसा कहा, मूल एक्ट में डीलर की डेफिनेशन है उसमें जो प्रोफिट के लिये काम करते हैं उनको डीलर्स की तारीफ में लिया है। और जो ज्यादा प्रोफिट पैदा नहीं करते हैं ऐसी सोसाइटीज को जो लोगों के फायदे का काम करती हैं और गरीबों को फायदा पहुंचाती हैं और उनसे कोई प्रोफिट नहीं लेना चाहती और प्रोफिट पर्पज के लिये वर्क नहीं करती हैं, सिर्फ सेवा भाव के लिये वर्क करती हैं, ऐसी सोसाइटीज को तो जैसा आपने प्रोविजो जोड़ कर आपने जिस प्रकार चेरिटेबल इन्सटीट्यूशनों आदि को जोड़ा है, इसको भी जोड़ दिया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो इन्सटीट्यूट दूसरों की तकलीफों को मिटाने के लिये और सस्ती चीजों को उन गरीबों को मोहैय्या करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अगर आप इन चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन्स आदि के साथ जोड़ देंगे तो उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि "omit the expression, "whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern."

जो शब्द इसमें हैं उनको ओमिट कर दिये जावें और उसके स्थान पर जो नया प्रोविजन जोड़ा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोगों के हित में काम करती हैं और बिना प्रोफिट काम करती है तो रिलीजियस इन्सटीट्यूशन्न के साथ साथ उनको भी जोड़ दिया जावे ताकि लोगों को फायदा हो।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने रिलीजियस चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन्स को जोड़ दिया है मगर जैसा मैंने उस दिन निवेदन किया था कि कल्चरल ओरगेनाइजेशन्स को भी इसमें एड कर दिया जावे। संगीत नृत्य एकेडेमी है। लोग फ्रान्स से भी आते हैं, मद्रास से भी आते हैं और दूसरी जगह से भी आते हैं और वे उनको म्युजिकल इन्सट्रूमेंट्स भेजते है और उन पर कोई प्रोफिट्स नहीं लेते हैं। वे महज अपने इन्सट्रूमेंट्स को पोपुलेराइज करने के लिये भेजते हैं। वह इसमें इनक्ल्यूड नहीं होने से उन पर भी ज्यादा टैक्स लगेगा। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से एज्युकेशनल इन्सटीट्यूशन्स को कोई चीज भेजते हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगता है यह उसकी डेफिनेशन में आवेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन्स के साथ साथ इस कल्चरल ओरगेनाईजेशन को जोड़ने की कोशिश करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको भी कुछ न कुछ राहत मिले, इस तरह का इस क्लाज में कोई प्रावधान किया जावे। चमड़े का जो धन्धा करते हैं, यह छोटा सा धन्धा है। एक फुटकर व्यापारी दूसरे को देता है और दूसरा तीसरे को परन्तु टैक्स वसूली में सरकार तीनों को बांध देती है। इससे उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिये उनको टैक्स से मुक्त किया जावे। अन्यथा होगा क्या कि जो चमड़े के व्यापारी व्यापार करने वाले हैं वे व्योपार के काम को छोड़ देंगे तो हमें नुकसान होगा। इसलिये उनको टैक्स से मुक्त किया जाए। उनके लिये ऐसा प्रावधान किया जावे कि वे काम को अच्छी तरह से कर सकें। इसके अलावा उनको हिसाब भी पेश करना पड़ता है। वे लोग पढ़े लिखे नहीं होते और वे सही ढंग से हिसाब नहीं रख सकते हैं। जब वे सही रूप से हिसाब सही नहीं देते है तो उनको सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान किया जाता है। उनको वकील करना पड़ता है और वकीलों द्वारा परेशान होते हैं। उनको टैक्स परेशानियों से देना पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री उस पर ध्यान दें तो उनको सहूलियतें मिल सकती हैं। इसलिये मैं यहैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कोई प्रावधान होना चाहिये जिससे उन लोगों को कोई सहूलियतें मिलें।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिजनेस की नई डेफीनेशन दी है और उसका खास अभिप्राय यह है कि किसी adventure or concern के लिये प्रोफिट मोटिव का होना जरूरी है। उन्होंने इस तरह से डेफिनेशन को ड्राफ्ट किया है। फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन दी है और दूसरे पार्ट में एक प्रोविजो जोड़ा है। जो उन्होंने डेफीनेशन दी है वह ओल इन्क्लयूसिव है और जो कुछ first part में एड किया है वह सब प्रोविजो में निकाल दिया है। इसलिये मेरे खयाल में जो बिजनेस की डेफीनेशन दी है वह कन्फ्यूजड प्रतीत होती है। दूसरा उन्होंने कारोबार की डेफीनेशन में जो वर्ड्स यूज किये हैं :

"in its nature' यह expression any concern in the nature of trade commerce or manufacture; के इस आइडिया को convey नहीं करेगा।

तीसरा इसमें जो proviso दिया है वह grammetically unround है और इसमें यह Institution whether charitable, religious or educational यह एक्सप्रेशन इन्कम्प्लीट है। माननीय सदस्य ने यह भी बात कही है कि ऐसे एज्युकेशन इन्सटीट्युशन्स को जो किसी ऐसे काम को करें जिसमें प्रोफिट नहीं होता है तो वह इसकी डेफीनेशन से एक्सक्लूड होना चाहिये। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर निवेदन करूंगा कि बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट पिलानी है। वह यों तो एज्युकेशन ट्रस्ट है लेकिन वह एक टैक्सटाइल मिल चलाते हैं। हालांकि यह एज्युकेशन इन्सटीट्युशन है लेकिन यह मिल जो चलती है वह प्रोफिट के मोटिव से चलती है इसलिये उनको टैक्स से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसी लिये

(श्री परसराम मदेरणा)

हमने रखा है कि बगैर प्रोफिट मोटिव से काम करता है तो उसको individualment एग्जेम्प्ट किया है। लेकिन प्रोफिट के लिये काम करते हैं उनको, एग्जेम्पट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। अगर कोई प्रोफिट के मोटिव से काम करेंगे तो बिजनेस के प्रोविजों में आवेगा और उनसे टैक्स लिया जावेगा। इसी तरह से रिलीजियस एन्ड चेरिटेबल इन्सटीट्यूशन्स हैं प्रोफिट के मोटिव से अपनी एक्टीविटीज चलाते हैं या बगैर प्रोफिट मोटिव से चलाते हैं यह हर केस में देखना होगा। मगर आपने जो डेफीनेशन दी है उसमें दोनों बातें आ जाती हैं और दोनों बातें इसमें नहीं रखी जा सकतीं। वैसे इन्सटीट्यूशन्स अपनी एक्टीविटीज को आगे बढ़ाने के लिये कार्यवाही करते हैं। इसमें सिर्फ वैसी इन्स्टीट्यूशन्स जो अपनी एक्टिविटीज को आगे चलाने के लिए कार्यवाही करते हैं, वह कार्यवाही विदाउट प्रोफिट मोटिव है तो बिजनेस की डेफीनेशन में नहीं आयेगी।

आपने एक बात स्टाम्प के बारे में कही। स्टाम्प के बारे में मैं इतना निवेदन कर दूं कि अगर किसी ने कानून की गैर समझदारी से नोटिस दे दिया है तो उसके लिए यह नहीं कहना चाहिये कि लॉ में ही परिवर्तन कर दिया जाय।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): रोक नहीं है, सेल्स टैक्स ऑफिसर को ऐसा नोटिस देने की कानून में रोक नहीं है क्यों कि कानून में परिभाषा दी है उसमें पब्लिक सर्विस कमिशन के फार्म्स भी शामिल हैं। डाकघर के टिकिट भी शामिल हैं। तो जिसने नोटिस दिया है उसकी गलती नहीं है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, जिसकी पर्व्यू में पब्लिक सर्विस कमिशन, डाकघर आ जाय उनको नोटिस नहीं दिया जा सके। यह उस ऑफीसर की गलती नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: इसमें पोस्टल स्टाम्प्स हैं वे इस बात को सिग्निफाई करते हैं, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट sender कर रहा है उसकी ऐवज में लेते हैं। इसलिए प्रश्न उठेगा कि गुड्स की डेफीनेशन में आते हैं या नहीं। स्टेम्प्स गुड्स की डेफीनेशन में नहीं आते…

श्री मानिकचन्द सुराणा: Are you definite that it did not come in the definition of 'goods'?

श्री परसराम मदेरणा: I have examined this point, because I knew that you would raise it on the floor of the House.

लॉ डिपार्टमेंट की राय है कि स्टाम्प्स गुड्स की डेफीनेशन में नहीं आ सकते और जब गुड्स की डेफीनेशन में नहीं आ सकते तो उन पर इस तरह का टैक्स नहीं लग सकता। इस तरह की कार्यवाही ऑफिसर्स ने की है, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार देखेगी कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जाय।

दूसरी बात, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने ३ अमेंडमेंट्स रखे हैं अमेंडमेंट नं० ४, ११ और ४१। जहां तक

Page No 56

(श्री परसराम मदेरणा)

अमेंडमेंट नं० ४ का सवाल है, माननीय सदस्य की ऐसी मंशा है कि वह बिजनेस की डेफीनेशन को उनके एम्बिट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। प्रोफिट मोटिव है यह बिजनेस की असेन्शियल इन्ग्रिडियेन्ट नहीं है। इस फंडामेंटल पर यह अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैं पहिले निवेदन कर चुका हूं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में नहीं जाना चाहता, मद्रास के सेल्स टैक्स एक्ट में इस प्रकार की डेफीनेशन है और उसे मद्रास हाईकोर्ट ने वेलिड करार दिया है Profit motive is not an essential ingredient;

इसलिए आपने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है और जो डेफीनेशन सरकार ने जो प्रस्तुत की है वह कम्प्लीट है, किसी प्रकार का डिफेक्ट उसमें नहीं है।

दूसरा अमेंडमेंट उन्होंने रखा है, जो मैंने अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है उसमें "विथ और विदाउट एनी प्रोफिट मोटिव" जोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने पहले आर्ग्यूमेंट दिया है, बहुत से होटल्स चलते हैं; बहुत से एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स मिल चलाते हैं, उनको हमने टैक्स किया है और करना चाहते हैं। इसलिए वे जो विथ और एड करना चाहते है, उसको मैं मानने में असमर्थ हूं।

उन्होंने तीसरा अमेंडमेंट दिया है वह दिया है : "Ary trade association in the performance of its functions for achieving its avowed objects;"

जहां तक ट्रेड एसोशियेशन का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेड एसोशिएशन और कोऑपरेटिव सोसायटी दोनों ही सिमिलर सर्कम्स्टेन्सेज में एग्जिस्ट करती हैं। कोआॅपरेटिव सोसायटीज़ भी माल अपने मेम्बर्स को देती है और ट्रेड एसोशियेशन्स भी अपने मेम्बर्स के लिए गुड्स प्राप्त कर इसे वितरित कराना चाहती हैं इसलिए कोआॅपरेटिव सोसायटीज को हमने इस टैक्स से, बिजनेस की डेफीनेशन से बाहर नहीं रखा है, तो ट्रेड एसोसियेशन को भी नहीं रख सकते।

दूसरी बात यह है कि ट्रेड एसोसियेशन जो फंक्शन्स, परफार्म करता है वह होल सेलर के फंकशन परफार्म करता है तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ट्रेड एसोसिएशन को इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाय।

दूसरा प्रश्न उसमें यह है कि Any industry where sales are of outdated machinery and of capital goods.

सेल्स टैक्स एक्ट में केपिटल गुड्स और "अदर गुड्स" में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। अब बात यह रही कि केपिटल गुड्स पर सेल्स टैक्स दिया नहीं जाता है।

"The series of sales in a particular transaction comes to an end when the goods reach the hands of a consumer."

जब कन्ज्यूमर्स के हाथ में चली जाती है तो कन्ज्यूमर्स के हाथ में जाने के बाद उस पर टैक्स नहीं लगता लेकिन दुबारा मशीनरी रिपेअर हो या नहीं हो, सेकिण्ड सीरीज में दुबारा मार्केट में आती है तो वह टैक्स पेइंग

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिये लायबिल है और इसलिये जब उसको मार्केट में दुबारा लाया जाता है तो फिर वह डीलर्स के हाथ में आती है, कन्ज्यूमर्स के पास नहीं रहती और कन्ज्यूमर्स के हाथ में जब नहीं रहती तो उसे टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट करना या बिजनेस की डेफिनेशन से एग्ज़ेम्प्ट करना उचित नहीं होगा। बहुत से ऐसे पार्टस हो सकते हैं जो सैकिन्ड सीरीज़ में बेचे जाते हैं, जैसे कोल है, रेलवे के अन्दर कोल खराब होने के बाद बड़ी तादाद में auction होता है, उस पर टैक्स हम ले रहे हैं। कोल एश लाखों रुपयों का ऑक्शन होता है और राजस्थान सरकार को काफी मात्रा में इससे टैक्स मिलता है। इसलिये यह कहना कि आउट डेटेड चीजें हैं, उनको एग्ज़ेम्प्ट कर देना चाहिए, यह उचित नहीं है। आउट डेटेड चीज दुबारा मार्केट में आती है तो उन पर टैक्स लेना वाजिब है। इसलिए मैं माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं, जो लोजिक, जो आर्ग्यूमेंट्स दिये हैं उन पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जो अमेंडमेंट मैंने दिया है, बिज़नेस की डेफिनेशन एग्झास्टिव हो, किसी प्रकार की कानूनी डिफेक्ट उसमें न रहे, इस तरह की डेफिनेशन रखी है। उसी रूप में इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने अभी ट्रेड एसोसियेशन्स और कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के बिजनैस को एकसा बताया। ट्रेड एसोशियेशन या ट्रेडर होलसेल में डील करता है और उसको भी आपने एकसा बताया। कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ अपने मेम्बर्स के लिए काम करती हैं उसको भी आपने एकसा बताया। होलसेलर तो अपने मेम्बरों के हित में और दूसरों के हित में बेचता जब कि कोआॅपरेटिव तो अपने मेम्बरों के हित में है मैं समझता हूं कि दोनों के मिलाने के लिए दुबारा मंत्री महोदय, विचार करेंगे।

दूसरा पोइंट यह कहना चाहता हूं कि आपने अन्नपूर्णा की मिसाल दी।

श्री उपाध्यक्ष : Do not make it a speech.

श्री गिरधारीलाल व्यास : अन्नपूर्णा की आपने मिसाल दी कि यह सेक्रेटेरियेट एम्प्लॉईज़ के लिये है। उनकी सुविधा के लिए है, इसलिए इसको एग्ज़ेम्प्ट कर रखा है। मिलों के अन्दर केन्टीन्स चलती हैं बिना प्रोफिट के चलती हैं और मेम्बरों, मजदूरों के हित के लिये चलती हैं। चीप रेट्स पर ही मिल्स वगैरा बिना प्रोफिट के जिस प्रकार अन्नपूर्णा सप्लाई करती है उसी प्रकार वे भी करती हैं। उनको आपने एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया है। आप इस पर दुबारा गौर करेंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जिस प्रकार साहित्य एकेडेमी है, स्पोर्ट्स कौंसिल है, स्पोर्ट्स कौंसिल अपने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये १०० बेडमिन्टन एक साथ खरीद ले और खिलाड़ियों को दे। परिभाषा में तो वह सेल हो गया कौंसिल के द्वारा उनका कोई व्यापार करने का दृष्टिकोण नहीं है। उसी प्रकार साहित्य एकेडमी साहित्य के उत्थान की दृष्टि से शोध ग्रन्थ प्रकाशित करती है तो वहां पर उनका कोई व्यापार करने का उद्देश्य नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स कौंसिल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और साहित्य एकेडेमी जैसी संस्थाओं को भी आपका इन्टेन्शन टैक्स करने का है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी को आप ट्रेड एजेन्सी के बराबर, उसके अनेलोगस समझते हैं। कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के सप्लाईज की टर्न ओवर दे रखी हैं सेक्शन ३ में कि २५ हजार से वह एक्सीड कर जावेगा तो लायबल होगी टैक्स देने के।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स जो कल्चरल हैं, नाटक एकेडेमी, साहित्य एकेडेमी, स्पोर्ट्स कौंसिल आदि के लिये भी यहां पर उदाहरण दिये, ऐसे इन्डिविजुअल केसेज जिनकी एक्टीविटीज प्रोफिट मोटिव से नहीं हैं और एनोलोगस या चेरिटेबल इन्स्टीट्यूशन्स कहना चाहिये, आर्ट या कल्चर की एक्टीविटीज का प्रसार करने के किये कार्य कर रही हैं, हाई ओब्जेक्ट्स हैं, ऐसे इन्डीविजुअल केसेज गवर्नमेन्ट के सामने आयेंगे तब सरकार के पास एग्जेम्पशन्स के पॉवर्स हैं और इन्डिविजुअल बेसिस पर देख लिया जायगा और ऐसी संस्थाओं को एग्जेम्पशन दे दिया जावेगा, जैसे अन्नपूर्णा को एग्जेम्पशन दे रखा है। सेक्शन ४ (२) में सरकार के द्वारा ऐसी संस्थाओं को टैक्स से वंचित रखने के लिए अधिकार हैं। माननीय सदस्य ने ऐसे उदाहरण दिये हैं तो मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स का ख्याल रखा जावेगा और सरकार के पास डिस्क्रिशनरी पॉवर्स Exemption के हैं उनको काम में लाया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रस्तावक महोदय अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I would like to withdraw my amendment.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : I also want to withdraw.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : I also want to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष क्या यह सदन की इजाजत है कि इन तीनों ही माननीय सदस्यों को अपने अमेन्डमेन्ट विदड्रॉ करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I withdraw my amendment.

श्री गिरधारीलाल व्यास : I withdraw my amendment.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : I withdraw my amendment.

Page No 59

श्री उपाध्यक्ष . प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उपमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड २, यथा संशोधित विधेयक का अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २, यथा संशोधित विधेयक में में अङ्ग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ५

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, वित्त)-

For sub-section (8) proposed to be added, substitute the following sub-section, namely:—

"(8) Nothing contained in this section shall require a dealer liable to pay tax under clause (ii) of sub-section (3) of section 3 to get himself registered, but such dealer may get himself registered in the prescribed manner."

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

(2) In the proposed new section 8 by the minister-in-charge add the words "or not liable after" the word "liable" in line 2.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(3) In the proposed new sub-section by the minister-in-charge for sub- section (8),—

(1) insert the words "not liable" between the words "liable" and "to";

(2) replace the expression "clause (ii)" by the expression "clauses (i) and (ii)"; and

(3)add the following proviso after the proposed sub-section:—

"(8) Provided that any person who deals in schedule exempted goods or not liable to pay tax may get himself registered in the proscribed manner".]

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : I think, that has been moved. It shall be taken as moved.

श्री परसराम मदेरणा : Clause 5: For sub-section (8) proposed to be added substitute the following sub-section namely;—

"(8) Nothing contained in this section shall require a dealer liable to pay tax under clause (ii) of sub-section (3) of section 3 to get himself registered, but such dealer may get himsell registered in the prescribed manner".

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अमेन्डमेन्ट इसलिये लाया हूं कि माननीय सदस्यों ने

(श्री परसराम मदेरणा)

सदन में यह राय व्यक्त की थी कि यह सेक्शन ६ के अन्दर सब–सेक्शन ए जोड़ा जा रहा हैं उससे वे लोग जो अपने आपको रजिस्टर कराना चाहते हैं वालिण्टरी तौर पर वे रजिस्टर नहीं हो सकेंगे। और जब वे रजिस्टर नहीं हो सकेंगे तो माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं यह संशोधन लाया हूं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है सदन की भावनाओं को रखते हुए उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन उस संशोधन में मेरा बहुत ही छोटा–सा संशोधन और है। मेरा संशोधन यह है :

"In the proposed new section 8 by the minister-in-charge add the words "or not liable" after the word "liable" in line 2."

माननीय मंत्रीजी के संशोधन का, उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ यह है कि आज राजस्थान में जो केजुअल ट्रेडर्स हैं और केजुअल ट्रेडर्स के अलावा धारा ३ की उप-धारा (३) में जो आपने दूसरी केटेगरी ऐसे डीलर की दी है जो धारा ४ में जो शिड्यूल ट्रेड की दी है उस ट्रेड में जो लोग व्यापार करते हैं, धारा ३ की उपधारा (३) उनसे सम्बन्धित है। आप अपने अमेन्डमेन्ट को जरा गौर से देखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने अमेन्डमेन्ट में यह कहा है कि धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत जो डीलर हैं वे तो रजिस्टर करा सकते हैं लेकिन धारा ३ की उप-धारा (३) क्लॉज (१) में केजुअल ट्रेडर है उसको रजिस्टर कराने का प्रावधान नहीं रखा है। राजस्थान में एक डीलर और एक केजुअल डीलर और जो व्यक्ति केजुअल ट्रेडर की तारीफ में नहीं आता है और डीलर की तारीफ में नहीं आता है वह आपके सब–क्लॉज (२) की डेफिनिशन में आता है।

"any other dealer in goods notified for the purpose of clause (c) of section 2."

यानि इन दोनों केटगरीज में नहीं आता है। अब आप यह गौर फर्मायेंगे कि केजुअल ट्रेडर किसको कहते है? केजुअल ट्रेडर उसको कहते हैं कि जो ओकेजनली ट्रेड करता है, कभी कभी ट्रेड करता है, लेकिन एक व्यक्ति कभी ट्रेड नहीं करता है लेकिन नियमित रूप से धारा ४ है उसमें शिड्यूल दिया हुआ है उसमें जो ट्रेड करता है जो केजुअल ट्रेड वह करता है, छोटा ट्रेड नियमित रूप से किया है उसको आपने बचाया नहीं है, उसको बचाने की जरूरत है। केजुअल ट्रेड्स को बचाने की जरूरत है जिसको आपने अपनी परिधि से बाहर रख दिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर आपने सब–क्लॉज (१) वालों को रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं दिया तो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। आपका डिपार्टमेन्ट केजुअल ट्रेडर को यह कह सकता है कि तुम केजुअल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ट्रेडर नहीं हो। तुम उप-धारा दो में आते हो उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन की छूट हो गई।

एक व्यक्ति जो वास्तव में उप-धारा (२) में आता है आप तो केजुअल ट्रेडर हैं अपने आप रजिस्टर नहीं करा सकते। सेल्स टैक्स अधिकारी से जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं उसके अनुसार वे छोटे व्यापारियों को परेशानियां पैदा कर सकता है। आपने उप-धारा (३) के क्लॉज १ (२) में रजिस्ट्रेशन के अधिकार दिये हैं, उसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सेक्शन ४ में जैसे कोटा में मसूरिया बनाने वाले हैं, बुनकर लोग हैं, जो रेगुलर ट्रेडर नहीं जिनको नोट लाएबल टू टैक्स रखा है। लाएबल टू टैक्स वे हैं जो अपने आप रजिस्टर करा सकते हैं। लाएबल टू टैक्स धारा ४ में अधिकार नहीं तो वैसी हालत में ये लोग बर्बाद हो जायेंगे। चूंकि बुनकर लोग हैं, मसूरिया बनाने वाले हैं, ये छोटे-छोटे उद्योग वाले हैं, कुटीर उद्योग वाले हैं इनको आपने नोट लाएबल टू टैक्स में रखा, रजिस्टर नहीं करा सकते। रजिस्टर न कराने से वे लाएबल टू टैक्स हो गये। मेरा यह निवेदन है कि चाहे लाएबल टू टैक्स हों चाहे नोट लाएबल टू टैक्स हों सभी को सुविधा दें रजिस्टर कराने की। आपके पास उनका रजिस्टर होने का पैसा आने दीजिये। ताकि वह एक परसेन्ट पर माल खरीद सकें और जब माल बेचें ६ परसेन्ट सेल्स टैक्स दें, इस तरह से उस पर १८ परसेन्ट सेल्स टैक्स न लगे; इसी दृष्टिकोण से मैंने यह संशोधन रखा है। दोनों केटेगरीज को रजिस्टर करने की सुविधा दीजिये ताकि सारी परेशानियां कम हो सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सरकार की यह नीति है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय, उन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं उन पर टैक्स नहीं लगे इसी नीयत से मैं यह संशोधन लाया हूं। वे डीलर्स जो धारा २ में जिन चीजों का व्यापार करते हैं चूंकि वह आपके संशोधन के अन्दर हैं। उसी के ऑल्टरनेटिव मैं पेश करना चाहता हूं। अगर आप सम्पत्तिलाल बोहरा का अमेन्डमेन्ट स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके अमेन्डमेन्ट से मेरे अमेन्डमेन्ट की मन्शा पूरी हो जाती है। चाहे आप मेरा संशोधन स्वीकार करें या सम्पत्तिलाल जी का। यदि आपको इसमें भी यह मालूम हो कि ग्रामेटिकली इन्करेक्ट है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार मेरी भावना को इन्क्लूड करते हुए अपनी तरफ से संशोधन दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट है। सरकार जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लायी है उससे एक पर्पज सर्व हुआ है; मेरा जिस प्रकार का संशोधन है उसके अनुसार कोई भी डीलर हो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय इसमें जो ऊपर वर्डस लिखे हैं अगर वह टैक्स की लाएबलिटी में आता है तो टैक्स पे कर सकता है।

Page No 62

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

टैक्स की लाएबिलिटी आयद होती है; वह चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जिस पर टैक्स की लाएबिलटी नहीं आती है, जिससे टैक्स नहीं लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। वास्तव में यह बात नहीं है। उदाहरण की तौर पर मैं निवेदन करूं एक साईकिल डीलर है जो केजुअल डीलर की डेफीनिशन में आता है, जो रिपेयरिंग का वर्क करता है, रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है He is Technically liable for R/C. ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से खरीद कर लाता है, एक आदमी के बाद दूसरे आदमी को बेचा है तीसरे आदमी को लेकर वेचे तो वह 'केजुअल डीलर" की डेफीनिशन में आ गया। ऐसे व्यक्ति से खरीद लिया जिसके पास लाइसेन्स नहीं था तो वह टैक्स के काबिल बन गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन उसी को मिलेगा जिसको असेसिंग ओथोरिटी डिक्लेअर-कर दे। असेसिंग ओथोरिटी अलग से टैक्स लगा दे इससे पर्पज सर्व नहीं होगा। यह जो क्लॉज आया है इस सेक्शन का लास्ट पैरेग्राफ है ३ एक के लिये थ्री टू के लिये नहीं। केजुअल डीलर में वह बात आती नहीं। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर टैक्स की लाएबेलिटी आती है या नहीं वॉलिन्टियरली रजिस्ट्रेशन चाहता हो तो रजिस्ट्रेशन दिया जाय, यह सुविधा मिलनी चाहिये।

आज हमारे यहां एग्जेम्प्शन है बरतन वालों को, उनके एग्जेम्पशन को विद्ड्रॉ कर लें आज वह इन्डस्ट्री कोटेज इन्डस्ट्री के रूप में है फिर भी वह ५ सी के तहत कन्सेशनल रेट पर माल नहीं खरीद सकती। व्यापारी को पांच-छः परसेन्ट टैक्स देना पडता है। इसके बाद उस केजुअल डीलर पर असेसिंग ओथोरिटी द्वारा ६ परसेन्ट टैक्स लगता है और जिसको माल बेचेगा उससे ६ परसेन्ट टैक्स ले लिया गया। इस तरह से १८ परसेन्ट आज तक टैक्स लग सकता है। इस लिये हर व्यक्ति को जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहे उसको कराने की इजाजत दी जाय।

तीसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है :

"Provided that any person who deals in schedule exempted goods or not liable to pay tax may get himself registered in the prescribed manner".

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में इनसीडेन्ट ऑफ टैक्सेशन की जो परिभाषा है उसके कारण बड़ी भारी मुश्किल हो रही है। इससे कोटेज इन्डस्ट्रीज समाप्त हो रही हैं। कपडे पर कोई टैक्स नहीं लगता जितने भी कपड़ा डीलर हैं सबके लाइसेन्स कैन्सिल कर दिये गये या करने जा रहे हैं। उससे जो कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है जो मेन्युफेक्चरार हैं, या जो कोटा में मसूरिया बनाते हैं, साड़ियां बनाते हैं उसके लिये रॉ मेटेरियल जैसे सोने का धागा खरीदते हैं उस पर फुल टैक्स देना पड़ेगा। मसूरिया राजस्थान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसके प्रोमोशन के लिये कार्य करते हैं लेकिन ५ सी के अन्तर्गत कन्सेशन नहीं मिलता। इसी प्रकार जो बीड़ी मेन्युफेक्चरार हैं उनकी मुसीबत है तमाखु या दूसरी चीजें, पत्ते आदि कन्सेशनल रेट पर नहीं खरीद सकते।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कॉटन एन्ड जिनिंग फैक्टरी है जो सेल नहीं करते यह भी इन्डस्ट्री है, वह भी रॉ मैटीरियल कन्सेशनल रेट पर नहीं खरीद सकता। जहां हमें देश में कोटेज इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिये यह आवश्यक है कोई भी व्यक्ति इन्डस्ट्रीज़ को पनपाने के लिये कन्सेशन मांगे उसको देना चाहिये। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है।

यदि कोई व्यक्ति लाएबल बने या नहीं, यदि राजस्थान में सेल करता है, यदि उसको लाइसेन्स की आवश्यकता हो तो एप्लाई कर सके और उसको दिया जा सके। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने तीन अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं, वे एक्सेप्ट किये जावें।

सरकार ने जो रखा है उस भावना को देखते हुए क्लॉज़ एक में एड नहीं होता है तो फिर पर्पज़ सर्व नहीं होता है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है। स्पष्टीकरण के रूप में पूछें तो उस समय बोलें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस अमेन्डमेन्ट के जरिये क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉज़ (३) में जो केजुअल डीलर है उसको भी रजिस्टर कराना चाहते हैं इसका मतलब यह होगा कि हमने जो स्पेसिफिकली १० ए में प्रोवाइड किया है.........

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह तो कॉसीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है। वह तो पूरा डिलीट कर दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : जब तक ऐसा अमेन्डिंग बिल में नहीं आवे, आज इस स्टेज पर जिस धारा पर अमेन्डमेन्ट सदन में नहीं है, उस पर इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं लाया जा सकता। इसलिये माननीय सदस्य की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप यह तो मानते हैं कि आर्ग्युमेन्ट्स तो ठीक हैं। आज इसलिये नहीं ले सकते कि उस पर अमेन्डमेन्ट नहीं है, तो आइन्दा अमेन्डमेन्ट ले आवें।

श्री परसराम मदेरणा : आपने पहले भी पूछा था। कॉम्प्रीहेन्सिव और एक्सटेन्सिव बिल को ड्राफ्ट किया जा रहा है। एज़ एण्ड वेन आवेगा तो उस पर भी कन्सीडर किया जावेगा।

अगर यह बात कहें कि कोई डीलर अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो तीन तीन दफे उस पर टैक्स लग जावेगा और इस तरह से उसको १८ परसेन्ट टैक्स देना पड़ेगा, तो केजुअल डीलर जो जनरली डील करता है तो यह कन्ज्यूमर से डाइरेक्ट करता है तो कन्ज्यूमर के पास एक बार माल जाने के बाद में दूसरे के हाथ में ट्रान्सफर होता नहीं है और जब ट्रान्सफर नहीं होता है तो उसमें एक ही पोइन्ट पर टैक्स होगा। दूसरे पोइन्ट्स पर टैक्स नहीं लगेगा;

(श्री परसराम मदेरणा)

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार का डीलर जो कुटीर उद्योग में काम करता है और खास तौर से मसूरिया कोटा का हवाला दिया कि जब वह रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कन्सेशन जो मिलना चाहिये जो रजिस्टर्ड डीलर को मिलता है उससे वह महरूम रह जावेगा। सैक्शन २ सी. सी. में नोटिफाइड गुड्स हैं उससे यह मसूरिया नोटिफाइड नहीं है और जब नहीं है तो उसको यहां लेना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो बुनकर का ही काम करते है।

श्री परसराम मदेरणा : रॉ मेटीरियल बाहर से लाते है इसलिए बुनकर की केटेगरी में नहीं आते। तार वगैरह लाते है इसलिए यहां इसको लेना उपयुक्त नहीं होगा।

यह भी कहा गया कि जहां तक प्रोविज़ो का सवाल है उसके बारे में कहा गया कि: "Provided that any person who deals in schedule exempted goods or not liable to pay tax may get himself registered in the prescribed manner."

इसका मतलब यह है कि आप यह कहते हैं कपड़े वाला है, भाजी-तरकारी या दूध वाले हैं ये अपने आपको रजिस्टर करावे और करावेंगे तो उसके साथ लाएबिलिटी भी उनके ऊपर आवेगी रिटर्न वगैरह भरने की क्योंकि जो धारा है इसके लिये उसमें साफ है।

"Every registered dealer and such other dealer as may be required to do so by the assessing authority by notice served in the prescribed manner, shall furnish the prescribed return in the prescribed period, in the prescribed form, in the prescribed manner and in the prescribed time to the assessing authority."

इस प्रोविज़ो को मान लेते हैं तो ये जितने लोग आज एग्जेम्प्टेड हैं वे लोग भी अगर रजिस्टर्ड होंगे तो वे रिटर्न वगैरह भरने की लाएबिलिटी से ज्यादा परेशान हो जावेंगे। तो इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं तो वे हैरेस होंगे। इसी लिये हमने केजुअल डीलर को लाएबिलिटी से अलग रखा है।

पहले की बात कही तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ड्राफ्ट में गलती मालूम हो रही थी कि वहां डेफीनेशन में ऑल इन्क्लूजिव बना कर Proviso को exclusive बना दिया और राजस्थान सरकार का इन्टेन्शन ऐसा लेडीस्यूट देने को नहीं था। वह तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

अब प्रश्न यह रहा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने 'नोट लाएबल' है, आपने 'आर नोट लाएबल का संशोधन रखा है 'नोट लाएबल' ग्रामेटिकली ठीक नहीं है इसलिये वह स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हमने तो यही लिखा है आर नोट लाएबल। आपके यहां टाइप की गलती हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : इस फॉर्म में तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पर ग्रामेटिकल मिस्टेक स्वीकार करने लायक हो तो अमेन्डेड फॉर्म में स्वीकार किया जा सकता है। तो मैं इन शब्दों के साथ जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किये गये हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग नोट टू टैक्स हैं उनके यदि आपने रजिस्टर करने की सुविधा नहीं दी और इससे उन पर तीन गुना सैलसटैक्स लग जावे तो यह आपका इन्टेन्शन नहीं है, यह मैं मानता हूं। यह बुनकर वगैरह की इन्स्टान्स है। मसूरिया वाले भी खरीदते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक इन्डिविजुअल केस में नहीं जावें, केजुअल डीलर जैसे मोची है, बीकानेर जोधपुर, जयपुर में हैं महीने में ३०० रुपये जूतियां बेचते हैं। चमड़ा खरीदते हैं और साल भर में तीन हजार की जूतियां बेचते हैं, बड़े डीलर को बेचते हैं। अब बड़े जूते वाले ने खरीदा वहां टैक्स लग गया। छोटे वाले ने खरीदा वहां भी लग गया। तो इस तरह से कई परसेन्ट टैक्स उन पर लग गया। अब अगर वे रजिस्टर करा लें अपने आपको तो एक परसेन्ट में उनको माल मिल सकता है और खरीद सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड होंगे तो वे रिटर्न भरने की तवालत झेल लेंगे टैक्स भी दे देंगे क्योंकि मुकाबले में कम खर्च पड़ेगा, राजस्थान में फर्स्ट पोइन्ट पर टैक्स है। तो इसलिये अगर आप इन बुनकर लोगों को भी सुविधा देना चाहते हैं तो उनको रजिस्टर्ड कराने की छूट दे दें उनकी मर्जी पर छोड़ दे। इसमें इसीलिए वर्ड "शैल" 'मे' है। तो उनको भी यह सुविधा दी जावे। अन्यथा जिसे आप आज सहूलियत समझते हैं लाएबिलिटी उन पर नहीं है, ऐसा मानते हैं, कल उनका ट्रेड बरबाद हो जावेगा। बार-बार टैक्स उनके रॉ—मेटीरियल और प्रोडक्शन पर लगता रहेगा। इसलिए आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और 'नोट लाएबल' वर्ड है उसको 'लाएबल' वर्ड के साथ एड कर लें। मेरा अमेन्डमेन्ट ही यही है आप उसको पढ़ लें जो क्लॉज ५ में है कि जहां वर्ड 'लाएबल' यूज किया है वहां 'नोट लाएबल' वर्ड भी प्रपोज्ड सेक्शन ८ में और एड करके पढ़ लें।

श्री सम्पतलाल बोहरा : मेरा जो अमेन्डमेन्ट था, प्रोवीजो, उसमें भी वर्ड 'मे' ही यूज हुआ है :—

"Provided that any person who deals in schedule exempted goods or not liable to pay tax may get himself registered in the prescribed manner."

आपने एग्जाम्पल देकर बताया कि दूधवाला और सब रजिस्टर हो जायेंगे। तो कोई आदमी चाहे एडवान्टेज उठाना तो वह रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई कर सकता है। इसलिए मैंने वर्ड 'मे' यूज किया है और आपने आर्ग्यूमेन्ट दिया उससे तो इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रोवीजो को एक्सेप्ट करना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि दोनों ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं यह संशोधन इन्नोसेन्ट अमेंडमेंट की तारीफ में आता है...

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न के रूप में पूछ लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : राज्य सरकार ने इस कानून के द्वारा छूट दी है कि रजिस्टर कराना कुछ व्यक्तियों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना उसके लिए दुखदायी बनता है और रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके लिए ऐसा प्रोवीजन होना चाहिए कि उनका हित यदि रजिस्टर कराने में है तो उससे उनको महरूम करने के लिए राज्य सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके सेक्शन १० (ए) के कोन्सीक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट के सम्बन्ध में आपने आपत्ति उठाई, राज्य सरकार अपनी तरफ से अमेन्डमेंट कुछ भी चाहे कर सकती है और इस प्रस्तावित अमेन्डमेन्ट से असहमति प्रकट करने की राज्य सरकार को विशेष आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार इसी गंभीरता से सोचेगी तो यह इन्नोसेन्ट अमेन्डमेन्ट है और इसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोन्सायत से आने वाले माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो वर्ड 'नोट लाएबल टू टैक्स' है उसको भी ऑप्शन होना चाहिये कि वह रजिस्टर करा ले। मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का मतलब क्या है? अगर क्लॉज २ में केजुअल डीलर जो किसी गुड्स में डील करता है जो कि २ (सी.सी.) में है वह टैक्सेबल है चाहे, उसकी दो रुपये की ही टर्न ओवर हो। इसलिए "नोट लाएबल टू टैक्स" का मतलब मैं समझा नहीं, क्यों कि नोट लाएबल भी हो सकता है जिसने अर्लियर या तो टैक्स दे दिया है फर्स्ट पोइन्ट के ऊपर, तो वह लाएबल नहीं है लेकिन अर्लियर टैक्स नहीं दिया है तो टैक्स उसको देना ही होगा। इसलिए मैं समझ नहीं सका कि आपका तात्पर्य क्या है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा तात्पर्य यह है कि आप धारा ४ को देखें :
"Act not to apply to certain sales : No tax shall be payable on the sale or purchase of any exempted goods if the conditions specified in column 3 of the schedule are satisfied. where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest, the State Government by notificiation in the official gazettte may exempt from such condition and payment of such fees as may be prescribed in the notification."

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस क्लॉज़ ४ के नीचे आपने जिन जिन चीजों को शिड्यूल में छापा हुआ है और उसके कलॉम ३ के अनुसार जो कोई उन कन्डीशन्स को सेटिस्फाई करता है उसका मतलब है कि "नोट लाएबल टू टैक्स" याने उस सूची में जो ट्रेड या इन्डस्ट्रीज़ आती हैं वह 'नोट लाएबल टू टैक्स' हैं। क्लॉज़ ४ में तो है लेकिन रजिस्ट्रेशन यदि उनका नहीं हुआ तो नतीजा यह होगा कि यदि वह मेन्युफेक्चर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करते हैं तो एक पर्सेन्ट के ऊपर माल खरीदने की सहूलियत नहीं मिलेगी। दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को बेचेंगे तो फर्स्ट पोइन्ट के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लेकिन रजिस्टर्ड डीलर के पास जाने पर भी टैक्स आयद हो जायेगा, इसलिए धारा ४ में जो ट्रेड दिये हुए है उसको कवर करने के लिए 'नोट लाएबल टू पे टैक्स' की परिभाषा मैंने इसमें जोड़ी है जिसके ऊपर आयद होता है या नहीं; इसलिए दोनों तरह के डीलर्स को रजिस्टर करने की सहूलियत दे दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि......

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं कन्सीडर करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मन्त्री ने रखा है उसे पारित किया जाये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहले अमेन्डमेन्ट्स के ऊपर वोटिंग होना चाहिए जो कि सदस्यों ने रखे हैं, उसके बाद मंत्री महोदय का संशोधन लिया जाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट है और पहले मैंने मूव किया है, इसलिए पहले मेरे पर वोटिंग होगा और फिर बाद में होंगे और फिर अमेन्डेड क्लॉज पर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मन्त्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानिकचन्दजी सुराणा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ५, यथा संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि हमारे पास काफी खण्ड हैं अभी पारित करने के लिए,इसलिए जो अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें वे संक्षेप में करें, तो अच्छा हो।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री परसराम मदेरणा(उप मंत्री, वित्त):
(1) For clause 6, substitute the following clause namely:—

6. Amendment of section 11, Rajasthan Act 29 of 1954.

In section 11, of the Sales Tax Act, for the proviso to sub-section (3), the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that where an assessee has presented an appeal under section 13, the Commissioner may on an application in writing from the assessee, stay the recovery of the disputed amount of tax or any part thereof, during the pendency of the appeal if the assessee furnishes sufficient security to his satisfaction in such from and in such manner as may be prescribed :

Provided further that where recovery of tax or any part thereof is stayed under the preceding proviso, the amount of such tax shall be recoverable with interest at the prescribed rate on the amount ultimately found due; and such interest shall be payable on such amount from the date the tax first became due.

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :
(2) For clause 6 substitute the following clause, namely:—
"6. Amendment of secton 11, Rajasthan Act 29 of 1954:—

In section 11 of the principal Act, for the proviso to sub-section (3) substitute the following proviso:—

"Provided that the assessing authority or Deputy Commissioner or the Commissioner may on an application in writing from the assessee, give such directions as he thinks fit, in regard to the payment of such tax, if the application furnishes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed :

Provided further that no application under the preceding proviso shall be submitted to the Deputy Commissioner Administration or the Commissioner unless the application has been submitted to the assessing authority or the Deputy Commissioner Administration as the case may be and such application has been rejected :

Provided also that during the pendency of the application under

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

the first proviso the recovery of the tax shall be demed to have been stayed.',']

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार भी संक्षेप में समझ जाये, ऐसी व्यवस्था भी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रयत्न किया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज में यह है :

In section 11, of the Sales Tax Act, for the proviso to sub-section (3), the following provisos shall be substituted, namely:—

Provided that where an assessee has presented an appeal under section 13, the Commissioner may on an applicalion in writing from the assessee, stay the recovery of the disputed amount of tax or any part thereof, during the pendency of the appeal if the assessee furnisnes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner...........

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आपके अमेन्डमेन्ट्स मूव मान लिए जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पढ़ दिये जायें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : वह बहुत लम्बे-लम्बे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नहीं, पढ़े जायें।

श्री उपाध्यक्ष : वे सब में प्रसारित कर दिये गये हैं, इसलिए वे मूव माने जायेंगे। उसके पश्चात् दूसरे अमेन्डमेन्ट्स आते हैं उनके ऊपर वाद-विवाद होगा और उनके ऊपर आप जो कुछ कहना चाहें कह दें; it has been considered that it has been moved.

(२.०० म. प.)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर मैंने एमेंडमेंट मूव किया है वह इस प्रकार है :

"Amendment of section 11, Rajasthan Act 29 of 1954 :

In section 11 of the principal Act, for the proviso to sub-section (3) substitutes the following proviso : "Provided that the assessing authority or Deputy Commissioner or the Commissioner may on an application in writing from the assessee, give such directions as he thinks fit, in regard to the payment of such tax, if the applicant furnishes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed :

Provided further that no application under the preceding proviso shall be submitted to the Dy. Commissioner Administration or the Commissioner unless the application has been submitted to the assessing authority or the Dy. Commissioner Administration as the case may be

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

and such application has been rejected :

Provided also that during the pendency of the application under the first proviso, the recovery of the tax shall be deemed to have been stayed."

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो सैल्स-टैक्स एक्ट में यह प्रावधान था कि ११ (३) का जो प्रोवीजो है उसके अनुसार किसी भी सरकम्स्टान्स में यदि कमिश्नर चाहता है तो टैक्स स्टे कर सकता था। वह रिलेवेन्ट पोर्शन में पढ़ना चाहूंगा। वह इस प्रकार है—

"Provided that the Commissioner may, on an application in writing from the assessee, give such direction as he thinks fit in regard to the payment of such tax if the application furnishes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner as may be prescribed."

यह ओरीजिनल क्लॉज़ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो आपका एमेंडमेंट है वह पहले का है या नया एमेंडमेंट आपने किया है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नया है, वह भी लागू होता है और पुराने पर भी लागू होगा। तो मैं यह कहना चाहता था कि जिस प्रकार की बात-चीत भाषणों में की जाय और माननीय उपमंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुए रिलीफ दे रहे हैं, ग्रान्ट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो क्लॉज थी ११ (३) उसमें कमिश्नर को किसी भी समय एप्रोच कर सकते थे, एक एसेसी किसी भी समय जा सकता था और जाकर वह स्टे ग्रान्ट कराकर ला सकता था, लेकिन आज इस एमेंडमेंट में जो गवर्नमेंट ने मूव किया है उसके अनुसार वह स्थिति हो गई है कि सिर्फ कब जा सकता है जबकि अपील प्रजेन्ट होगई हो, "when the assessee has presented an application under section 13"

यानी जब तक अपील प्रेजेन्ट नहीं की जाय तब तक वह उसको मूव नहीं कर सकता है उसके पास। ७ दिन का टाइम मिलता है, अपील मूव करने में यानी इसका मतलब यह हुआ कि ७ दिन के अन्दर अन्दर अपील नहीं कर सकता है तो एसेसिंग ऑथोरिटी वह रुपया वसूल कर सकता है। उसकी प्रोपर्टी को अटेच कर सकता है He has no remedy. इसी प्रकार आगे लिखा है इस में, "disputed amount thereof during the pendency of the appeal,"

वह स्टे कब कर सकता है जब कि अपील पेंडिग हो, अपील डिप्टी कमिश्नर के पास पेंडिग हो तभी स्टे कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। ऐसे भी सरकम्स्टान्सेज हो सकते हैं कि जब अपील रेवेन्यू बोर्ड में पेंडिग हो, अपील हाई कोर्ट में पेंडिग हो या अपील के डिस्पोज़ल और रेवेन्यू बोर्ड में जाने के बीच में जो ६ महीने का पीरियड है उस

Page No 71

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

बीच में क्या होगा ? आज जो एमेंडमेंट लाया गया है उसके अनुसार फायदा न होकर ऐसेसी को नुकसान होगा जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। टैक्स लगा और अपील फाइल की उस बीच में एसेसिंग ऑथोरिटी जो चाहे कर सकता है।

इसी प्रकार रेवेन्यू बोर्ड तक टाइम मिलता है, ६ महीने के पीरियड में तो रेमेडी नहीं है।

इन डिफिकल्टीज़ को देखते हुए मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है वह इस प्रकार है जैसे कि इन्कम टैक्स में ये इन्हेरेन्ट पॉवर्स हैं वह इन्कम टैक्स ऑफिसर्स को पॉवर्स दे दी गई हैं। इन्कम टैक्स ऑफिसर को मूव कर दे तो वह इन्स्टालमेंट में ग्रान्ट करे या उसके बारे में ऑब्जेक्शन हो या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास में जाये वह सुनवाई करता है। उसका बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो कमिश्नर के पास जाये। वहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा सकता है। इस प्रकार से वहां चार स्टे हैं जहां पर कि कोई भी टैक्स के स्टे के लिए जा सकता है और रेमेडी सीक कर सकता है। लेकिन हमारे इस एक्ट के अनुसार कहीं नहीं जा सकता है सिवाय कमिश्नर के पास और उसके पास भी किस समय जा सकता है ? अपील प्रेज़ेन्ट कर दे और अपील इज पेंडिंग तो इतने से कम समय के लिए कमिश्नर के पास जा सकता है। तो जिस प्रकार की पहले पॉवर्स थीं उनको और रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसलिए मैंने मूव किया है कि डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर और सेल्स टैक्स ऑफिसर को ये पॉवर्स दे दिये जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने पहले भाषण देते हुए सैम्पल बताया था कि डिप्टी कमिश्नर अपील को इन्हेरेन्ट पॉवर्स थे और उन पॉवर्स का एक फैसला पढ़कर सुनाया था। अभी उसका रेवेन्यू बोर्ड ने यह फैसला दिया है कि यदि जिस प्रकार की अपीलेट ओथॉरिटी है और अपीलेट ओथॉरिटी को जो पॉवर्स हैं उन इन्हेरेन्ट पॉवर्स के द्वारा न्याय करने की दृष्टि से टैक्स स्टे करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इस एक्ट के द्वारा वे पॉवर्स ली जा रही हैं और जिस प्रकार ऑटोमेटिक स्टे के पॉवर्स डिप्टी कमिश्नर अपील को थे वह भी अब समाप्त हो रहे हैं उससे लाभ होने के बदले एसेसी को बहुत नुकसान हुआ है, और उसका मैं रेलेवेन्ट पैरेग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा—

Where an act confers a jurisdiction, it impliedly also grants the power of doing all such acts, or employing such means, as are essentially necessary to its execution. On jurisdiction explicari non-potuit.

यह मैक्सवेल के ३५० पेज पर लिखा है:—

It seems axiomatic that where the legislature invests an appelletn Tribunal with powers to prevent an injustice, it impliedly empowers it to stay the proceedings which may result in causing further mischief.

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

जहां इन्जस्टिस को रोकने लिए जो अधिकार दिये जाते हैं....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर उसके इन्हेरेन्ट पॉवर जो रेस्ट्रिक्ट करने का जो प्रोवीजन है वह सेक्शन १३ में दिया गया है। वह उसकी रेलेवेन्ट क्लॉज है वह ज्यादा उपयुक्त क्लॉज होगा, तो वहां पर विचार कर लेंगे इन्हेरेन्ट पॉवर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वह रेले-वेन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय कह दें तो जो क्लॉजेज रेलेवेन्ट हैं उनको एक साथ में ले लिया जाय या अलग अलग तरह से लेने का प्रश्न है तो उस तरह से ले लिये जायं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय मंत्रीजी का सुझाव मान लिया जाय और जो क्लॉज ६ में एमेंडमेंट है और जो क्लॉज ८ में एमेंडमेंट हैं और उसके साथ साथ जो क्लॉज ९ में अमेंडमेंट हैं, इन सारी क्लॉजेज को जिनमें क्लॉज ११, क्लॉज १३, क्लॉज १५ का प्रश्न चूंकि आपस में जुड़ा हुआ है तो मेरा सजेशन यह है कि इन तीनों के एमेंडमेंट एक साथ मूव करके उन तीनों क्लॉजेज पर एक साथ डिबेट करवा लें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, ६ और ८ तो एक साथ जुड़ी हुई हैं और क्लॉज ९ मेरे खयाल से है रिवीजन की है। उसमें इन्हेरेन्ट पॉवर्स का प्रश्न नहीं आता है। रिवीजन के स्टे का जहां तक प्रोवीजन है पहले स्पेसिफिकली नहीं था लेकिन अब एक्सप्रेसली प्रोवीज़ो से रख दिया है। अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्टे के पॉवर्स होंगे; इसलिए इन दो धाराओं को एक साथ ले लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस क्लॉज को ओमिट करने का एमेंडमेंट रखा था। ओरीजिनल बिल की धारा ११ (३) में जो प्रोवीज़ो था उसमें कमिश्नर के पॉवर्स थे स्टे करने के और अब जो एमेंडमेंट लाये हैं उसमें कमिश्नर के पॉवर्स को कम कर दिया है यह रेस्ट्रिक्शन लगाकर कि कमिश्नर अपील पेश होने के बाद स्टे करेगा। ऐसा लगता है कि आपको किसी पर विश्वास नहीं है। न कमिश्नर पर विश्वास है, न डिप्टी कमिश्नर पर विश्वास है, रेवेन्यू बोर्ड का विश्वास नहीं, लेकिन जो पहले प्रोवीज़ो था उसमें यह लिखा हुआ था—

"Provided that the Commissioner may, on an application in writing from the assessee, give such directions as he thinks fit, in regard to the payment of such tax......'

यह पहले प्रोवीज़ो था जिसको ओमिट करना चाहते थे। उस प्रोवीज़ो के बजाय दूसरा सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं और सब्स्टीट्यूशन की जो व्यवस्था की है उसमें

Page No 73

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खास रेस्ट्रिक्शन यह लगाया है कि अपील पेश होने के बाद फिर कमिश्नर इस प्रकार का स्टे करता है, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपील पेश होने के बाद जैसा कि माननीय सदस्य ने बहस के दौरान में बताया कि ६० दिन का समय पोसिबली मिलता नहीं, उसमें समय लगता है । बिना अपील नहीं होती, ऐसे कई झंझट आ जाते हैं इसलिए इसको जरूरत नहीं है; इसलिये पहले का जो प्रोविजो उसको रिटेन करना चाहो तो रिटेन कर लीजिये; लेकिन नया लगाकर एसेसी जो पहले आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैड है इसलिए मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत है । पहले के प्रोविजो को रिटेन कर लीजिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप नहीं चाहते तो सरकार वापिस लेलेगी । पहले से सरकार को अधिकार था, उस पर रेस्ट्रिक्शन लाये हैं । माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की उसकी वजह से अमेन्डमेन्ट लाये हैं । यदि आपको पसन्द नहीं है तो वापिस लेने में हमें क्या एतराज है ?

एक माननीय सदस्य : कोई एतराज नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सरकार को एतराज है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यदि हम अमेन्डमेन्ट लाये हैं तो आपकी वजह से लाये हैं जैसा कि मंत्रीजी ने कहा आपको सुन कर उन पर असर पड़ा, इसकी वजह से अमेन्डमेंट लाये हैं । ऐसी हालत में आप यदि नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि गला घोंटा है तो हमारा क्या है, हम वापिस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि दोनों साथ-साथ चल रहे हैं; माननीय मंत्रीजी का संशोधन है उसके साथ दूसरे को भी कंसीडर कर लिया जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (सम्पत्तिलाल बोहरा के लिए) आप बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो रिलिंक्विश कर दिया ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मेरा तो अभी चल रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैंने इन्टरवीन करके यह रिक्वेस्ट की थी कि दोनों क्लॉज साथ ले लिये जावें ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज ८ क्या कहता है, यह मैं पढ़ना चाहूंगा:—

"Notwithstanding that an appeal has been preferred to the appellate authority, the tax shall, subject to the provisions contained in the provisos to sub-section (3) of section 11, be paid in accordance with the order against which an appeal has been preferred, and the payment of tax shall not be stayed by the appellate authority."

Page No 74

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ जो सरकार की तरफ से आया है उसको भी आप पढ़ लें।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : मैंने पढ़ा है सरकार का अमेन्डमेन्ट। इसके द्वारा यह हो गया कि अब तक राजस्थान में डिप्टी कमिश्नर अपील्स को स्टे देने की पॉवर थी उनको उन्होंने युटिलाइज किया है, स्टे दिया, है, जिन केसेज में उन्होंने स्टे नहीं दिया, वे रेवेन्यू बोर्ड में गये हैं और रेवेन्यू बोर्ड ने जजमेंट दिया है कि डिप्टी कमिश्नर को स्टे देने का अधिकार है। आज क्योंकि एक जजमेंट रेवेन्यू बोर्ड का हो गया उसकी मंशा डिफीट करने के लिये यह क्लॉज लाया गया है। इसलिये मैं रिलेवेन्ट पोर्शन को पढ़ना पसन्द करूंगा। यह केस है केसरीलाल लालचन्द वरसेज स्टेट। इसमें डिप्टी कमिश्नर ने स्टे ग्रान्ट की उसको एसेसिंग ऑथोरिटी ने नहीं माना, यह कह कर कि कमिश्नर के इन्ट्रक्शन्स ऐसे ही हैं। इस पर दुबारा कहा कि तुम मानो, नहीं माना तब कोर्ट में गये। इसमें लिखा है :

"These revisions arise out of a common list that either the Deputy Commissioner (Sales Tax) Appeals has refused to grant stay on the plea that he has no power to grant stay as per provisions of amended section 13 of the Rajasthan Sales Tax Act, or the stay granted by the Dy. Commissioner, Sales Tax (Appeals) has not been complied by the Assessing authorites on the plea that they have received instructions from the Commissioner, Excise & Taxation, not to enforce the stay granted by the Dy. Commissioner Sales Tax (Appeals)."

और इस पर जजमेंट देते हुए....

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्यों को दिलचस्पी नहीं है।

श्री माणिकचन्द सुराणा : कोरम नहीं है तो सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती। कांग्रेस मेम्बर्स और विरोधी दल के सदस्य इधर उधर चाय पी रहे हैं इसलिये हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय ताकि सरकार को सबक मिले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को भी दिलचस्पी नहीं है वे भी सदन में नहीं बैठते हैं तो दूसरों का तो सवाल ही क्या है।

श्री माणिकचन्द सुराणा : सदस्यगण आ गये हैं, आप बोलें।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : "The amended section 13 of tne Rajasthan Sales Tax Act has given certain powers to the appellate authority and in clear and unequivocal terms it lays down that the appellate authority can confirm, reduce, enhance or annul the assessment or penalty or set aside the assessment or penalty and direct

Page No 75

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

the assessing authority to pass a fresh assessment order after such enquiry as may be directed.

From this amended section the intention of the legislature is perfectly clear that when an appellate authority has the power to annul the assessment, it sounds most unreasonable that the appellate authority cannot grant a temporary stay. The law on the subject is laid down in Maxwell on the interpretation of statutes, llthediction on page 350 in the following terms:- Where an act confers a jurisdiction, itatl. impliedly also grants the power of doing all such acts, or employing such means, as are essentially necessary to its execution on...

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा क्लॉज है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लाज ८ पर बोल रहा हूं :—

"On jurisdiction explicari nonpotuit. It seems axiomatic that where the legislature invests an appellate Tribunal with powers to prevent an injustice, it impliedly empowers it to stay the proceedings which may result in causing further mischief. In such cases the refusal to stay the proceedings may make the appeal itself nugatory, if a reassessee to file another and costly appeal. A view of law which leads to such onerous results is prima facie untenable. It would appear highlyundemocratic and unconstitutional in a welfare State like ours to question powers of an appellate court which is the function of justice. It is however a matter of gratification that the Commissioner has now also been granted the power of stay which is an extra relief that has been given to the assessee.'

यह रेवेन्यू बोर्ड लिख रहा है कि यह अनडेमोक्रेटिक और अन विस्टिट्यूशनल है। राजस्थान एक वेलफेयर स्टेट है, इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन करना उचित नहीं है।

It is no doubt true that in the code of Civil procedure, there is a specific provision, namely section 151,......

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह समझता हूं, संक्षेप में कह दें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : relating to the inherent powers of courts. But that section does not create any new right and only enunciates the powers which are exercisable by courts for the ends of justice or to prevent the abuse of any legal process;...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहे यदि सरकार को इस फैसले की जानकारी हो।

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख का है ?

श्री परसराम मदेरणा : ३-४-६५ का।

Page No 76

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने इनको कौल साहब समझ लिया है क्या ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : The principle underlying these decisions is that Courts of law have got the powers, apart from any harassment to the parties.

इस पर मेरा यह निवेदन था, उपाध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमिश्नर को यह पॉवर है कि वह एसेसमेंट को सेट एसाइड कर सकता है, एसेसिंग ऑथोरिटी को फर्दर एसेसमेंट के लिए कह सकता है, एनल कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसको इतनी पॉवर्स हैं उसके बारे में कहें कि स्टे के पॉवर्स नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यदि आप डिप्टी कमिश्नर को स्टे के पॉवर्स नहीं देते हैं तो हमें यह शंका है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। यदि यह न्यायोचित है तो आपको पॉवर्स देनी होगी और यदि आप नहीं देते हैं तो किसी आदमी को हैरेस करने के लिये पार्टी के कारण परेशान करने के लिये ऐसा करते हैं इसके सिवाय कोई मंशा आपकी नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कितने ही केसेज में स्टे दिया है, माफ हुआ है, सेल्स टैक्स एक्ट ५६ तक पैनल्टी लगी है वह माफ हुई है, आखिर इसके कारण सेल्स टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर आपका विश्वास नहीं है. सरकार की ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए......।

सेल्स टैक्स जिस प्रकार वसूल किया जाय उसके पीछे सिद्धान्त होना चाहिए। आज कानून या न्याय यह कहता है कि यदि कोई टैक्स लगाया जाय और यदि लॉ एम्बीगुअस हो और यदि उसके खिलाफ टैक्स लगाया जाता है तो लॉ कोर्ट्स एसेसी के फेवर में जजमेंट देते है। उस दृष्टि से यदि किसी पोइन्ट में एसेसी को डिस्प्यूट हो, किसी पाइन्ट पर एसेसी यह कहता हो कि उस पर टैक्स की लाएबिलिटी नहीं बनती है या वह यह कहे कि उसकी पोजीशन नहीं है कि टैक्स की लाएबिलिटी उससे वसूल की जाय तो ऐसे समय में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि टैक्स को स्टे करने की पॉवर दी जाय। अगर ऐसी पॉवर नहीं दी जायगी तो जो केस मैंने सदन में पहले रेफर किया था, वैसी ही हालत होगी। घासीराम मांगीलाल का केस मैंने इस सदन में रेफर किया था, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर एक दिन में १८६५ के ऊपर पहली साल में ५० हजार का टैक्स एसेस किया और २५ हजार की पैनल्टी लगाई, रिटर्न लेट होने से, सिर्फ रिटर्न लेट बाई डेज होने से। दूसरी साल में उसके ऊपर ३५ हजार का टैक्स एसेस किया और १७ हजार की पैनल्टी लगाई और फिर २५ तारीख को यानी १८ तारीख को उसके बाप का टैक्स एसेस करते हैं और उसके बाद २५ तारीख को लड़के का टैक्स एसेस करते हैं एक ही आइटम पर जब कि हाई कोर्ट का स्टे आ गया था कि फरदर टैक्स मत करो, तब भी २५ तारीख को एक साल का ३६ हजार का टैक्स और १७ हजार की पैनल्टी लगाई और दूसरी साल के लिए ६२ हजार का टैक्स एसेस किया और ३० हजार की पैनल्टी लगाई। इस तरह दोनों का मिला कर एक साल में ५३,१७२ टैक्स लगाया और दूसरी साल का ६२ हजार २०६ का टैक्स लगाया।

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

इस प्रकार फादर और सन, दोनों का मिला कर, २,१६,२०६ का टैक्स लगाया। इसके अन्दर असेसिंग आॅथोरिटी पन्द्रह दिन का टाइम देती है कि पन्द्रह दिन के अन्दर रुपया जमा कराओ। अगर वह पन्द्रह दिन के अन्दर जमा नहीं करा सकता तो आगे क्लॉज के अनुसार कमिश्नर के पास वह स्टे एप्लीकेशन देकर स्टे करा सकता है और अगर स्टे नहीं कराये तो उसके खिलाफ अटेचमेंट के आॅर्डर कर देंगे। इसके अन्दर एक और विचित्र बात है कि १९६४-६५ की साल का भी टैक्स असेस कर दिया गया; जब कि वह टैक्स ३१-५-६५ के बाद में ड्यू होता है। इस प्रकार की ज्यादती होती है कि जो टैक्स पेएबल नहीं है, उस पर इस तरह का टैक्स लगाया जाय और उसके कारण ही उस आदमी की मृत्यु हो जाय। यह बहुत सीरियस बात है और ऐसे कानून के अनुसार बड़ी बड़ी चीजें हो जायंगी। इसके अन्दर जो क्लॉज में अमेंडमेंट लाया जा रहा है; क्या इस बिल के अन्दर संशोधन करके यह सदन चाहता है कि इस प्रकार की ज्यादती होती रहे और कमिश्नर को ये पॉवर्स दे दी जायं और कमिश्नर को पॉवर्स दे दी जायं, इस प्रकार का पॉवर का प्रावधान इस एक्ट में रख दिया जाय, जिसके कारण सेल्स टैक्स अधिकारी खुल कर ज्यादती कर सकें, खुल कर टैक्स वसूल कर सकें, चाहे वह टैक्स आयद हो या नहीं हो। ऐसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण हैं जिनमें सेल्स टैक्स असेसमेंट के लिए नोटिस देते हैं और एक तारीख पर पेशी के लिए बुलाते हैं। पेशी के लिए दस बजे का टाइम होता है। उस दिन दस बजे असेसिंग आॅथोरिटी पहुंचती नहीं है और उसके नहीं पहुंचने पर भी असेसी वहां जाता है और १० बजे, ११बजे, १२ बजे, १ बजे और २ बजे तक इन्तजार करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद असेसिंग आॅथोरिटी आता है और यह कह कर कि असेसी हाजिर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी असेसमेंट कर देता है। और उसके बाद में नोटिस दे दिया जाता है कि पन्द्रह दिन के अन्दर असेस्ड टैक्स जमा कराओ और जमा नहीं कराते हो तो या तो कमिश्नर के पास से स्टे आॅर्डर लाओ नहीं तो उसके बाद में अटेचमेंट की प्रासीडिंग्ज कर देंगे। इस तरह से हरेसमेंट होता है इसलिए मजबूर होकर उसको जमा कराना पड़ेगा। पहले जो कानून था उसमें गुंजाइश थी, उसमें जो सुविधा थी उसको भी अब इस अमेंडमेंट के जरिये कर्टेल करके कम किया जा रहा है; इसके अनुसार राजस्थान के असेसी को रिलीफ मिलने का सवाल नहीं उठता है और जिस समय टैक्स असेस होता है और जिस समय तक अपील, स्टे की एप्लीकेशन फाइनल होती है इस बीच में उसे खत्म कर दिया जायगा। इसके अन्दर अपील जब तक पेंडिंग है और अपील पेंडिंग होने के बाद जब तक वह बोर्ड आॅफ रेवेन्यू के सामने जाता है तब तक के लिए उसे समय देने का प्रावधान नहीं है कि वह अपील या पिटीशन दे सके। इसलिए मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है, मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टि से जो मन्शा है वित्त मंत्री जी की उसको ध्यान में रखते हुए इसको एक्सेप्ट करें।

Page No 78

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा ! थोड़ा संक्षेप में विचार रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो सारे अमेंडमेंट्स और सारे संशोधन पेश किये गये हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्लॉज पेश किये गये हैं, वे वे हैं जिनमें रिवीजन और रिवीजन के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट के क्या अधिकार हैं– यह बताया है। यह क्लॉज इस सारे बिल की जान है इसलिए मैं थोड़ा समय तो चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन माननीय मंत्री ने पेश किया है और उस पर मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको मूव हुआ समझ लिया जाय और आपका आदेश चाहूंगा कि जो लेंग्वेज हमने पेश की है उस लेंग्वेज को इस प्रोसीडिंग में इनकोर्पोरेट कर लिया जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने हमको बताया कि आपके इस संशोधन की मन्शा क्या है ? जहां तक हम समझ पाये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की मन्शा यह है कि राजस्थान के डिप्टी कमिश्नर के सामने जब कोई अपील पेश हो जाय, कोई बिक्री कर अधिकारी के फैसले के खिलाफ कोई ऐसे डिप्टी कमिश्नर के सामने जब अपील लाई जाय, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर उसके अन्दर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता है और उस अपील के ऊपर स्टे ऑर्डर देने का अधिकार कमिश्नर के हाथ में सुरक्षित रखा गया है। यह कुल मन्शा है इस सारे संशोधन की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान जो इतना लम्बा-चौड़ा, विशाल प्रान्त है जिसमें कमिश्नर महोदय, सिर्फ एक स्थान पर बैठते हैं, उनके हाथ में यह अपील में भी स्टे ऑर्डर देने के अधिकार को सुरक्षित हमारी सरकार करना चाहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस निर्णय पर आ गई है कि राजस्थान के डिप्टी कमिश्नर्स ने अब तक जिन अपीलों पर स्टे ऑर्डर दिया है वह स्टे ऑर्डर कानून के खिलाफ दिया गया है ? या राज्य सरकार ने जो कानून पारित किया है उसकी मन्शा के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया गया है ? और राज्य सरकार के इन्ट्रेस्ट और स्वार्थ के विरुद्ध स्टे ऑर्डर दिया गया है ? या राज्य सरकार इस निर्णय पर आ गई है कि राजस्थान के डिप्टी कमिश्नर काबिल नहीं हैं और सेल्स टैक्स के मामले में कोई काबिल आदमी हैं तो वह सिर्फ कमिश्नर है और डिप्टी कमिश्नर है वह अपने जुडिशियल माइन्ड को एक्सरसाइज करने के लिए काबिल नहीं हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : हाइएस्ट काबलियत रखते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो अधिकारी अपील पर निर्णय दे सकता है, जो अधिकारी सेल्स टैक्स अधिकारी के फैसले को रद्द कर सकता है, उसके हाथ में अपील के ऊपर स्टे ऑर्डर देने की पॉवर न देकर आप उसके जुडिशियल माइन्ड के ऊपर, जुडिशियल एबिलिटी के ऊपर अविश्वास प्रगट करते हैं। मैं समझता

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हूं कि राज्य सरकार का इस प्रकार अविश्वास प्रकट करना किसी भी मायने में उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट की दो-एक ऑथोरिटी मेरे पास हैं। जिनमें यह कहा है कि एपीलेट कोर्ट का मतलब यह है कि एपीलेट कोर्ट न्याय देने के लिए होती है, जो नीचे की ऑथोरिटी उचित आदेश किसी मुकदमे में दे, वह उसमें कोई आदेश दे सकता है और वह उसके लिए एन्सीलियरी और इन्सीडेंटल हुक्म दे सकता है। यह तय कर सकता है कि जिस प्रिलिमिनरी पाइन्ट पर अपील पेश की गई है उसमें दम है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टे ऑर्डर कानून के अन्दर दिया जा सकता है; माननीय उप-मंत्री भी वकील रहे हैं, कोई अपील पेश की जाय या रिवीजन की एप्लीकेशन पेश की जाय उस अपील या रिवीजन की एप्लीकेशन में इस बात को रखा जाता है कि हमारी अपील में दम है कि हमारी अपील स्वीकार की जाय, यह उम्मीद है। यह जो निगरानी पेश की है वह निगरानी स्वीकार की जायगी। इसलिए मैं अदालत में अपील करता हूं, इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाय। अब आपके विधेयक के अनुसार अपील तो सुने डिप्टी कमिश्नर और स्टे ऑर्डर देने के लिए आपने अधिकार दिया है कमिश्नर को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर कोई मुकदमा लें तो उसका नतीजा क्या होगा। नतीजा यह होगा कि बीकानेर के असेसी, जिसके खिलाफ हुक्म सेल्स टैक्स अधिकारी ने दिया, वह सबसे पहले अपील उदयपुर में ले जाय और वहां पर एक वकील मुकर्रर करे। वह वहां पर अपील पेश कर दे। उसके बाद क्योंकि उसको स्टे ऑर्डर प्राप्त करना है, इसलिए वह उदयपुर से जयपुर आये और या तो उदयपुर के वकील को फर्स्ट क्लास में बैठा कर यहां लाये। और क्योंकि आपके कमिश्नर को फुर्सत नहीं हो स्टे ऑर्डर देने की, एप्लीकेशन सुनने की, तो वह इधर उधर मारा मारा फिरे। और अगर उसमें मारे मारे फिरने की और उदयपुर से जयपुर तक बार बार वकील को लाने में पचास रुपये हर दफा खर्च करने की और खर्च को भुगतने की सामर्थ्य नहीं रखता हो तो वह जयपुर में एक वकील कर ले, ताकि जब कमिश्नर को टाइम हो तब वकील के द्वारा स्टे ऑर्डर की पैरवी कराये। तो एक वकील वह बीकानेर में करे, एक उदयपुर में करे और एक जयपुर में करे और उसके बाद भी कमिश्नर स्टे ऑर्डर नहीं दे तो अपील सुनवाई के लिए पेंडिंग है बीकानेर में मामला तो वह यहां से हाई कोर्ट में जाय। एक वकील वहां पर भी करे और आर्टिकल २३६ के तहत, कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल २३६ के तहत रिट पिटीशन करे। तो स्टे ऑर्डर के लिए इन तमाम चार अदालतों में इन तीन अदालतों में डिप्टी कमिश्नर के यहां, कमिश्नर के यहां और हाई कोर्ट में मारा मारा फिरे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे अच्छा तो आप न्याय का गला घोंट दीजिये, बजाय आप इस तरह का प्रोवीजन बनायें...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिअर, हिअर !

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सिर्फ यह लिख दीजिये कि हम स्टे ऑर्डर नहीं

Page No 80

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

देना चाहते है। आपको तो टैक्स वसूल करना है, चाहे वह टैक्स कानूनी हो या गैर कानूनी हो। फिर आप अपील का ढोंग, निगरानी का ढोंग और हाईकोर्टके रेफरेन्स का ढोंग क्यों करते हैं ? यह कहा जाता है कि सेल्स टैक्स अधिकारी के हुक्म के ऊपर स्टे न मिले तो उसको टैक्स जमा कराना चाहिए और उसके बाद में अगर आपत्ति हो तो वह हाई-कोर्ट में जाय और वहां से उस हुक्म को सेट असाइड करवाये। अगर सेट असाइड हो जाता है तो वह टैक्स का रिफन्ड ले ले। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का प्रोवीजन है जिसके द्वारा एक असेसी को राज्य के चारों बड़े बड़े शहरों में चार चार वकील के पीछे लगा दिया जाय, तो आप यह नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी व्यापार करे। आप चाहते हैं कि वह सिर्फ कचहरियों में मुकदमे लड़ता फिरे और स्टे एप्लीकेशन देता फिरे और उसके बाद भी वह टैक्स दे। इसके बाद हाई कोर्ट जाय, वहां उसके फेवर में फैसला हो जाय तब आप उसको रिफन्ड देंगे। इस तरह आपने उसको दर दर का भिखारी बना दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो इसके व्यवहारिक पहलू हैं, लेकिन जो आपने कानून बनाया है, उसके अनुसार एक कोटा का व्यापारी हो तो उसका क्या हाल होगा। वह कोटा से पहले डिप्टी कमिश्नर के पास जाय फिर जयपुर कमिश्नर के पास आये और फिर जोधपुर हाई कोर्ट में जाये। फिर इस तरह आप यह चाहते हैं या नहीं कि किसी व्यापारी को कोई सहूलियत मिल सके, उसको कोई न्याय मिल सके। और न्याय मिल सके इसके लिए आप डिप्टी कमिश्नर को काबिल नहीं समझते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कोई काबिल आदमी हैं आपकी निगाह में तो वह कमिश्नर है, एक कमिश्नर में ही आपको भरोसा है और वह ही स्टे देगा तो फिर आप डिप्टी कमिश्नर के पास अपील का अधिकार क्यों देते हैं ? आप डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट को एबोलिश कर दीजिये इतने सारे आपने फिर एडीशनल और डिप्टी कमिश्नरों को बिठा क्यों रखा है ? उनको आप एडीशनल कमिश्नर बना दीजिये जिससे स्टेटमेंट को वे भेजेंगे वे स्टे आॅर्डर सुन लेंगे। इसलिये कोटा और उदयपुर और जोधपुर से लोगों को मारा मारा नहीं फिरना पड़ेगा और लोगों को दर दर की ठोकर खाने से बचा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अधिकारों का प्रश्न है अपील में अधिकार क्या हो, इस सम्बन्ध में १९५२ में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है :

"Ordinarily a court of appeal has not only jurisdiction to determine the soundness of the decision of the inferior court as a court of error, but by the very nature of things it has also jurisdiction to determine any points raised before it in the nature of preliminary issues by the parties."

तो यह प्राइमरी इश्य पार्टी द्वारा उठाया जाता है जिसका फैसला हुआ है। आप कहते हैं कि हम स्टेच्यू से पॉवर

Page No 81

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

निकाल रहे हैं और ये अधिकार हम सदन का मानते हैं। लेकिन इस अधिकार को निकालने के पीछे हमें देखना यह है कि हमारी नीति क्या है। हम पॉवर क्यों निकाल रहे हैं? क्या आपके पास यह शिकायत है कि आपके डिप्टी कमिश्नर घूसखोर हैं और घूस खा खा कर गड़बड़ी करते हैं और अगर इस प्रकार की शिकायत नहीं है तो फिर आप डिप्टी कमिश्नर जो आपका है वह एक आर. ए. एस. और आई. ए. एस. की केडर का व्यक्ति होता है, क्या आपको उसके इन्साफ में भरोसा नहीं है? मैं इस प्रश्न पर ज्यादा नहीं जाना चाहता मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप सारे पोवर्स कमिश्नर को क्यों देना चाहते हैं। आपने यह लिखा है कि कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ कोई रिव्यू नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कोई फैसला किया है तो उसके खिलाफ तो आपने रेवेन्यु बोर्ड में सुनवाई के लिये प्रावधान रखा है। लेकिन आपने इसकी अपील या निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नहीं की. यह संशोधन आपने कैसे किया है? कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ कोई निगरानी नहीं हो तो फिर रिट हो सकती है। आप तो जोधपुर के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि वहां के वकील एक रिट के ३०३) से कम नहीं लेते और कोई बृजसुन्दर जी के पास जावेगा तो वे ५५०) रु० लेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर उस असेसी का क्या हाल होगा? यह ५५०) तो बृजसुन्दरजी ले लेंगे और अगर चिरंजीलाल अग्रवाल को किसी ने वकील किया तो वह ३३०) भी ले लेगा। इसके अलावा जयपुर से जोधपुर तक का फर्स्ट क्लास का किराया और उसको देना होगा। आप कहते हैं कि उसकी रिविजन नहीं होगी। आपकी सरकार कहती है कि इस कमिश्नर के हुक्म को सिविल कोर्ट में भी चेलेंज नहीं कर सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिविजन कर नहीं सकते। इसलिये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ कर नहीं सकता। डिप्टी कमिश्नर स्टे नहीं दे सकता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यह कानून बनाया है वह वकीलों के लिये तो स्वर्ग है। छोटे से असेसी के केस के लिए जयपुर, उदयपुर, और जोधपुर के वकीलों को तो मजा हो गया क्योंकि आपने रिजिवन का प्रावधान नहीं रखा है तो फिर हाई कोर्ट में रिट होगी। और १०० में से ९९.९ है वे नामंजूर करने वाले हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वकीलों के लिये तो स्वर्ग बना रहे हैं, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी सर्विस क्लास और ब्यूरोक्रेसी के लोग अपने हित के लिए इस प्रकार का कानून ला रहे हैं। इससे मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे लाल-फीताशाही और बढ़ेगी और नौकरशाही को मजा आ जाएगा। और उतना ही छोटे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा और जो एक लाख के करीब असेसी हैं इनकम टैक्स में कम हैं और यहां पर बहुत हैं, आपके दुश्मन हो जावेंगे और वे इससे इतने परेशान हो जावेंगे। यह कांग्रेस सरकार का केरेक्टर क्या है, सरकार की नीति क्या है समझ में नहीं आता, कांग्रेस सरकार जो राज्य कर रही है उन पर नौकरशाही के लोग हावी हैं और इस प्रकार के कानून को लाने में जो कांग्रेस की नीति रही है उसका एक अंश

Page No 82

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मात्र भी नहीं डाला गया है । मैं माननीय उपमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो कानून के जानने वाले हैं और अगर आप इसको किसी भी तरह से जस्टीफाई समझते हैं तो आप बताइये । कौल साहब की तो हिम्मत नहीं है कि वे इसकी बहस या उत्तर दें । आप कानून के जानने वाले हैं, आपको मैं निवेदन करूंगा कि आपको इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिये । मैंने एक ऑथोरिटी आपके सामने पेश की है और दूसरी दो और सुप्रीम कोर्ट की ऑथोरिटीज है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी बातें हाउस की प्रोसीडिंग्ज में न आ जावे । मैं यह बताना चाहता हूं कि राइट ऑफ अपील है वह किसी भी कानून में रोका नहीं जावे । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी एक्ट के द्वारा आप किसी के न्याय के दरवाजों को बन्द कर रहे हो तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा कानून कानून नहीं है जो किसी के न्याय के दरवाजों को बन्द करता है । सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से लिखा है :—

"The meanest of citizens have a right of access to a court of law for the redress of his just grievances and it is of this right that the appellants have been deprived by this Act. It is impossible to conceive of a worse form of discrimination than the one which differentiates as a particular individual from all his fellow subjects and visits him with a disability which is not imposed upon anybody else and against which even the right of complaint is taken away."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राइट ऑफ अपील और रिविजन को खत्म नहीं किया जावे; इस तरह की परिस्थिति आप कहीं पैदा नहीं कर सकते । इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है । यह मूलभूत सिद्धांत है कि हर आदमी को इन्साफ मिलना चाहिये और यह एक जुडीशियरी का मूल सिद्धान्त है, इसको ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कानून को बनाना चाहिये । इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत संक्षेप में ही अर्ज करूंगा । पंजाब का सेल्स टैक्स का एक केस है उसमें साफ तौर से कहा गया है :

"As a result of the decision their Lordships of the Supreme Court in Delhi Laws Act, 1912, any law which delegates the legislative powers to the executive is considered ultra vires and unconstitutional."

इस ओब्जर्वेशन के साथ ही आगे उन्होंने कहा है : "Any legislation which vested unfettered legislative powers in the executive would be ipsofacto void and unconstitutional. It can admit of no doubt whatever that section 5 of the Act has given an unlimited power to the executive to levy sales tax at the rate it thinks best.

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा जजमेंट है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सेल्स टैक्स केस १९६३, पेज ४८० । पंजाब हाई कोर्ट का है ।

सुप्रीम कोर्ट के केस के जजमेंट को डिस्कस करके जो ऊपर का सिद्धांत मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कहा है कि सेल्स-टैक्स के केस में अनलिमिटेड, अन फटर्ड पॉवर्स दिये वे विधान की कॉम्पीटेन्स के बाहर हैं, एग्जीक्यूटिव हैड को इस प्रकार के पॉवर्स नहीं दे सकते । अनलिमिटेड पॉवर्स कमिश्नर को दे रहे हैं कि किस तरह से केसेज़ में स्टे देगा, किस तरह के केसेज़ में स्टे नहीं देगा, पूरी अपील जिसके सामने नहीं, वह फुल्ली एप्रीशियेट नहीं कर सकता कि क्या परिस्थिति है, क्या क्या पोइन्ट्स इन्वोल्व्ड हैं । एक ही बोडी को जूडिशियल और एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स इस प्रकार के दिये हैं, कमिश्नर को स्टे एप्लीकेशन पर ऑर्डर के अधिकार दिये हैं, उसी के मातहत डिप्टी-कमिश्नर को जुडिशियल पॉवर अपील की सुनवाई के दिये हैं, यह डायर्की, ड्युअल रूल आपने पैदा किया है, इससे इस सिद्धान्त की हत्या होती है । अपीलेट ऑथोरिटी जो कमिश्नर का मातहत है वह अपने हायर ऑफीसर की मंशा के विपरीत नहीं जा सकता, जब कि वह देखता है कि स्टे एप्लीकेशन पर कमिश्नर लिख दिया है कि मैं इसमें स्टे का ऑर्डर नहीं दे सकता, इस प्रकार का स्टे एप्लीकेशन में ऑर्डर दे दे तो सारी अपील की सुनवाई पर असर पड़ता है, क्योंकि वह उसका मातहत ऑफीसर है ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ओरीजिनल अमेन्डमेंट रखा है कि ११ (३) को डिलीट किया जाय, उसको बनाये रखें, डिलीट न करें, नया संशोधन रखा है उसे वापिस ले लें, क्लॉज़ १३ के सब-क्लॉज़ (६) में संशोधन दिया है, उसे वापिस ले लें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मसला सदन के सामने है वह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर है । इसलिए यदि हम इस पर अपनी राय जाहिर किये बिना सदन में चुपचाप बैठे रहें तो मैं समझता हूं हम अपने उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर रहे हैं ।

जो पोज़ीशन इस अमेंडमेंट के जरिये रखी गई है वह बड़ी अजाब है, सारे न्याय के सिद्धान्तों को बलाए ताक रख दिया है इस अमेंडमेंट में । आम तौर पर हर कानून में मिलेगा कि जब किसी मामले की अपील होती है तो अपील अदालत को अधिकार होता है कि वह उन केसेज़ में नीचे के ऑर्डर का स्थगन कर दे, चाहे कितना ही सीरियस मामला हो, फौजदारी के मसलों को लीजिये; वहां तो सजा हो जाती है, बहुत डेन्जरस क्रिमिनल्स हैं, वहां भी लॉ में प्रोविज़न है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि ऊपर की अदालत द्वारा सस्पेन्शन ऑफ सेंटेन्स किया जा सकता है । सीरियस फौजदारी केसेज़ में भी स्टे का प्रावधान है । सी० पी० सी० में स्टे का प्रावधान है ।

इस प्रकार का प्रावधान सेल्स टैक्स में था कि अपीलैंट ऑथोरिटी स्टे ग्रान्ट कर सकती है, उसको खत्म करके यह कह दिया कि अपीलैंट ऑथोरिटी को स्टे ग्रान्ट करने का

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अधिकार नहीं होगा बल्कि स्टे ग्रान्ट करने के लिये जैसा कि माननीय सुराणाजी ने कहा कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा । स्टे ग्रान्ट करने की वजूहात नहीं लिखी कि किस आधार पर स्टे ग्रान्ट की जा सकती है । तो कमिश्नर को देखना पड़ेगा कि प्राइमाफेसी बनता है या नहीं, अगर कमिश्नर ने कह दिया कि There is no case for stay, तो जो उनका फैसला प्रोपर केस स्टे का नहीं है, यह नीचे की अदालत पर तो बाइंडिंग फोर्स रखेगा, जिसमें प्री-जज कर लिया, उसकी हायर ऑथोरिटी कमिश्नर ने ।

आप कह सकते हैं कि यह तो इन्टेरिम मामला है, पर इसका साइकोलोजिकली क्या इफेक्ट होगा लोअर ऑथोरिटी पर ? यह असर पड़ेगा कि मेरी हायर ऑथोरिटी ने ऑर्डर किया है तो इसमें कोई गुंजाइश स्टे की नहीं है। हम हर एक अधिकारी पर अविश्वास करके चलते हैं कि वे करप्ट हैं, वे ठीक तरह से काम नहीं करते, तो क्या वजह है कि सेल्स टैक्स ऑफीसर के असेसमेंट की अपील रखते हैं ? यह तो शाइलोक की तरह ऐसी नीति बना रहे हैं कि चूंकि सदन में हमारे ऊपर आक्षेप होते हैं कि पैसा वसूल नहीं होता है, तो पैसे को जकड़कर रखें ताकि हमारी तिजोरियां भर जायं । अविश्वास इस बात पर करते हैं कि वे रिश्वत लेकर ऐसे फैसले दे देते हैं । डिप्टी कमिश्नर एक हायर जुडिशियल सर्विस का, हायर एग्जीक्यूटिव सर्विस का ऑफिसर, जिसको आप ८००-६०० रुपया तनख्वाह देकर रखते हैं, फिर भी उसके डिस्क्रिशन पर आपको विश्वास नहीं कि वह अपने अधिकारों को प्रोपरली एक्सरसाइज नहीं करेगा । इस धारा से सरकार द्वारा मंजूर किया गया है कि आपका सेल्स टैक्स अपीलेट ऑथोरिटी में अविश्वास है कि वे बगैर पैसा खाये कोई काम नहीं करते, पैसा खाकर स्टे दे देते हैं । अगर आपको यह अविश्वास है तो साफ तौर से कहिये कि हर मामले में स्टे दे देते हैं। अगर हर मामले में वे स्टे दे देते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये । अपीलेट ऑथोरिटी को प्रोपर केसेज में अधिकार होता है कि वे स्टे ग्रान्ट करें...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप घंटी बजायेंगे तो जो कुछ मैं सदन को कहना चाहता हूं उसका लाभ नहीं मिलेगा ।

तो जो आप प्रावधान करना चाहते हैं, वह इस बात का द्योतक है कि आप अपनी अपीलेट ऑथोरिटी में विश्वास नहीं करते । अगर आप अपनी अपीलेट ऑथोरिटी में विश्वास नहीं करते तो फिर अपील मत रखिये, साफ कर दीजिये कि कमिश्नर के पास ही सारे अधिकार रहेंगे । एक आदमी को स्टे ग्रान्ट करने के अधिकार, दूसरे को अपील मंजूर करने के अधिकार, यह तो किसी कानून में नहीं देखा । मैं आपको एक किस्सा अर्ज करूं, रियासतों के मर्जर से पहले छोटी सी रियासत थी, उसका नाम मैं नहीं लूंगा.......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बूंदी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं, बूंदी से भी कम थी। वहां इस प्रकार फैसले हुआ करते थे, किसी को कोई अपील करनी होती तो उसे कहा जाता कि दरबार विराजते हैं. कोर्ट फीस लगा कर अपील कर दो इजलास खास में और फिर सौदा तय हो कर अपील मंजूर हो जाती थी। राजस्थान बनने के १५ वर्ष बाद भी आज वही चीज नजर आती है कि चलो हमारी मर्जी होगी वही करेंगे स्टे के लिये कमिश्नर ने फैसला कर दिया है वह ठीक है, कोर्ट फीस तो लेंगे।

अपील करने का हक देते हैं तो वाजिब तरीके से रखिये, सुनवाई का मौका देकर। इस तरह प्री-जज मत करिये। लाखों के, करोड़ों के मामले हैं, आखिर आप एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं!

इस प्रकार के फाइनेन्शियल मेटर में जो सब्जेक्ट मैटर है, फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस है, उसकी भावनाओं को बलाए ताक रख देते हैं। यह डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के विपरीत है। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला दिया उसको कहते हैं कि गलत फैसला दे दिया जो कि राजस्व के बारे में टेक्सेशन के बारे में हाइएस्ट ऑथोरिटी है, उसमें आप अविश्वास करते हैं। हम स्टे का कोई अधिकार नहीं देना चाहते तो यह सारी प्रक्रिया, एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का तरीका जो इतने साल बाद जाकर डवेलप हुआ है, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का तरीका इस तरह डवेलप हुआ है, उसमें यह सिद्धान्त माना गया है कि अन-फैटर्ड पॉवर एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होने चाहिये जिस पर जुडीशियरी का कोई कन्ट्रोल नहीं हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर जमाना हमेशा और कहेगा कि ये एग्जीक्यूटिव पॉवर्स लेकर लोगों पर जुल्म करने वाले लोग हैं, जो टेक्स पेयर पर जुल्म करके एक शाइलोक की तरह पैसा वसूल करते हैं। आप इसकी हंसी मत उड़ाइये, वरना खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, खंड ६ और खंड ८ के (ई) सम्बन्ध में इस सदन में इस समय विचार कर रहे हैं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने और कोलायत से आने वाले माननीय ने कुछ संशोधन प्रस्ताव इन खण्डों में प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने जो तर्क इस सदन में दिये हैं उन तर्कों का समर्थन बूंदी से आने वाले कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री बृज सुन्दरजी शर्मा ने किया है और जिन माननीय सदस्य ने उनका समर्थन किया है वे कोई साधारण अंगूठा छाप माननीय सदस्य नहीं हैं; किन्तु ये वे माननीय सदस्य हैं जो भूतपूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और जो शायद चर्चाओं में न चले होते तो शायद आज कौल साहब की जगह पर बैठे होते और इस बिल को पाइलोट करते होते और ज्युडिशियल आधार पर सदन में दिये हुए तर्कों पर विचार करते क्योंकि वे उन तर्कों को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट की रूलिंगजिस समय माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्य श्री मानिकचन्दजी पढ़ कर सुना रहे थे तो सरकार का रवैया ऐसा लगता था कि उनकी तर्कों को स्वीकार करना और उनको समझने की चेष्टा करना। यह मानो उनका कोई रवैया ही नहीं दिखाई देता था। अब सरकार की हालत कुछ ऐसी लगती है हालांकि उस पंक्ति से तो मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूँ लेकिन गोस्वामी तुलसीदासजी आज कहीं जन्मे होते और रामायण लिखी होती और इस सदन की दर्शक दीर्घाओं में बैठे होते और सरकार के रवैये को देखते होते तो जरूर इस सरकार के लिए आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया, आज ही लिखा गया मालूम होता। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा :

"शूद्र गंवार ढोल पशु नारी।
ये सब ताड़न के अधिकारी।।"

ये अगर आज के जमाने में पैदा हुए होते, कांग्रेस का बीसवीं शताब्दी में हुकूमत को देख कर और मंत्री महोदयों को देख कर ऐसी गवार सरकार भी कभी आ सकती है जो तर्कों की तरफ ध्यान न दे, जो हाईकोर्ट की रूलिंग होती हैं उनकी ओर भी ध्यान न दे, माननीय सदस्य सारी चीजें मय तर्कों के साथ सदन के अन्दर रखे उनकी ओर भी ध्यान न दे और केवल वोटों का आधार लेकर, डेस्पोटिक आधार लेकर कानून को सदन में पास करे, शायद उनकी मंशा यह कभी रही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था हो, इस प्रकार के आॅटोक्रेटिक और आर्बीट्रेरी पॉवर्स जो राजस्थान की यह सरकार इस बिल के द्वारा लेना चाहती है किसी कानून में इस प्रकार की व्यवस्था हो? सरकार का अगर वश चले, मुझे ऐसा लगता है, माननीय वित्त मंत्री का वश चले, सदन में तो उनका वश चलता नहीं है, तर्कों का जवाब खुद वे दे नहीं सकते, सदन में वे बैठ नहीं सकते, सदन में माननीय सदस्यों को सुनकर, उनके तर्कों को सुन कर उनका जवाब देने की ओर उनको समझने की ओर उनमें आवश्यक संशोधन करने की क्षमता नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां जो सिविल प्रोसिजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड है, राजस्थान का रेवेन्यू कोड है और हिन्दुस्तान में लोकतन्त्रीय शासन पद्धति के द्वारा कानून का राज्य चलाने का फैसला किया है हमारे संविधान के द्वारा, उसमें जो हमने नवीनतायें दी हैं उनके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसी भी व्यक्ति पर या तो केवल कुछ चांदी के टुकड़ों के रूप में किसी व्यक्ति पर असेस कर दिया। यही नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी को जान से मार दिया हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी ने रेप कर दिया हो, किसी ने डेकोइटी कर दी हो, किसी व्यक्ति ने कोई हीनियस क्राइम कर दिया हो, मोरल टर्पीट्यूड में कोई क्राइम किसी व्यक्ति ने कर दिया हो, देश के बने हुए कानून उस व्यक्ति को यह गारन्टी देता है कि वह अपील में अदालत में जाय और जेल जाने से पूर्व उसको यह अधिकार दिया है कि वह अदालत में जाय,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहे बाद में उसको बीस साल की सजा दी जाय, चाहे उसको फांसी की सजा दी जाय। जब तक अपील द्वारा अदालत में जाकर उसका फैसला न हो जाय जो भी सजा दी गई है उसको सस्पेन्ड किया जा सकता है। लाखों रुपयों की डिक्रियां हो जायं और अपील में अदालत में चला जाय तो लाखों रुपयों की वसूली नहीं होती; दस-दस, पन्द्रह पन्द्रह साल तक अपील होने पर अदालत स्टे ग्रान्ट कर देती है।

ऑर्डर ४१ रूल ४५ सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें अपील करने का समय है। नकल मिली नहीं, वह व्यक्ति अपील करना चाहता है तो नीचे की अदालत को वह दर्ख्वास्त कर सकता है। तीन महीने का स्टे ऑर्डर दे दिया, अदालत ने हुक्म दे दिया कि अपील का जब तक फैसला न हो जाय अदालत के हुक्म की तामील न की जाय, उसको स्टे कर दिया जाय, रुपयों की वसूली न की जाय जब तक अपील का फैसला होकर या ऊपर की अदालत से रिट हासिल न कर लिया जाय। ऊपर की अदालत को और नीचे की अदालत को, दोनों को अधिकार है ताकि लोगों को हरेसमेन्ट और परेशानी न हो। यह कानून का राज्य है। आज हमने देश में कानून का राज्य बनाया, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस कानून की ऐसी व्यवस्थायें इस सदन से पास कराना चाहती है जो कानून का कानून के रूप में नहीं, कानून का राज्य नहीं होगा वहां जंगल लॉ का राज्य होगा, जहां वित्त मंत्री का डंडा चलता है कानून नहीं चलता है, कानून की व्यवस्था नहीं चलती है, मान्यतायें नहीं चलती हैं, जहां कानून की मान्यतायें नहीं है, परम्परायें नहीं हैं, दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता है वित्त मंत्री का डंडा चलता है, उनके डंडे को चलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि कमिश्नर महोदय चाहे जिसको स्टे कर सकते हैं और चाहे जिसको स्टे नहीं कर सकते। अपील करने पर भी स्टे नहीं मिलेगा, कमिश्नर के पास जायं स्टे के लिये। कौनसी ऐसी बातें आ गयीं? क्या सरकार यह कहना चाहती है कि डिप्टी कमीश्नर ने गलत ऑर्डर्स जारी कर दिये? क्या सरकार यह मान कर चलती है कि अपील की अदालतों ने गलत ऑर्डर्स इश्यू किये? टैक्सेज की वसूली न हुई, इस कारण से यह कानून लाना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गलत है। सरकार के सामने कानून का सवाल नहीं है टैक्सेज की वसूली का ही सवाल नहीं है। व्यवस्था के आधार पर टैक्स वसूली का सवाल हो तो सरकार लापरवाही करती है और अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार की इस लापरवाही के कारण कई बार सदन के अन्दर सरकार को उपालम्भ दिये हैं। लेकिन वसूल उन लोगों से नहीं होते जिनमें अधिक से अधिक पैसा बाकी है। यात्री कर की बकाया रकम को ही ले लीजिये। क्यों नहीं उन लोगों से वसूल कर रहे हैं जिनमें बड़ी बड़ी रकमें बकाया हैं? क्यों नहीं उनके साथ सख्ती करते हैं? लेकिन उन गरीबों से वसूल करते हैं जिनमें किसी में दो हजार रुपया बाकी है, किसी में तीन हजार रुपया बाकी है। गरीब लोगों ने शिड्यूल्ड कास्ट और

Page No 88

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने मिल कर कोई सहकारी समिति बनायी हो और कोई बसें चलायी हों और उनमें यात्री कर की बकाया हो तो वे तो कहते हैं कि इतना बाकी नहीं है और असेसिंग ऑथोरिटी ने अधिक लगा दिया और असेसिंग ऑथोरिटी कहता है कि नहीं इनमें इतनी बकाया है; उनकी बसों को कुर्क किया जाता है, उनमें उनको स्टे नहीं दिया जाता। दस हजार की बसको पांच हजार में आप नीलाम कर देते हैं। सदन में वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि हमने क्या किया, आप ही कहते थे कि यात्री कर की वसूली करो। हमने वसूल किया। आज ही सवाल खड़ा हुआ। हमने मांग की थी कि उदयपुर में बसें चलती हैं। उनमें ६१ से पैसा बकाया है, ६२ से पैसा बकाया है, ६३ का पैसा बकाया है, ६४ का पैसा बकाया है और आज तक उनसे वह पैसा वसूल नहीं हो रहा है। उन व्यक्तियों की वे बसें हैं जो मुख्य मन्त्रीजी के रिश्तेदार हैं। आप उनको बन्द नहीं कर सकते, आप उनसे वसूल नहीं कर सकते। आप दीनानाथ जी से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वे मुख्य मंत्रीजी के साले हैं, आप वसन्ताजी से पैसा वसूल नहीं कर सकते क्योंकि मुख्य मंत्रीजी उनके फूफा हैं। उनकी बसेज को आप कुर्क नहीं कर सकते। नीलाम नहीं हो सकती। वहां कानून कहां चला गया? कानून उनके लिये नहीं है।

(३ म. प.)

मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार सदन से यह अधिकार लेना चाहती है यात्री कर की बकाया के नाम पर उसकी वसूली के नाम पर जो अधिकार लेने जा रही है वह अधिकारों का दुरुपयोग है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने रेवेन्यू बोर्ड का फैसला पढ़ कर सुनाया। रेवेन्यू बोर्ड ने माना है, स्टे देने का अधिकार है। आप उस अधिकार को डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमिश्नर को देना चाहते हैं। कमिश्नर एक हैं और डिप्टी कमिश्नर अनेक। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं बीकानेर, गंगानगर, कोटा का इलाका, भरतपुर का इलाका, सीकर, झुंझुनू तो जहां गंगानगर वाले को अपील करनी होगी तो वह बीकानेर आयगा और उसको स्टे लेना होगा तो उदयपुर कमिश्नर के पास जायगा। उसी प्रकार कोटा वाले को अपील के लिये जयपुर आना होगा जब कि स्टे लेने के लिये उदयपुर जाना होगा। एक व्यक्ति गंगानगर से चल कर स्टे लेने के लिये उदयपुर जाता है और वहां से सूचना मिलती है कि कमिश्नर साहब जयपुर चले गये। जब वह जयपुर के लिये रवाना होता है और गाड़ी से उतरता है उसको पता चलता है कमीश्नर साहब उदयपुर चले गये। यह कैसी आंख मिचौनी होने वाली है। जहां आप जनता को इस सुविधा देने की व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन यह व्यवस्था आप कौनसी करने जा रहे हैं। राजस्थान मे टैक्सेज के वसूल करने के बारे में दबाव देना चाहते है। कानून सम्मत राज है कानूनी तरीके से अनैतिकता, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। चोर डाकुओं को भी खत्म करना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से करना चाहते हैं। किसी डाकू को पकड़ लिया, अदालत मे ट्रायल हो गई, उसके बाद आप चाहे तो गोली से उड़ा सकते हैं, आखिर सब जगह कानून का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राज्य है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कोन्स्टीट्यूशन के मुताबिक डेवलप हुआ है। मैं समझता हूं ट्रायल होता है उसके बाद भी उसको अधिकार होते हैं अपील कर सकता है अपील के बाद भी अपील कर सकता है। ऊपर से ऊपर अदालत तक में जा सकता है।

अन्त में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो क्रिमीनल ऑफेन्सेज हैं, पैसेन्जर टैक्स और दूसरे टैक्सेज के बारे में जहां प्रोसीक्यूशन करते हैं वहां आप केवल यह व्यवस्था कर दें कोई जमानत नहीं होगी कोई अपील नहीं होगी सारे कानूनों को फाड़ कर फेंक दिया जाय और केवल यह रख दिया जाय अपील मिनिस्टर को सुनने का अधिकार होगा, फैसला करने का अधिकार मिनिस्टर को होगा; जो कुछ फैसला मिनिस्टर का होगा वह अन्तिम होगा। यही अधिकार आपको लेना है तो सीधे तरीके से लीजिये। आप जब कि कमीश्नर को यह अधिकार देने जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपका डिप्टी कमिश्नर में अविश्वास है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले आठ सालों में जितने भी कानून हमने देखे हैं उनमें सब से ज्यादा काला कानून, भद्दा कानून, अनडेमोक्रेटिक कानून, आर्बीट्रेरी कानून इस तरह का सदन में पास नहीं हुआ है।

आखिर आपने यह भी सोचा है कि स्टे कौन देगा उसमें कितना खर्चा होगा लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। सरकार ने जो फैसला किया है, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, यह जो कानून बनाया है, इसकी धारायें ही आपके लिये डेथ वारन्ट होंगी। इससे कितने लोगों को परेशानी होगी आप यह जो कानून में यह धारा रख कर उन लोगों को परेशान करना चाहते हैं उन लोगों में जो एक प्रकार का जोश पैदा करना चाहते हैं उससे अराजकता पैदा होगी। आप असेसिंग आॅथोरिटी को जो इस प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं कि वह मनमाने ढंग से टैक्स लगा सके ये, अधिकार खतरनाक होंगे। आपके असेसिंग आॅथोरिटी के मनमाने ढंग से टैक्स लगाने के कारण सांभर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके लिये स्टे आॅर्डर हाई कोर्ट ने दिया, आपने कहा हम उसको मानते नहीं, लाज और शर्म से दब कर वह व्यक्ति मर गया। आपकी असेसिंग आॅथोरिटी ने हाई कोर्ट के स्टे आॅर्डर को भी नहीं माना...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुबह ही एक पत्र पढ़ कर सुनाया कि आपके टैक्सेशन अधिकारी कितने अक्लमन्द हैं जिसमें केवल मूवेबल इम्मूवेबल प्रोपरटी के अटेच करने का सवाल नहीं, सरकार के अधिकारियों का स्टेन्डर्ड इतना नीचे आ गया कि मोटर गाड़ी, जेनरेटर, रेडियो सेट को कुर्क करने का सवाल नहीं, अजमेर के अन्दर घोड़े, ऊंट, बकरियां कुर्क करने का सवाल नहीं; कुर्क किसको किया गया, ४ गधों को कुर्क किया गया। आपको क्या बैठने के लिये फीएट नहीं मिलती, एम्बेसेडर नहीं मिलती या इसका कोटा कम हो गया जो आपने सिविल लाइन से यहां आने के लिये इनका उपयोग कराना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उप-मंत्री महोदय का सवाल है उनका हमेशा एप्रोच डेमोक्रेटिक रहता है। वित्त मंत्री महोदय को इस बात की चिन्ता नहीं आज इस क्लॉज़ का सभी माननीय सदस्यों ने विरोध किया इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पहले जैसा कानून में था उसे वैसा ही रखा जाय और जो आपने संशोधन रखा है उसको वापिस लें और साथ में माननीय सदस्य से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी अपने संशोधनों को वापिस ले लें और खंड ६ में जो पहले व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था कायम कर दी जाय। तो यह सब असन्तोष है वह समाप्त हो जायगा। आप सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए उप-मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि काफी अमेन्डमेन्ट्स हैं और आज ही इस बिल को पास करना है; अतः माननीय सदस्य समय का ध्यान रखते हुए बोलें। चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिये सबको अवकाश बोलने के लिए मिल सके, इसलिए समय का ध्यान रखना आवश्यक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जो बहस चल रही है यहां यह कहा गया कि उप-वित्त मंत्री महोदय, सदन में जो बहस हुई उसी रोशनी के ऊपर सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर संशोधन लाये हैं इन संशोधनों पर गहराई से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बनने चले चौबेजी लेकिन रह गये दुब्बेजी, नमाज छुड़ाने गये और रोजे गले पड़ गये। ऐसी हालत में सरकार से निवेदन किया गया, कम से कम इसके अन्दर शुरू से इस भावना को लेकर चले हैं कि कानून का राज्य हो कानून से सारी व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी के आधार पर कानून में जो संशोधन हो वे उसके अनुसार हो। जिनसे हम टैक्स लें उनको अपनी तरफ से यह बात नहीं रहे कि हमारे साथ लूट खसोट हो रही है। उसको यह भान हो जाना चाहिए कि हमें जायज टैक्स देना है। नाजायज तौर से टैक्स वसूली की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये और जायज़ टैक्स छूटने न पाये। जिस तरह का अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं यह उस उदाहरण के सामने है कि किसी साहब के यहां एक नौकर रख लिया। उनके यहां मित्र आये, ड्राइंग रूम में बैठे उन्होंने नौकर को कहा कि सिगरेट लाओ, वह हाथ में लेकर आगया। नया नौकर था, साहब ने कहा समझ नहीं है कोई चीज मंगाई जाय उसको तश्तरी में सजाकर लायी जाय। दूसरे दिन ऐसा ही मौका आया साहब ने नौकर से जूते और मौजे लाने के लिए कहा तो वह नौकर तश्तरी में उन जूतों और मौजों को सजाकर ले आया। इसी तरह की सदन की भावनाओं को समझने की कोशिश की गई है; कोई जूते तश्तरी में लाने की बात थोड़े ही थी। बीड़ी, पान, सिगरेट को तश्तरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

में लाना चाहिये। तो उसने उसको भी उसी तरह से मान लिया और जूते भी तश्तरी में लाकर रख दिया। उसी तरह से आज अमेंडमेंट खण्ड ८ में किया है। उसका सही माने यह था कि किसी तरह से उसे हरेसमेंट से बचाया जाय। जो सेल्स टैक्स को माफ कर सकता है, अपील करने का हक है जो तुम्हारा असेस करने का है तो असेस करने वाले के खिलाफ रिट मानी है। पर इसके बाद उसको कहते हैं कि तुम्हें सेल्स टैक्स को छोड़ने का अधिकार है, आधा करने का अधिकार है तुमको, पर तुमको स्टे देने का अधिकार नहीं है।

मैं कहता हूं उसको टैक्स जमा करने से इन्कार नहीं है। उसको इन्कार तो यह है कि वह असेस जो उस पर चार पांच छः गुना करता है उसके खिलाफ जाकर रिलीफ प्राप्त करे। आपने उसको अपील का रिलीफ दिया, सब कुछ दिया पर स्टे का अधिकार नहीं है वह हरेसमेंट फील करता है। उसके डंक लगा दिया, उससे रिलीफ देने का अधिकार नहीं है।

कह दिया कि असेस बिल्कुल गलत था, सारा टैक्स छोड़ दिया; यह तो कर सकते हैं, पर अचानक पहाड़ गिराया गया है उस पर कई गुना टैक्स लगा दिया है तो उसकी अपील का अधिकार नहीं दिया उसको स्टे करने का अधिकार नहीं दिया और मैं सच कहता हूं, कई मर्तबा ऐसा देखने में आया है और जिसकी चर्चा यहां भी की है कि किस तरह अन्धाधुन्ध टैक्स कई गुना अधिक जो वाजिब है उससे कई गुना अधिक लगा दिया जाता है और जिसका आपको भी दुख है। अभी सांभर में ऐसा किस्सा हुआ है। आपको भी दुख है कि सांभर वाला मर गया है। आपको दुख है, सब में चर्चा है। आप भी महसूस करते हैं कि किस असेसी ने ऐसा किया है। उसे तो कर्त्तव्य के नाम पर आप छोड़ देंगे पर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उस आदमी ने जो असेस किया है, मोटिवेटेड है। मैं और जोर दूंगा। इधर के लोग भी महसूस करते है। एक बात समझ में नहीं आती। लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि कौनसा ऐसा पहाड़ गिर जावेगा, कौनसी ऐसी आफत आ जावेगी अगर आप उस अपीलेट आॅथोरिटी को स्टे का अधिकार देते हैं। आप उस पर विश्वास करते हैं कि वह सारा छोड़ सकता है पर स्टे का अधिकार देने में विश्वास नहीं करते तो ऐसा विश्वास कैसे पैदा हो गया कि वह सारा रद्द कर सकता है। अगर स्टे भी देगा तो विदिन कन्डीशन देगा। जमानत लेकर देगा।

इसके साथ मैं तो यह भी कहूंगा कि इस झगड़े से आप निकल क्यों नहीं जाते, क्यों इस झगड़े में ही आप आराम समझते हो? जब से यह सेल्स टैक्स चला है मैं बार बार आपके इन झगड़ों को देख कर कहता हूं कि आप किसी नाम के जरिये टिकट क्यों नहीं दे देते हैं? वह अपने पास सेल्स टैक्स का पैसा पड़े ही क्यों रक्खे। आप उसको टिकट दे दीजिये। आप इस के लिये थोड़ा रिलीफ दे दीजिये चाहें तो जहां छः परसेन्ट है वहां पांच परसेन्ट कर दीजियेगा जिससे रियलाइजेशन वगैरह की दिक्कतों से आप छूट जाय। व्यक्तिगत ढंग

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

से किसी को कहने का अवसर न आवे कि इस तरह गड़बड़ी करते हैं, पर ह्यूमन साइकोलोजी है यह। अफसर हैं उनकी अपनी लाईकिंग भी होती है, डिसलाईकिंग भी होती है। उनमें करप्ट भी होते हैं। सबकी नहीं कहता। पर कुछ की गुंजाइश रहती है। ऐसी हालत में उनके रहमो करम पर व्यापारी को क्यों आप छोड़ते हैं ? जो सोने की मुर्गी है आपके लिये ! तो वह स्टे नहीं दे सकता, यह किसी भी कानून की मंशा नहीं हो सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आपने स्टे का अधिकार नहीं दिया, जमानत लेकर भी स्टे करने का अधिकार नहीं दिया तो हम समझते हैं कि सही तौर से इसका लम्बा असर पड़ेगा। इससे सरकार के खिलाफ एक तबके में बहुत बड़ी बगावत शुरू होगी और कांग्रेस के खिलाफ होगी वह और ऑर्गेनाइजेशनल संस्था के खिलाफ डेमोक्रेसी के खिलाफ होगी। डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। कानून के राज में विश्वास टूट जायेगा। इसलिये निवेदन करता हूं कि सही तौर से या तो अधिकार दे दें स्टे का, दूसरा नहीं तो जो आग्युंमेन्ट्स किये हैं हम तो गले रोजे नहीं डालना चाहते, महरबानी करके उन्हें वापिस ले लें। पहले का ही कानून अच्छा है। अगर यह मांग करते हैं तो कोई बुराई नहीं करते।

पर आपने इसलिये फायदा उठाया है कि कुछ फैसले हुए और मैंने इस बात के लिये कि कैसी जुडीशियल बॉडी है जुडीशियल ऑथोरिटी को इनहैरेन्ट पावर हैं, स्टे भी सकते हैं; इस अधिकार को यदि मान लिया रेवेन्यू बोर्ड ने तो इसके बाद डिपार्टमेन्ट ने सोचा; यहां से प्रोविजो निकाल दो, ये हमें नहीं पूछते, हाई कोर्ट वाले, रेवेन्यू बोर्ड वाले, जुडीशियरी को इस सरकार और डिपार्टमेन्ट का यह चैलेन्ज है कि जो तुम फैसला दोगे उसके खिलाफ हम अमेन्डमेन्ट लाकर तुम्हें निरस्त कर देंगे। हम तुम्हारी कुछ नहीं चलने देंगे। तो इस तरह का अगर आप चैलेन्ज देते हैं तो यह गलत है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा चैलेन्ज नहीं होना चाहिये। हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहने का प्रयत्न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन क्लॉजों को लेकर सदन में वाद-विवाद चल रहा है मैं उसके कानूनी पहलू पर बातें कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं राज्य सरकार को बधाई दूंगा इसके लिये कि हमारी सरकार को १५-१६ वर्ष निकलने के पश्चात् इस बात की ख्वाहिश हुई कि जो बकाया है उसको वसूल करें।

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान में आज लगभग ११ करोड़ की बकाया है और उसको लेकर सदन में कई बार चर्चा हुई है। उन चर्चाओं के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से क्रमशः इस बात का विश्वास दिलाया गया कि हम इस बकाया की वसूली में जितना प्रयत्न कर सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं छोड़ रहे हैं।

आज तक भी मुझे इस विधान सभा के जीवन-काल में ऐसा पता नहीं लगता कि सरकारी पक्ष की ओर से कभी यह कहा गया हो कि कुछ कानूनी खामियां हैं जिनके कारण हम शीघ्रता से वसूली नहीं कर पाते। हर बार इस बात की चेष्टा की गई है कि हमारे कुछ कागज़ नहीं बने, हमारे कुछ अधिकारी कम हैं, समय के ऊपर हम चैकिंग नहीं कर सके। समय पर असेसमेन्ट नहीं करवा सके और उन सबका यह परिणाम है कि हम समय पर वसूली नहीं कर पाये और वसूली ११ करोड़ के लगभग पहुंच गई। अब सरकार यह कहकर इस कानून में संशोधन कर रही है कि कुछ कानून में खामियां हैं, सरकार को कुछ अधिकार कम हैं, अधिकारियों को कुछ अधिकार कम है। वे अधिकार सरकार को और उसके अधिकारियों को जब तक नहीं मिलेंगे उस समय तक वसूली में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते।

तो सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि आज जब बकाया इतनी एक्युमुलेट हो गई, इतने दिनों बाद में सरकार की आंखें क्यों खुलीं? सरकार जब इसका कारण कानून की खामी ही समझती है तो आज तक सोती क्यों रही? और क्यों नहीं सरकार ने अमेन्डमेन्ट इस तरह का पहले विधान सभा में प्रस्तुत किया? आज पन्द्रह वर्षों के बाद में जाकर महसूस करते हैं कि कानूनी खामियों को दुरुस्त करने के लिये और कुछ और अधिकार लेने के लिये कानन में संशोधन नहीं करेंगे तब तक वसूली नहीं होगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने सदन को भी धोखे में रक्खा और यह कहकर धोखा दिया कि असेसमेन्ट नहीं करवा पा रहे हैं अधिकारी कम हैं चैकिंग नहीं करवा पाये बाकी और कारण हैं जिनसे वसूली नहीं होकर इतनी बकाया एक्युमुलेट हो गई और आज सरकार दूसरा कारण लेकर इस सदन के सामने आती है तो या तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि सरकार ने १५ वर्षों में जो दलीलें दीं वे असत्य थीं या यह मानकर चलना पड़ेगा कि ये दलीलें जो आज दी जा रही हैं वे असत्य थीं।

अब हमें देखना यह पड़ेगा कि आज हम किन के अधिकार ले रहे हैं और किन को अधिकार दे रहे हैं। एक प्रश्न विवाद का है कि डिप्टी कमिश्नर को स्टे की पावर्स होनी चाहिए या नहीं। सरकार का पक्ष कहता है कि पावर्स कमिश्नर को होने चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि इस सदन में कई बार किसी भी मसले की इन्क्वायरी का जब प्रश्न खड़ा होता है तो विरोधी पक्ष की ओर से इस बात की मांग की जाती है कि इस मसले की जुडीशियल इन्क्वायरी की जाये। वह चाहे मामला रतनगढ़ का हो, वह चाहे मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदारों को

(श्री भैरोंसिंह)

जमीन अलॉटमेन्ट करने का मामला हो, वह चाहे किसी जगह लाठी चार्ज करने का मामला हो, वह चाहे फायरिंग का मामला हो जिस समय भी यह प्रश्न सदन में प्रस्तुत होता है तो विरोधी पक्ष की ओर से मांग की जाती है कि इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाये तो हमारी सरकार के लोग साफ तौर से कहते हैं कि हम डी० आई० जी० से इसकी इन्क्वायरी करा रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड के किसी मेम्बर को इसके लिए नियुक्त किया है, किसी स्थान के कलेक्टर को इसके लिए नियुक्त किया है, कहीं एस० डी० ओ० और तहसीलदार का नाम लेते हैं और उस समय साफ कहते है कि आपको जुडीशियल ऑथोरिटीज का विश्वास है और बाकी जो एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटीज हैं उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता। अब वह विश्वास क्यों नहीं होता है वह कारण है। इसके लिए तो धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि हम तो बाकी के लोग जो कि जुडीशियल कैडर के नहीं हैं उन लोगों को जितने अधिकार दे रहे हैं उनका दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा, इसका विश्वास हमारी सरकार को स्वयं को नहीं है।

अब यह प्रश्न तो सिद्ध हो गया और विधान सभा में सदा के लिए यह सरकार का कन्टेन्शन या सरकार का आर्ग्युमेन्ट है कि किसी भी इम्पोर्टेन्ट मसले की जांच जुडीशियल ऑफिसर के द्वारा की जाने वाली इतनी न्यायसंगत नहीं है इसलिए दूसरे अधिकारियों से कराते हैं। आज खुशी की बात है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के नीचे काम करने वाले अधिकारियों का कम से कम उनको तो विश्वास नहीं रहा। अब प्रश्न दूसरा रहता है कि डिप्टी कमिश्नर को स्टे की पॉवर्स देते हैं तो राजस्थान को क्या नुकसान होने वाला है और यदि कमिश्नर को स्टे की पॉवर्स दे दी तो कौन सा लाभ राजस्थान को होने वाला है। मैं, आर्ग्युमेन्ट के नाते यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक आदमी के ऊपर असेसमेन्ट होकर १० हजार का टैक्स वसूल करना है। उसकी उस आदमी ने अपील कर दी और वह अपील डिप्टी कमिश्नर के पास की और डिप्टी कमिश्नर ने स्टे दे दिया और स्टे देने के दो महीने के बाद केस का डिस्पोजल हो गया और फिर यह निर्णय हुआ कि असेसिंग ऑथोरिटी ने जितना असेसमेन्ट किया है वह १०० परसेन्ट करेक्ट है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती तो जो बीच में इन्टरिम स्टे जारी कर दिया उसके कारण से १० हजार रुपये में एक पैसे की भी कमी नहीं है बल्कि उस आदमी को सरकार के खजाने में रुपया जमा कराना था। तो उस व्यक्ति को यह जरूर विश्वास हो गया कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है। जो डिप्टी कमिश्नर के पास अपील जाय और कमिश्नर को स्टे के लिए पावर्स दी जाये और स्टे के लिए अपील दी जाय कमिश्नर को तो जिस चीज को आप क्वासी जुडीशियल बताकर उसकी रेपुटेशन बनाना चाहते है लेकिन सरकार उस क्वासी जुडीशियल ऑथोरिटी की जुडीशियल ऑथोरिटी के बराबर रेपुटेशन नहीं बना पाती तो जो उसकी रेपुटेशन है वह गिरेगी। तो हमारी सरकार ने एक इम्पॉर्टेन्ट केस मान-कर उसकी रेपुटेशन को गिराने की चेष्टा

(श्री भैरोंसिंह)

की है। वह ऐसे कि हमने १० हजार की असेसमेन्ट को पूरा का पूरा काटने का अधिकार दे दिया। वह यह भी कर सकते हैं कि जो असेसमेंट १० हजार का दिया वह गलत सिद्ध कर सकते हैं और टैक्स के प्रपोज़ल को इन टोटो रिजेक्ट कर सकते । लेकिन बीच में इन्टेरिम स्टे नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि हमने ाइड पॉवर्स दे दी हैं। इस बारे में इन्टेरिम रलीफ देने का जहां तक प्रश्न आता है वहां ह समझकर चल सकते हैं कि इसका ाय तो कमिश्नर ही कर सकता है। आप ह मानकर चलें कि क्वाज़ी जुडीशियल थोरिटी पूरा काम नहीं कर पाती है या समझ कर चलें कि कमिश्नर की रेंक आदमी जुडीशियल फंक्शन कर सकते हैं र डिप्टी कमिश्नर की कैडर के आदमी ीशियल फंक्शन नहीं कर सकते तो मैं वेदन करना चाहूंगा कि आप केवल स्टे ावर्स ही नहीं ले रहे हैं आपने जो समेन्ट की अपील सुनने के पावर्स दिये ऐसी अविश्वसनीय ऑथोरिटी को अपील ने के अधिकार नहीं होने चाहिए इस मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टे ौर असेसमेन्ट की अपील सुनने में जिस को आप इम्पोर्टेन्ट मानकर चल रहे ह गलत है। स्टे देना या नहीं देना र्टेन्ट फैक्टर नहीं है। लेकिन आपने जो श्वास व्यक्त किया है उसका जो इम्पेक्ट ल सुनने में पड़ेगा उसके कारण से थान की हुकूमत को नुक्सान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपील में और स्टे में आपको अन्तर करके नहीं चलना चाहिए। यदि आप गुंजाइश रखना चाहें एक स्टे दे दिया तो गवर्नमेंट यह मान कर चले कि हम उसके सामने रिविज़न करें, रिविज़न नहीं सुनी जाय तो बीच में कोर्ट में स्टे के ऊपर अपील करें। यह नहीं हो सकता कि जहां अपील सुनी जा रही है वह स्टे जारी नहीं करेगा। एक दूसरा ऑफिसर करेगा। क्योंकि सरकार की मन्शा है कि इस मामले में लिबरल एटीट्यूड लेकर स्टे इश्यू कर देते हैं। यदि ठीक तरह से फंक्शन करने वाले नहीं हैं आपके अधिकारी तो अपील सुनने के मामले में भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा टाइम लगेगा। एक-दो मिनिट में ही करदेता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय का भाषण तो उस दिन नहीं सुन सका लेकिन जैसा मुझे बताया गया उन्होंने इस बात का गर्व किया कि हमारी असेसिंग ऑथोरिटी के डर से एक आदमी मर गया। यह तो गर्व की बात है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किसने गर्व किया ?

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने । सरकार ने कहा है और उस पर वाकआउट हुआ है। आप उस दिन मेरे ख्याल से केन्टीन में होंगे यहां नहीं थे।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : He told me, are proud of such officers.

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्रीजी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर गर्व अनुभव करता हूं कि जिनके डर से एक आदमी मर गया।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मैंने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : तो किसने कहा ?

श्री बालकृष्ण कौल : किसी के डर से मर गया और मैं गर्व करता हूं इन दोनों चीजों को अलग अलग कहा है। एक दूसरे से बांधा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बांधा नहीं है तो बीच में कॉमा लगाया होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : दोनों चीजें अलग अलग हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने किसका गर्व किया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिन्होंने असेसमेंट करके रुपया वसूल किया उसका गर्व है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके कारण मर गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा कि असेसमेंट किया उसका गर्व है। उसके कारण से मरा, यह मैंने नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको अफसोस है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : हर इन्सान के मरने का अफसोस होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जानता नहीं उसके बारे में क्या कहूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको जना रहा हूँ।

श्री बालकृष्ण कौल : हर इन्सान के मरने का अफसोस है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के दखल के बाद में भी जिस प्रकार की परेशानी सांभर के व्यापारी को हुई उससे उसकी मौत हुई। उस मौत का प्रसंग यहां सदन में आया और उसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि मुझे अपने अधिकारों की इस प्रकार की कार्यवाही पर गर्व है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक तो यह कह कर चले नहीं कि कानून में खामियां हैं और इसका विश्वास भी यों नहीं होता कि जो एग्जिस्टिंग कानून है उससे आदमियों की मौत हो जाती है तो बाकी के कौन से अधिकार लेना चाहते हैं ? हमने आपको ज्यादा अधिकार दिये तो आप तो पहले ही स्वर्ग में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं यह लॉजिक नहीं समझ पाया कि स्टे के पॉवर्स कमिश्नर को दिये गये और डिप्टी

(श्री भैरोंसिंह)

कमिश्नर को नहीं दिये गये तो ज्यादा वसूली होगी। यह तो कहीं हो नहीं सकता कि स्टे दे दिया तो वसूली नहीं हो और स्टे नहीं दिया तो वसूली हो जाये। वसूली आपने कर ली और आपके जो भी असेसमेन्ट हैं वे रिजेक्ट हो गये तो आपको रुपया वापिस देना पड़ेगा, आप पर कोई छोड़ नहीं सकता। रुपये का वापिस असेसमेंट होगा, फिर टैक्स का असेसमेंट होगा और जो एडजस्टमेंट होगा वह सही असेसमेंट के आधार पर होगा।

अब इस इन्टेरिम पीरियड में दो-तीन महीने के लिए स्टे आ जायेगा तो कौन सी आपत्ति आनेवाली है ? वह आपत्ति भी आपके सामने नहीं हैं और इस आपत्ति के अलावा सबसे पहले इसके अन्दर जो महत्वपूर्ण पार्ट है वह एक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकारी अधिकारी को जब तक हम अपने फन्क्शन को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए इन्डिपेन्डेन्ट नहीं बनायेंगे उसके काम में इन्टरफियरेन्स होगा डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली, उसके ऊपर एक प्रकार का इम्पोज़िशन होगा उसको तो मानकर चलिये तो क्वाज़ी जुडीशियरी के वे पॉवर्स हैं तो एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी को क्वाज़ी जुडीशियरी का नाम देकर नहीं चल सकते हैं। प्योअरली एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी से एसेसमेंट सरकार नहीं कराना चाहती है, क्वाज़ी जुडीशियरी मानकर एसेसमेंट कराना चाहती है। यदि जुडीशियरी में हमारा इन्टरफियरेन्स हो तो सरकार को आपत्ति है और यदि क्वाज़ी जुडीशियरी बॉडी में सरकार का इन्टरफियरेन्स हो तो हम कैसे स्वीकार करेंगे ? आप कहेंगे कि कोई इन्टरफियरेन्स नहीं है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि स्टे नहीं दिया कमिश्नर ने और नीचे की कोर्ट केस को डिस्पोज़ ऑफ करती है तो प्राइमरिली उनके दिमाग में यह बैठ जायेगा कि एक पार्टी ने कमिश्नर के पास एप्रोच किया स्टे के लिए वहां पर स्टे का रिजेक्शन कर दिया और जो कुछ असेसमेंट हो रहा है यह प्राइमरिली करेक्ट है और उसके पश्चात् आगे के केसेज़ को डिसपोज़ ऑफ करने की कोशिश करेगा। इसलिए माननीय मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको अपनी जिद्द का सवाल बना कर नहीं चलें। एक परम्परा से न्यायसंगत व्यवस्था चली आ रही है उसको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। आप असेसमेंट के जो प्रश्न व जो बाकी के प्रश्न हैं कि ज्यादा टैक्स वसूल किया जाय, टैक्स का इवेज़न करने वाले लोगों के साथ में सख्ती का व्यवहार हो, उसके सम्बन्ध में जितने अधिकार लेना चाहें लें, लेकिन आपको उस व्यक्ति को, जो जुडीशियल निर्णय करता है, उस व्यक्ति को, जो जुडीशियल निर्णय करता है, उस व्यक्ति को जो जुडीशियल फन्क्शन करता है, उसको छूट कानून के द्वारा देनी पड़ेगी ताकि जिससे बिक्री कर का रुपया वसूल किया जाने वाला है उसके दिमाग में यह भावना न हो कि किसी अधिकारी के इन्टरफियरेन्स से जो कुछ भी न्याय मिलने वाला था नहीं मिल पाया है। इसलिए वित्तमंत्री जी इस बात पर गम्भीरता से विचार करें। यह जिद्द का प्रश्न नहीं है और जो कुछ एक परम्परा और व्यवस्था के आधार पर इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार से जो जुडीशियरी की परम्परा चली आ रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए डिप्टी कमिश्नर जिसको कि अपील सुनने का अधिकार दिया है उसको स्टे इश्यू करने का अधिकार होना चाहिए। कानून को कम्प्लीकेटेड न बनायें और कानून के अन्तर्गत लोगों को सस्ता न्याय मिले और कानून के अन्तर्गत लोग सस्ता न्याय प्राप्त कर सकें, इस प्रकार की दिशा में यह आवश्यक हो गया कि इस प्रकार का जो एमेंडमेंट सरकार ने किया है उस एमेंडमेंट को पारित नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : (श्री परसराम मदेरणा के खड़े होने पर) उपमंत्री नहीं कहा, मंत्री कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): खण्ड ६ और ८ (इ) पर बहस हो रही है। पूरी क्लॉज ८ पर बहस नहीं है जिसके द्वारा आपने एमेंडमेंट दिया है कि अपीलेट कोर्ट को अधिकार नहीं होगा यह उसी पर बहस है। क्लॉज ८ में चार पोर्शन्स दूसरे हैं सब क्लॉजेज ए, बी, सी, डी। क्लॉज (इ) पर बहस हो रही है। मैं इसलिए स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरे मुद्दे जो हैं उन पर अलग संशोधन है और उन संशोधनों पर एक शब्द भी जान बूझकर नहीं कहा है। क्लॉज ८ (इ) को ही इन क्लॉजेज से रिलेट करके ही क्लॉज (इ) तक ही अपने आपको महदूद करके सारी डिस्कशन को किया है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ८ पर जो दूसरे एमेंडमेंट्स है, सिवाय मेरे एमेंडमेंट के बाद में मेरे जवाब के उनको मूव करने का मौका दे दिया जाय, ताकि वे उन पर अपने विचार रख सकें।

माननीय उपाध्यक्ष, खण्ड ६ व ८ पर मैंने एमेंडमेंट रखे हैं। दोनों एमेंडमेंट्स को लेकर माननीय सदस्यों ने काफी भावनापूर्ण भाषण इस सदन में दिये। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि रेवेन्यू बोर्ड का एक जजमेंट जो ३-४-६५ को हुआ है इस जजमेंट के बाद में इस बिल में यह एमेंडमेंट लाया गया है। यह बात सत्य नहीं है। इस बिल का जो क्लॉज ११ है और क्लॉज ११ के जरिये जो १५ ए का नया सेक्शन इन्सर्ट करने का प्रावधान था उसमें यह साफ लिखा हुआ था कि—

"Notwithstanding that a reference has been made to the High Court or an appeal preferred to the Appellate Anthority, payment of tax shall not be stayed by any of the aforesaid authorities."

सभी के Powers restrict करने का इसमें प्रावधान कर दिया गया था। न स्टे के पॉवर्स हाई कोर्ट को होंगे, न स्टे के पॉवर्स रिवीजनल ऑथोरिटी को होंगे, न स्टे के पॉवर्स अपीलेट ऑथोरिटी को होंगे। यह सेक्शन १५ ए था और जिस दिन यह बिल इस सदन में पुरःस्थापित किया गया; जिस दिन कि बजट इस सदन में पेश

(श्री परसराम मदेरणा)

हुआ था और वह ६-३-६५ को पेश हुआ था। तो यह कहना कि रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंट के बाद राज्य सरकार ने उस जजमेंट से जो स्थिति खड़ी हो गई है उसको मीट आउट करने के लिए यह एमेंडमेंट लाई है, यह बात ठीक नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जिस समय यह केस कोर्ट में चल रहा था तो रेवेन्यू बोर्ड में आपको मालूम हो गया था कि यह होने वाला था। इसलिए यह किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई गलती है उसको ठीक कर लिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : गलती थोड़ी ही है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी यहां पर बात कही गई कि यह जो एमेंडमेंट लाया गया है वह पहले जो एमेंडमेंट था उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, यह बात भी सत्य नहीं है। और यह बात सत्य होती तो पहला जो एमेंडमेंट है, जिसमें स्टे के पॉवर्स रेस्ट्रिक्टेड की गई थीं वह १५ ए है। वह १५ ए के अन्दर जो रेवेन्यू बोर्ड का भी स्टे के पॉवर्स से प्रोहिबिट किया गया था, लेकिन नया जो क्लॉज लाया गया है वह माननीय सदस्यों की यह भावना थी कि यह Orders की कुछ ही मामलों में अपील होनी है और जिन मामलों में अपील होती है वे मामले इसी क्लॉज़ ८ से रिलेटेड सेक्शन १३ में इस बात का प्रावधान है कि किन किन मामलों के अन्दर एसेसिंग ऑथोरिटी के ऑर्डर पर अपील की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जितने भी ऑर्डर्स हैं जिनमें अपील प्रिफर नहीं होती है उसमें रेवेन्यू बोर्ड के पास में रिवीज़न हो सकती है और जब उन सब में रिवीज़न हो सकती है रिवीज़न ऑथोरिटी के पास में स्टे के पॉवर्स होने चाहिए। बहुत ज्यादा मामलों में रिवीज़न ऑथोरिटी को पॉवर्स रिवीज़न एन्टर्टेन करने के दिए हैं। इसलिए हमने माननीय सदस्यों की भावनाओं को एक्सेप्ट करते हुए कि रिवीज़न ऑथोरिटी के स्टे के पॉवर्स का कर्व नहीं, करने चाहिए। इसलिए यह दूसरा एमेंडमेंट यहां पर लाया गया है और दूसरे एमेंडमेंट का मतलब यह था कि सेक्शन १५ ए को डिसमेन्टल किया गया। जो पोर्शन सेक्शन ११ में जाना चाहिए था वह वहां पर गया, जो पोर्शन सेक्शन १३ में या क्लॉज़ ८ में जाना चाहिए था वह वहां पर गया और जो पोर्शन क्लॉज़ ९ सेक्शन १४ में जाना चाहिए था वहां पर और यह इसलिए किया गया कि हम जो रेवेन्यू बोर्ड के पॉवर्स को कर्व करने जा रहे थे उस पोज़ीशन को पहले वाली पोज़ीशन में रेस्टोर करना जरूरी था, और उस रेस्टोरेशन के लिए इस क्लॉज़ १५ ए को डिसमेन्टल करना बहुत आवश्यक था।

अब यहां पर यह बात कही गई कि इस संशोधन के द्वारा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन, क्या मंत्रीजी यह

(श्री माकिचन्द सुराणा)

मानते हैं कि स्टे आॅर्डर जो रिजेक्ट कर दिया जायेगा कमिश्नर के द्वारा उसका रिवीज़न हो सकता है ? उसका कोई अधिकार रिवीज़न का बोर्ड ग्राॅफ रेवेन्यू को है ? इस बात का उत्तर आप दें। मैं आपको आपके ही द्वारा मूव किये हुए···

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कभी यह नहीं कहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सेक्शन ८ में जो आपका एमेंडमेंट है। उसके ऊपर जो मेरा एमेंडमेंट है उसमें आप देखेंगे कि मैंने साफ प्रोहिबिट किया है कि ११ (३) में जो कोई आॅर्डर होगा वह रिवीज़नल नहीं है। इसलिए गलतफहमी नहीं हो। मैं यह बात कहना चाहता था कि एसेसिंग आॅथोरिटी के खिलाफ जितने भी रिवीज़न होते हैं अपील का प्रोवीज़न क्लाॅज़ ८ में है या सेक्शन १३ के अन्दर है, लेकिन बाकी जिनमें, जिन आॅर्डर्स में अपील नहीं होती है उन सबका रिवीज़न रेवेन्यू बोर्ड को हो सकता है और वे बहुत ज्यादा मामले हैं कि जिनमें रिवीज़न हो सकता है। हम रिवीज़नल आॅथोरिटी के स्टे के पाॅवर को फेटर नहीं करना चाहते थे और वह फेटर नहीं करना चाहते थे। क्लाॅज़ ११ जो सेक्शन १५ ए बनने वाला था उसको डिसमेन्टल करके रेवेन्यू बोर्ड को स्टे के पाॅवर्स उनको दिये हैं।

यहां मैं यह कहूंगा कि इस तरह के पाॅवर्स······

श्री बृजसुन्दर शर्मा : On a point of clarification......

श्री परसराम मदेरणा : मैं पोइंट ग्राॅफ ग्राॅर्डर के प्रश्न को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। प्रश्न यह है कि मैं सदन में बोलता हूं तो यह होता है। और माननीय सदस्य ने अपने विचार रखते हुए शाइलोक बना दें या कुछ और बना दें, मुझे कहने का अधिकार है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं तो पोइन्ट ग्राॅफ ग्राॅर्डर रेज़ करता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप पाॅइन्ट ग्राॅफ आॅर्डर रेज़ करना चाहते हैं, हर बात में इन्टरवीन करने की कोशिश करते हैं। मेरा और गवर्नमेन्ट का जो पाॅइन्ट ग्राॅफ व्यू है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेंन्ट का पोइन्ट ग्राॅफ व्यू हमसे मिलाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट के पोइन्ट ग्राॅफ व्यू को हमको समझाना पड़ेगा तभी जाकर हम से वोट ले सकते हो। हमको क्या यहां अनाड़ी समझ बैठे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कैसे डांटते हो, ये सीनियर मेम्बर कांग्रेस के हैं, एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। जहां फर्स्ट अपील होती है, उसके बाद जाकर रेवेन्यू बोर्ड में रिवीज़न का प्रावधान है। सीधे रेवेन्यू वोर्ड में थोड़े ही जायेंगे। जब कमिश्नर के पास फर्स्ट अपील जायगी उसके बाद ही तो जायेंगे इस पर मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : वे यह समझे हैं कि यहां कोई नहीं समझता ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह समझता हूं या नहीं, इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय सदस्य ने जो डाउट पैदा किया है वह निराधार है । एपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील होती है और अपील के फैसले के बाद रिवीजन होगा लेकिन जिन मामलों में में अपील प्रेस्क्राइब्ड नहीं है उनमें डाइरेक्ट रिवीजन होता है...

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्षजी, उन थोड़े मामलों में जिनमें डाइरेक्टली रिवीजन होता है उनको रहने दीजिये । प्रश्न यह है कि बिक्री कर जिस व्यापारी पर लगता है उसकी अपील होती है उस में स्टे ऑर्डर का प्रावधान नहीं रखना है । स्टे ऑर्डर कमिश्नर देगा । आप कहते हैं स्टे ऑर्डर का रिवीजन नहीं होगा । एक व्यापारी को कमिश्नर ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो टैक्स उसको पहले भरना पड़ेगा । फिर वह अपील में जायेगा तो साल भर उसमें लग जायगा । आप कहते हैं कि टैक्स पहले चुकावे । जब वह टैक्स ही चुका दे तो फिर किस बात की रिवीजन लेगा । स्टे ऑर्डर का रिवीजन का प्रावधान नहीं रखा लेकिन स्टे ऑर्डर रिफ्यूज कर दे तो उसके आगे क्या होगा इसका आपने प्रावधान नहीं रखा है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जो सेक्शन १३ है अपील का है उसमें सारी बातें आ गई हैं, असेसमेन्ट, री-असेसमेन्ट, रिफंड ऑर्डर; यह सब सेक्शन १३ में है । रिविजन किसमें हो सकती है, किस ऑर्डर की अपील हो सकती है । अगर रिजेक्ट कर दिया तो डाइरेक्ट रेवेन्यू बोर्ड में जा सकता है लेकिन जो मेजर प्रोब्लम है टैक्स नहीं देने की अपील में स्टे नहीं मिलती है और उसकी अपील होती है ६० दिन के बाद और सिर्फ कमिश्नर को स्टे के पॉवर दिये हैं अपीलेट ऑथोरिटी के स्टे के पॉवर्स नहीं दिये हैं. उस अपील की सुनवाई होगी मान लीजिये साल भर बाद या दो साल बाद फैसला हो सकता है, फिर ६ महीना या १८० दिन की मयाद है, इसमें किसी को पॉवर नहीं है, यह सोचने की बात है ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात का माननीय सदस्य बार बार संकेत करते है मैं उससे इन्कार नहीं करता । मैं यह नहीं कहता कि कमिश्नर को स्टे का पॉवर दिया है, लेकिन क्यों दिया है मुझे सुनना चाहिये उसके बाद फाइनल राय बनानी चाहिये । मैं निवेदन कर रहा था कि कमिश्नर को स्टे का पॉवर दिया है. पॉवर कन्फर की है यह सोच-समझ कर कि कमिश्नर इस डिपार्टमेन्ट का एक सीनियर ऑफिसर है, हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट है और हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट और सीनियर ऑफिसर होने के नाते वह नई पॉवर्स स्टे की उसके द्वारा एक्सरसाइज की जायगी किसी भी एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिये जुडीशियली वह अपनी पॉवर को एक्सर्साइज करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जैसा कि जयपुर के माननीय सदस्य ने कहा, वह डिसीजन या उनका यह

(श्री परसराम मदेरणा)

फैसला जिसमें जुडीशियरी अपने पॉवर को, डिस्क्रीशन को एक्सर्साइज़ करने का है, टैक्स को स्टे करने का है, यदि जुडीशियरी एक्सर्साइज़ नहीं करता है तो उसका डिसीज़न सब्जेक्ट टू रिव्यु हाई कोर्ट द्वारा रहेगा। मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। यहां पर पॉवर कमिश्नर को स्टे करने की दी है वह दूसरी ओर इन्कमटैक्स एक्ट में स्टे की पॉवर जहां असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास अपील होती है वहां पर इन्कम टैक्स ऑफिसर को है और वह इन्कम टैक्स ऑफिसर असिस्टेन्ट कमिश्नर से जूनियर व्यक्ति है उसके पास पॉवर है तो यहां पर सीनियर ऑफिसर के पास रखी है। लेजिस्लेचर की मंशा यह नहीं है कि एपीलेट ऑथोरिटी या रिवाइजिंग ऑथोरिटी को रेस्ट्रेन किया जाय क्योंकि हमें यह डर था कि हाई कोर्ट में रेफरेन्स के इन्हेरेन्ट पॉवर का प्रश्न खड़ा कहीं करदे। यह प्रोविजन पहले से ही है, नया नहीं है। राज्य सरकार की यह मान्यता थी कि लेजिस्लेचर का यह इन्टेन्शन था कि इस प्रकार का एपीलेट ट्रिब्यूनल या रिवाइज़नरी ऑथोरिटी हैं उनके पास अपील का इन्हेरेन्ट पॉवर नहीं है लेकिन हमने देखा कि असेसीज को डिफिकल्टी होती है तो पिछले साल अमेन्ड-मेन्ट के जरिये कमिश्नर को पॉवर दी थी लेकिन साथ ही वह रखा कि स्टे देते समय जुडीशियरी पॉवर को एक्सर्साइज़ करता है तो कर सकता है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये अर्ज करूंगा कि पिछले एक साल में, अमेन्डमेन्ट एक्ट में हुआ उसके बाद कमिश्नर के पास २१२ मामले असेसीज़ के आये जिनमें टैक्स इन्स्टाल-मेन्ट्स में कराना चाहते थे या स्टे कराना चाहते थे। उन २१२ केसेज़ में से १६६ पर विचार हुआ और उनमें से १२६ एक्सेप्ट किये हैं और ४३ को रिजेक्ट किया है। ये पॉवर्स कमिश्नर के पास थे। मावली के सदस्य कह रहे थे कि पहले पॉवर्स कमिश्नर के पास वाइड थे और अब ड्यूरिंग पेन्डेन्सी ऑफ अपील स्टे कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे, सेक्शन ११ (२) में इस प्रकार के पॉवर्स एसेसिंग ऑथोरिटी को आज भी है। इसका मतलब यह है कि एसेसिंग ऑथोरिटी स्टे ग्रान्ट नहीं करती है, इन्सटालमेंट करती है तो उसका रिवीज़न होता है और रेवेन्यू बोर्ड इमिजियेटली स्टे कर सकता है तो यह कहना कि पॉवर रेस्ट्रिक्ट कर दिये हैं, ठीक नहीं है। पॉवर सेक्शन ११ (२) में एसेसिंग ऑथोरिटी को था और आज भी है। अब प्रश्न यह रहा कि कमिश्नर को पॉवर्स देना चाहते हैं वह जुडीशियरी एक्सर्साइज़ करेगा या नहीं, यह डाउट माननीय सदस्यों के दिमाग में था।

श्री सम्पतलाल बोहरा : आशंका आपको है।

श्री परसराम मदेरणा : आप पहले सुन लें, फिर मुनासिब हाउस समझेगा वैसा ही डिसीज़न लिया जायगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे ज्यादा इन्कम टैक्स ऑफिसर को पॉवर है। एक जगह जब स्टे करने के लिए इन्कम टैक्स ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आई तो स्टे नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया उसके रिजेक्शन के बाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ। कलकत्ता

(श्री परसराम मदेरणा)

हाईकोर्ट का फैसला है उसमें यह बात कही है : Income Tax Act by Jain-Volume III, page 1308.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कौन से सेक्शन पर कमेन्ट्री है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ११२।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह कोई इन्कम टैक्स का मामला है ?

श्री परसराम मदेरणा : २२०।

Calcutta High Court decision. Income-tax Act. Vol. III. Page 1308. 203.

"It would be for the Income-tax Officer to consider whether in the particular circumstances it would be Just and proper to treat them as defaulters. If, for example, the question involved in the appeal were difficult and the prospects of success in the appeal were light, it would be a very bold Income-tax officer who could hold that the assessee were still a defaulter. The matter, however, is in the discretion having regard to the circumstances of the case. The assessing officer should exercise his discretion under this section 220 judicious and not arbitarary capriciously or vindictively."

मेरे कहने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट ने यह होल्ड किया है कि इस तरह से जो इन्कम टैक्स ऑफिसर है, वह बहुत बोल्ड होगा, जो यह समझे, मेरिट के ऊपर अपील के अन्दर बहुत ज्यादा ग्राउण्ड्स हैं और इन ग्राउन्ड्स के आधार पर इसमें सक्सेस होने वाली है। इस तरह के स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं ऑफिसर्स के ऊपर तो वह डिटरेन्ट का काम करते हैं और वह ऑफिसर, जिसके पास स्टे करने की पॉवर कन्फर की जाती है, वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो व्यक्ति कमिश्नर के पद पर होता है वह इसमें माइण्ड एप्लाई करेगा तो जुडिशियल माइन्ड एप्लाई करेगा, जुडीशियल पॉवर को एक्सर्साईज़ करेगा, वह आर्बीट्रेरिली फैसला नहीं करेगा। इसलिए हमने इन्कम टैक्स एक्ट की एनोलोजी पर, जहां उसमें जूनियर ऑफिसर्स को यह पॉवर दी है, वहां हमारे यहां हमने एक सीनियर ऑफिसर को एक हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट को यह पॉवर दी है......

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जो कमेन्ट्री मैंने पढ़ कर सुनाई उसमें यह बात कही गई है कि अपील वह जो प्रिफर की जाती है उस अपील के अन्दर मैरिट और आस्पेक्ट या मेरिट मैन कन्सीडरेशन है। जहां मामला टैक्स की रिकवरी को स्टे कराने का हो, यह दूसरा आस्पेक्ट भी उसके अन्दर है, यह दूसरा आस्पेक्ट है कि क्यूमुलेटिव आस्पेक्ट देखना चाहिए और सिर्फ मेरिट आस्पेक्ट को नहीं। हमने जब कमिश्नर को इस तरह की पॉवर कन्फर की है तो हमारे ध्यान में एक बात है, वह बात यह है, जो इस सेक्शन के

(श्री परसराम मदेरणा)

नीचे कमेन्ट्री है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"The difficulties involved in the issue raised in the case and the prospect of the appeal being successful is one such aspect. The position and economic circumstances of the assessee is another. If the officer feels that the stay would put the realisation of the amount in jeopardy, that would be an important factor to be taken into consideration. The amount involved is also a relevant factor."

इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके अन्दर इकोनोमिक सर्कम्सटान्सेज इन्ट्रेस्ट ऑफ दी रेवेन्यू और दी अमाउन्ट इन्वोल्व्ड, यह दूसरा है ·····

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : Interest of the revenue is not there. Capacity of the assessee to pay is······

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : The amount is there.

श्री परसराम मदेरणा : If the officer feels that the stay would put the realisation of the amount in jeopardy else what is the interest of the state then ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह असेसी के फेवर में आता है, वह हमेशा अपील में जीतेगा। यह फैक्टर है, है, इस फैक्टर को भी देखने की आवश्यकता है कि उसकी कैपेसिटी टैक्स पे करने की है या नहीं, वह कितना पे कर सकता है, कितना सहूलियत से कर सकता है, उसको कन्सीडरेशन में रखते हुए अमाउन्ट कितना हो।

श्री परसराम मदेरणा : यह माननीय सदस्य का खुद का इन्टरप्रिटेशन है। हाईकोर्ट को जो रेफरेन्स दिया है, इसको पढें तो मेरिट अपील के अन्दर आस्पेक्ट नहीं,दूसरा आस्पेक्ट को भी कन्सीडर करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जब कमिश्नर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा तो वह मेरिट के आस्पेक्ट को ही कन्सीडरेशन में नहीं रखेगा बाकी के भी कन्सीडरेशन्स, होंगे, जिनमें स्टेट की रेवेन्यू इन्वोल्व्ड है, जिसमें दूसरी भी बातें हैं, सरकम्स्टान्सेज हैं, अमाउन्ट कितना है–इसके अलावा असेसी के इधर उधर जाने की पोसिबिलिटी तो नहीं है–ये सब बातें देखते हुए वह स्टे करार देगा। इसलिए यह कहना गलत है कि वह उस चीज को नहीं देखेगा। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया है कि पिछले एक साल में जो सौ और कुछ केसेज डस्पोज ऑफ किये हैं उनके अन्दर से ४३ रिजेक्ट किये हैं, बाकी के रिजेक्ट नहीं किये हैं। यह इस बात का सुबूत है कि कमिश्नर को ऑलरेडी यह पॉवर्स थीं, उसने उनको एक्सरसाइज किया है और जुडीशियरी पॉवर को एक्साइज किया है; पिछली साल तो कमिश्नर, सीनियर आदमी हैं और जिनको यह पॉवर कन्फर की जा रही है वह किसी तरह एक ही तरफ रेवेन्यू के टार्गेट को देखेगा और मेरिट को नहीं देखेगा, दूसरे बातों को नहीं देखेगा–ये जो शंकायें हैं उनके लिए मैं निवेदन

(श्री परसराम मदेरणा)

करूंगा कि पिछली साल जो केसेज़ डिसाइड किये हैं उनमें से काफी असेसी के फेवर में किये गये हैं, यह इस बात का द्योतक है कि वह कमिश्नर जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज़ करेगा, वह जुडीशियल डिस्क्रेशन पॉवर एक्सर्साइज़ करेगा, वह मेरिट पर करेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो ४३ केसेज रिजेक्ट किये हैं उसमें अपील एक में भी मंजूर हुई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बता दिया कि कमिश्नर ने जुडीशियरी पॉवर्स एक्सर्साइज किये हैं । इसके बाद यहां पर डिप्टी कमिश्नर के केसेज़ का नम्बर भी बता दीजिये कि उन्होंने कितने केसेज़ में नॉन-जुडीशियरी पॉवर है उसको एक्सर्साइज़ किया हो जिससे आप पॉवर वापिस लेना चाहते हैं । आपने कमिश्नर के केसेज का नम्बर बता दिया तो आप डिप्टी कमिश्नर के केसेज का नम्बर भी बता दीजिये ।

श्री उमाशंकर शर्मा : यह इस बात का द्योतक होगा; आपके असेसर किस तरह से काम करते हैं । जब इतनी अपील असेसीज़ को करनी पड़ी तो यह इस बात का द्योतक है कि असेसर असेसी के साथ ज्यादती करते हैं । यह आपके कमिश्नर भी मानते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Just a minute.

उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने सांभर वाले केस में तीन लाइनें लिखी हैं, यह मानते हुए कि विक्टीमाइज़ेशन हुआ है । यह आर्ग्यूमेंट के नीचे लिखा है :

"It is expected that the Respondent No.2, means the State of Rajasthan and the Commercial Taxes Officer, will conduct in a manner that impression is not created in the mind of the petitioner that any policy of victimisation is being pursued."

अब मुझे बताइये, ये ऑब्ज़र्वेशन्स हाई कोर्ट के आसानी से नहीं मिलते । ये ऑब्ज़र्वेशन्स तब आये हैं जब हाई कोर्ट कन्विन्स हुई है कि विक्टीमाइज़ेशन हुआ है, उस आदमी के साथ हेरेसमेंट हुआ है । तब उन्होंने लिखा है, नम्बर एक और नम्बर दो के लिए कि ऐसा व्यवहार न हो जिससे असेसी की डैथ हो जाय । यह इस चीज को बताता है कि असेसी के साथ विक्टीमाइज़ेशन किया गया है और यह आपका स्टेन्डर्ड है । इस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स की एनोलोजी को लेना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इन्कम टैक्स के तो ज्यादा से ज्यादा पांच हजार असेसीज होंगे, जब कि सेल्स टैक्स के करीब पचास हजार असेसीज़ होंगे । इन्कम टैक्स के मामले में अगर पांच रिट हुई होंगी तो सेल्स टैक्स और पैसेन्जर टैक्स के अन्दर थाउजेन्ड्स ऑफ रिट्स हुई होंगी । इसके साथ ही जो आपके टैक्स के असेसमेंट चैलेंज हुए हैं और जो रिट्स हुई हैं उनके आंकड़े आपने पेश किये । इसके अलावा जो आपकी ऑथोरिटी है, डिप्टी कमिश्नर की ऑथोरिटी है उसके फैसलों के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में इतनी रिट्स हुईं और कमिश्नर के पास में जो फैसले होते हैं उनकी इतनी रिट्स हुईं

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)

उनमे साबित होता है कि असेसी के असेसमेंट असेसिंग ऑथोरिटी विक्टीमाइज़ेशन के आधार पर करते हैं, प्रजुडिशल आधार पर करते हैं और गलत असेसमेंट करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं एक बात और कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक बात आपने कह दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक मिनट !

असेसर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए हैं तो भी असेसर बने हुए हैं। अगर मिनिस्टर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हो जायं तो वह मिनिस्टर न रहें। यह गौरव की बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके खिलाफ होते हैं तो वह मिनिस्टर के खिलाफ हैं और डिपार्टमेंट के खिलाफ हैं तो वह मिनिस्टर के खिलाफ हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जॉइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री परसराम मदेरणा : जो सांभर के केस का हवाला दिया और जो हाई कोर्ट का जजमेंट बताया। यह प्रश्न जब जनरल डिबेट का मैं रिप्लाई दे रहा था उस वक्त भी खड़ा हुआ था और मैंने निवेदन किया था कि पिटीशनर के वकील हैं उन्होंने यह बात हाई कोर्ट के सामने उठाई कि मेरे क्लाइन्ट का विक्टीमाइज़ेशन हो रहा है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर लिखा है: "The learned counsel for the petitioner feels." इसमें उन्होंने कहा है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह आर्ग्युमेंट है।

श्री परसराम मदेरणा : "It is expected that the respondent No. 2 will conduct in a manner that there should not be an iota of doubt that he will be victimised."

इसका मतलब यह है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It is only after the High Court is satisfied that the High Court passes such strictures, not otherwise.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर नहीं है। उसमें यह रिमार्क है कि सिक्योरिटी बोंड्स जो असेसिंग ऑथोरिटी ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ किया है वह सही किया है। वह एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि वह डिफेक्टिव हैं और डिफेक्टिव सिक्योरिटी बोंड्स को रिजेक्ट किया है। सिक्योरिटी बोंड्स रिजेक्ट किये हैं वे सही किये हैं। इसलिए यह बात मानना गलत है कि यह स्ट्रिक्चर है कि असेसिंग ऑथोरिटी के द्वारा विक्टीमाइज़ेशन हो रहा है। जो सिक्योरिटी बोंड्स थे वे भारी अमाउन्ट के थे और डिफेक्टिव थे। तो उसे निश्चित तौर पर रिजेक्ट करना चाहिए था और उसने ठीक किये हैं। यह बात हेल्ड की है। मेरा कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, यह....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी कमिश्नर के आंकड़े बता दें जिनमें उसने नॉन–जुडिशियरी पॉवर एक्सरसाइज की है। कमिश्नर ने जुडिशियरी पॉवर एक्सरसाइज की है वह बता दीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के आंकड़े भी बता दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्रीजी नीचे की चार लाइन पढ़ लीजिये। वह स्पष्ट हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह पढ़ कर सुना दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : वह पढ़ रहा था। आप थे नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह पढ़ दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी कमिश्नर के आंकड़े दे दीजिये जिसमें नॉन–जुडीशियरी पॉवर एक्ससाईज की है।

श्री परसराम मदेरणा : "नॉन जुडी–शियरी". इस तरह का एसपर्शन मैं एक तरह से जुडिशियरी पर करने वाला नहीं हूँ। आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ कर मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो .

मैं कहना चाहता हूं कि अपीलेट, ऑथोरिटी जो ऑर्डर करता है। टैक्स की रिकवरी स्टे करता है तो वह उसका बिजनेस नहीं है। अपीलेट ऑथोरिटी का मैन बिजिनेस नहीं सब्सीडियरी बिजनेस है। वह अपील को उसकी मेरिट पर विचार करके फैसला करता है। जब उनका यह मैन बिजनेस नहीं है और हम उस पॉवर को रेस्ट्रिक्ट करने नहीं जा रहे हैं, यह इसी तरह कायम है। यहां पर यह भी कहा गया.......

(४.०० म. प.)

श्री सम्पतिलाल बोहरा : आप यह बता दें कि जो डिप्टी कमिश्नर का प्रावधान है वह क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर हर मामले के अन्दर निर्णय करने का अपीलेट ऑथोरिटी को पॉवर है। अगर मान लें, उस हालत में क्या होगा जिस वक्त अपीलेट ऑथोरिटी स्टे एप्लीकेशन दी और उसे रिजेक्ट कर दे और उसकी रिकवरी अपील में कायम होती है इस तरह के केसेज हुए हैं। माननीय सदस्य भी एडवोकेट हैं और वे जानते हैं कि जब इंजक्शन के लिए मूव करते हैं सिविल कोर्ट में, तो उस वक्त सिविल कोर्ट इंजेक्शन आर्डर देने से मना कर देती है। लेकिन केस का फैसला पिटीशनर के हक में होता है, ऐसा कई दफा हुआ है। तो यह तो डिस्क्रिशन का मामला है और इसके अन्दर जो मेरिट अपील की होती है उसको देखकर ही निर्णय करना होता है। लेकिन इस मामले को मैं इसके साथ नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि उनका मेन बिज़नेस अपील को डिस्पोज ऑफ करना है, स्टे ग्रांट करना नहीं है। स्टे ग्रांट करना टैक्स रिकवरी के मामले में और चीज होती है, जब कमिश्नर के पास में सब फैक्ट्स होते हैं. दूसरे आस्पेक्ट होते हैं और मेरिट आस्पेक्ट भी उसमें कंसीडर करता है तो मैं समझता हूं कि जो कुछ भी होगा, जो कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा, हम यह अटास्पेक्ट करके

Page No 108

(श्री परसराम मदेरणा)

चल सकते हैं कि Judical मैनर में डिस्चार्ज करेगा । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमने जो अपीलेट ऑथोरिटीज़ हैं उनको सत्ता नहीं दी है और कमिश्नर को सत्ता दी है जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि हमने यह जानते हुए दी है । अपीलेट ऑथोरिटीज़ के पास मे इन्हेरेंट पॉवर की बात कही गई और माननीय सदस्य ने जिन रूलिग्ज़ का हवाला दिया है मैं उस रूलिंग की डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यहां इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन रूलिग्ज़ में फैक्ट्स अलग अलग हैं, कोल कंट्रोल का फैक्ट अलग है वह फैक्ट जो है इन्वॉल्व फण्डामेंटल राइट में इन्वॉल्व होता है । एक आदमी को लाइसेंस जरूर लेना पड़ेगा और इसके बाद में कंट्रोलर जो है वह उसके केसेज़ को डिसाइड करेगा तो यहां तो उसके फन्डामेंटल राइट का क्वेश्चन खड़ा हुआ । यहां पर फण्डामेंटल राइट का प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन्हेरेंट राइट्स की जो बात की गई है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कोटेशन पढ़े हैं मैं उसके सम्बन्ध में कोटेशन पढ़ता हूं और उसको यहां डिस्कस करना चाहूंगा । यह इन्हेरेंट पॉवर को समझाने के लिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर ने कुछ पॉवर्स कोर्ट को दी हैं लेकिन उनको एन्फोर्स करने के लिए कुछ ऐसी पॉवर्स जो कि उन पॉवर्स को एक्सप्रेसली कन्फर की है किसी कोर्ट या जुडिशियल बोडी को और उन पर अगर उसको एन्फोर्स करने के लिए कुछ नेसेसरी पॉवर्स एक्सक्लूजिवली होती हैं उनको निश्चित रूप से इन्हेरेंट पॉवर कहा जाताय है और उस इन्हरेंट पॉवर में Crow frds स्टेच्यूटरी कन्स्ट्रक्शन जो है उसका मैं रिलेवेंट पैरा पेज २६७ पर है सुनाना पसन्द करूंगा :

"The reason for allowing the Court to give the necessary implication is quite apparent. Many letters of minor details are often omitted from legislation. If these details could not be inserted by implication, the legislative intent would be likely to be defeated, by a most significa omission. Consequently these minor detalis are considered as if ineluded in the general terms of enactment."

इसी के साथ साथ जो कोटेशन है : Maxwell Quotation-Interpretation of Statutes : "where an Act confers a Jurisdiction, it impliedly also grants the power of doing of such acts or employing such means as are essentially necessary to its execution. The enactment that at the election of poor law guardians the votes should be taken and returned as the commissioners should direct, impliedly authorised the appointment of a returning officer."

तो इसका स्पेसिफिक मेंशन नहीं था लेकिन वोट और इलेक्शन का प्रावधान था इसलिए एम्पलॉईज को पॉवर्स निहित थीं और रिटर्निंग ऑफिसर अपोइन्ट होगा, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न यह नहीं है, यहां पर सिर्फ स्टे एप्लीकेशन को डिस्पोज़ करने का मतलब यह नहीं है कि हम स्टे एप्लीकेशन को डिस्पोज़ ऑफ करने

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिए जो पॉवर्स जरूरी होना चाहिए और स्टे की पॉवर नहीं होती है तो इसका मतलब यहां एसेन्शियली नेसेसरी है। इस अपील को डिसाइड करने में यह पोजीशन नहीं है। यहां वह पोज़ीशन नहीं है. डिप्टी कमिश्नर अपील्स के पास में इस तरह की पॉवर्स नहीं हैं तो इन्हेरेंट पॉवर्स का प्रश्न जो यहां पर खड़ा किया है यह पॉवर वेस्ट होती है कमिश्नर में। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर इन्हेरेंट पॉवर्स को कौन कन्फर करता है। आज इन्हेरेंट पॉवर कौन देता है ? यह हाउस जो है यह सुप्रीम बोडी है। इस हाउस ने ही सेल्स टैक्स एक्ट बनाया और उसको पास किया और उसको पास करने के बाद में उन्होंने अपीलेट ऑथोरिटी डिप्टी कमिश्नर अपील्स को कांस्टीट्यूट की और क्योंकि अपीलेट ऑथोरिटी हाउस की क्रियेशन है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अपीलेट ऑथोरिटी को इन्हेरेंट पॉवर्स अपने आप ही प्राप्त हों, यह बात नहीं है। उस हाउस का ही क्रियेशन है, यह हाउस की ही मंशा थी। जो हाउस ने प्रिंसिपल एक्ट पास किया था मैं तो उसमें अमेंडमेंट भी नहीं लाया हूं, यह उस लेजिस्लेचर का ही इंटेंशन था कि......

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिए। जो पॉवर्स हैं Appellate Authority के पास उसमें इन्हेरेंट पॉवर्स stay के नहीं हैं। यह इस बात का सुबूत है कि जब हमने यह देखा कि अपीलेट ऑथोरिटी को स्टे के पॉवर्स तो नहीं हैं तो ऐसे मामले खड़े होते हैं जिनमें किसी न किसी को स्टे के पॉवर्स का प्रावधान रखना चाहिए और उसी तरह का प्रावधान लास्ट ईयर रखा गया था। मैं यह कहता हूं कि अपीलेट ऑथोरिटीज को कुछ तो अपने आप इम्प्लाइड पॉवर्स नहीं आ जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्कम-टैक्स में स्टे की कहां २ पॉवर है, उनको कहीं कहीं पर expressly प्रोवाइड किया है वर्ना implied पॉवर्स नहीं हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : It means, it is implied in every section when there is no specific provision.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब है कि रेवेन्यू बोर्ड ने जो डिसिज़न इन्हेरेंट पॉवर के सम्बन्ध में दिया है जो इन्हेरेंट पॉवर स्टे देने की है उसके सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड ने जो डिसिज़न दिया है कि यह लेजिस्लेशन की मंशा नहीं है तो क्या आपका मतलब यह है कि यह इंटरप्रिटेशन रेवेन्यू बोर्ड ने किया है वह गलत किया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सिंगल मेम्बर ने एक जजमेंट ३-४-६३ को दिया है और उन्होंने माना कि अपीलेट ऑथोरिटी को रीकवरी में स्टे ग्रान्ट करने के इन्हेरेंट पॉवर्स हैं। राजस्थान सरकार इस विषय में अन्तिम रूपेण निर्णय करने के लिये हाई कोर्ट में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहती है और प्रस्तुत करने का विचार रख रही है, इसलिये इस विषय में मैं इस समय ज्यादा नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या गवर्नमेंट अब भी मानती है कि डिप्टी कमि-

Page No 110

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्नर को स्टे करने के इन्हेरेंट पॉवर्स नहीं हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास १२ स्टेट्स की लिस्ट है जिसमें अपीलेट ऑथोरिटीज़ को असेसमेंट के खिलाफ अपील होती है तो स्टे करने के पॉवर्स हैं। यह लिस्ट है आन्ध्र, आसाम, केरल, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, मद्रास, वेस्ट बंगाल, बिहार इन १२ स्टेट्स में अपीलेट ऑथोरिटी को स्टे करने के पॉवर्स हैं। फिर राजस्थान कौनसी अक्लमंदी कर रहा है कि अपीलेट ऑथोरिटीज के अधिकार छीन रहा है। इन १२ स्टेट्स में जनतंत्र चल रहा है, वहां तो अपीलेट कोर्ट को स्टे ग्रान्ट करने का अधिकार रहे और आप अपीलेट कोर्ट को स्टे के पॉवर्स नहीं देना चाहते, इसकी क्या वजह है, यह समझाने की कोशिश करें। यह नोट शायद आपके पास भी पहुंचा है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस नोट का हवाला माननीय सदस्य दे रहे हैं वह मेरे पास नहीं पहुंचा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आप आर्ग्युमेंट्स और लॉजिक के आधार पर ओपन माइन्ड से बात करना चाहें तो हम कहने को तैयार हैं, अगर कोले साहब की तरह जो विचार किया है वही करना चाहते हैं तो हमारा कहना बेकार है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं वह नोट आपको पास ओन करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ओपन माइन्ड से बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १२ स्टेट्स की जानकारी, एक्च्युअल पोजिशन क्या है, यह मेरे पास नहीं है। पांच छः स्टेट्स का मेरे पास है; मद्रास, केरल और आन्ध्र में एक्सप्रेसली इस बात का पॉवर दिया है। एक्सप्रेसली पॉवर देने का मतलब यह है कि उन्हें इन्हेरेंट पॉवर नहीं है, इन्हेरेंटली पॉवर होता तो एक्सप्रेसली पॉवर क्यों दी जाती ?

यू. पी. में इम्प्लाइडली डिप्राइव किया गया है, राजस्थान में एक्सप्रेसली डिप्राइव करना चाहते हैं। दूसरी स्टेट्स में एक्सप्रेसली पॉवर दी हैं तो इसका मत साफ है कि वहां अपीलेट ऑथोरिटी को स्टे ग्रान्ट करने के इन्हेरेंट पॉवर नहीं है। यह आर्ग्युमेंट कोर्ट में किया जा सकता है पर हाउस की क्या मंशा थी, इम्प्लाइड पॉवर देने की थी या नहीं essentilly necessory उनको आगे बढ़ावा देने के लिये यह हाउस सुप्रीम है, यह हाउस कर सकता है। एक्सप्रेसली डिप्राइव करे या पॉवर नहीं दे, यह इस हाउस को ऑथोरिटी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी क्या मान्यता है ? डिप्टी कमिश्नर्स को स्टे ग्रान्ट करने के पॉवर्स देने की है या नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं है तो इस लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं है। स्टे ग्रान्ट नहीं कर सकते थे, लेजिस्लेचर की

Page No 111

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह मंशा है तो चलने दीजिये। कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है; आप भी संशोधन वापिस लीजिये और हम भी संशोधन वापिस लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि पॉवर्स नहीं हैं तो आप भी अपने संशोधन वापिस ले लीजिये और हम भी वापिस ले लेते हैं।

क्योंकि यह एम्प्लाइड और इन्हेरेन्ट पॉवर्स का प्रश्न है, इस पर कोर्ट्स अपनी अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं। जैसा रेवेन्यू बोर्ड ने जजमेंट दिया, इस लेजिस्लेचर की मंशा क्या है, इस बारे में किसी को डाउट नहीं हो, लेजिस्लेशन की ऐसी मंशा नहीं थी, उनको ऐसे पॉवर्स रहेंगे, आज भी ऐसा मानते हैं. इस तरह का क्वेश्चन खड़ा होता है. जहां इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न आता है तो लेजिस्लेचर का इन्टेंशन क्या था इस बात का इन्टरप्रेटेशन होता है, इस बारे में लेजिस्लेचर अपनी मंशा को अपनी बात को बहुत क्लीयर कर दे तो फिर उसके इन्टरप्रिटेशन का सवाल नहीं रहता है। हमने वे पॉवर्स रेस्ट्रिक्ट की हैं डिप्टी कमिश्नर की। पर कमिश्नर के पास स्टे के पॉवर्स रखे हैं। मैं समझता हूं, यह दोनों के इन्ट्रेस्ट में है; असेसी के भी इन्ट्रेस्ट में है और स्टेट के भी इन्ट्रेस्ट में है। असेसी के इन्ट्रेस्ट में तो तब नहीं रहता जब कि स्टे का प्रावधान नहीं रखते। रेवेन्यू बोर्ड को स्टे के पॉवर्स हैं, वे पॉवर्स कर्टेल कर देते तब तो आप कह सकते थे कि यह असेसी के इन्ट्रेस्ट में नहीं है। असेसी को हेरेसमेंट न हो, असेसी के इन्ट्रेस्ट की वाच रखने के लिये और राज्य सरकार के इन्ट्रेस्ट की वाच रखने के लिये कमिश्नर को ये पॉवर्स दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के कारण यह अमेंडमेंट नहीं लाये और राज्य सरकार की मान्यता है कि अपीलेट ऑथोरिटी को स्टे के इन्हेरेंट पॉवर्स नहीं हैं; let the High Court decide in a reference.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जजमेंट हुआ जब...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह शुरू में मना कर गये, आपको पता नहीं। तो फिर इसे लाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जजमेंट से अपीलेट ऑथरिटी समझने लग गये थे कि टैक्स की रीकवरी को स्टे करने के उन्हें इन्हेरेंट पॉवर्स हैं। लेजिस्लेचर की मंशा इन्हेरेंट पॉवर या इम्प्लाइड पॉवर देने की नहीं थी। लेजिस्लेचर का यह इन्टेन्शन नहीं था; फिर भी वे यह मान कर चलते थे कि लेजिस्लेचर का इन्टेन्शन उन्हें इन्हेरेंट पॉवर देने का था। इसलिये हम express तौर पर रख रहे हैं कि इन्हेरेंट पॉवर्स स्टे के उनके पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३ अप्रेल को यह फैसला हुआ रेवेन्यू बोर्ड का कि डिप्टी कमिश्नर को टैक्स की रीकवरी को स्टे करने के इन्हेरेंट पॉवर्स हैं तो ६ मार्च को ही आपको कैसे अहलाम हो गया, जब कि फैसला ३ अप्रेल को होता है ?

Page No 112

श्री परसराम मदेरणा : मैं डिनाई कहां कर रहा हूं।

गवर्नमेंट के अमेंडमेंट की मंशा दो तरह की है। पॉवर्स पहले कमिश्नर को थे, सेक्शन ११ (३) को ओमिट करके १५ (ए) में डाला, माननीय सदस्यों की राय है कि स्टे के पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड को रहने चाहिये, १५ (ए) में अपीलेट ऑथोरिटी को स्टे के पॉवर्स नहीं दिये। ३ अप्रेल को जो जजमेंट हुआ है, उसके बाद हम यह अमेंडमेंट लाये हैं, यह कहना उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ६ मार्च को विधान सभा में पेश किया और सरकार तो मान कर चलती है कि डिप्टी कमिश्नर को पॉवर्स नहीं हैं। रेवेन्यू बोर्ड का या हाई कोर्ट का फैसला था कि डिप्टी कमिश्नर को पॉवर्स हैं लेकिन सरकार यह मान कर चलती नहीं है तो किस आधार पर यह मान कर लायी है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं आपकी डिबेट कन्क्लूड हो गयी है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं फिर रिपीट करना, चाहता हूं। छिपाने की बात नहीं है। इन्टरप्रिटेशन यह कर रहे थे कि हमें इन्हेरेंट पॉवर्स हैं लेकिन लेजिस्लेचर की भी मंशा नहीं थी और इम्प्लाइड भी नहीं है। इम्प्लाइड भी होता तो दूसरी स्टेट्स में इस प्रकार के स्टेच्यूट्स हैं उनमें expressly क्यों प्रोवाइड किया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके कहने का मतलब यह हुआ कि डिप्टी कमिश्नर ने ये पॉवर्स एज़्यूम कर लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): A very important clarification.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बात कर रहे हैं और हम भी उसी तरह से कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एज़्यूम कर लिये इन्हेरेंट और इम्प्लाइड पॉवर्स, इसलिए सरकार अमेन्डमेन्ट लायी है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरिट का ही आस्पेक्ट नहीं है, बहुत से आस्पेक्ट्स हैं। स्टेट रेवेन्यू का भी एक आस्पेक्ट है। वन ऑफ दी आस्पेक्ट्स यह भी था, इसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन सोल आस्पेक्ट यह नहीं था कि डिप्टी कमिश्नर जजमेंट दे रहा है, इसलिये यह लाना है। यह टैक्स इन्कम टैक्स से भिन्न है। डीलर कन्ज्यूमर से रियलाइज़ करता है और स्टेट के कोष में डिपोज़िट कराता है। इसकी लाइफ लाइन डीलर के थ्रू ही है। कोई स्टेट एग्ज़िस्ट नहीं करती है यदि समय पर टैक्स की वसूली न हो। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो आपके पीछे बैठते हैं, ने पैसेन्जर टैक्स के एरियर्स का जब प्रश्न सदन में आया था तो उन्होंने यह बात कही है कि पैसेन्जर टैक्स को लोग

(श्री परसराम मदेरणा)

अपने पास रखते हैं, गवर्नमेन्ट का मनी है, डिपोजिट नहीं कराते हैं, उन पर क्रिमिनल लाएबिलिटी फिक्स की जानी चाहिये। अगर वह बात है तो यह टैक्स भी कन्ज्यूमर्स से ही वसूल होता है। डिप्टी कमिश्नर की एक दूसरी पोस्ट क्रियेट की है जिससे जल्दी से जल्दी अपीलें डिस्पोज ग्रॉफ हों। और नहीं होती हैं तो देश में इन्फ्लेशन फैलता है। रिजर्व बैंक ग्रॉफ इन्डिया ने और भारत के वित्त मंत्री ने कहा है। वह कह रहे हैं कि पैसा ऐसे लोगों के हाथ में रहता है जो अनग्रन्र्ड इन्कम के रूप में है और जब तक हाईकोर्ट, फैसला नहीं करती, असेसिंग ग्रॉथोरिटी के पास जावेगी, अपील में दो साल निकल गये, रिविज़न में दो साल स्टे हो जाय, रेफरेन्स में हाई कोर्ट में चला जाय २ साल इसमें निकल गये, इस प्रकार ६ साल निकल जावेंगे। वह उस रकम पर छः साल तक इन्ट्रेस्ट चार्ज करेगा और टैक्स नहीं देगा। मार्केट में इन्ट्रेस्ट १८० है। इस प्रकार से नाजायज़ फायदा उसको नहीं लेने दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन, सर....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास ये पॉवर्स नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले से आप यह पहले ले ग्राये। ६ मार्च को यह संशोधन कानून ग्राप ले ग्राये। ग्रापको कानून पेश करने का अहलाम कैसे हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने लम्बा-चौड़ा भाषण दिया कि इसका क्या कैरेक्टर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो ऐसा किया कि बोला से भोला मिला। पूछा घर पर सब बच्चे मौज में हैं तो बोला से कहा कि सालों का भुरता करके खाऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह डेट्रीमेंटल है। वे घूम फिर कर एक ही बात पर आ रहे हैं। वह मैंने देश-हित में बात कह दी है और बहुत से फेक्टर्स सामने रख कर ग्रमेंडमेंट सरकार लायी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप उस बात पर स्टिक नहीं करते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन सीक करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने जितनी भावनायें व्यक्त की हैं कि इस तरह से अपील हो जावेगी, रिवीजन हो जावेगा, रेफरेन्स में रुक जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : देश हित की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जानते हैं ग्राप वकालात करते हैं। मैंने भी वकालात की है। दूसरे माननीय सदस्य हाई

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कोर्ट के वकील हैं। आपने किसी मुफस्सिल कोर्ट में वकालत की होगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसा मत कहिये....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने मैंने मुफस्सिल कोर्ट्स में वकालत की होगी लेकिन दूसरे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी की है और करते हैं।

आपने यह कहा कि हमारा इन्टेन्शन नहीं था, लेजिस्लेचर का इन्टेन्शन नहीं था कि डिप्टी कमिश्नर अपील स्टे करे। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर दिया और डिप्टी कमिश्नर के लिए मान लिया कि उसको अधिकार है। लेजिस्लेचर को इन्टेन्शन जाहिर करने का अधिकार है। जो भाषा लिखते हैं उसकी भाषा क्या है; सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट ही कह सकती है कि क्या है ? चार लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : केवल आप क्लेरिफिकेशन ही कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेवेन्यू बोर्ड ने साफ कर दिया कि लेजिस्लेचर का इन्टेन्शन यह है। अपीलेंट कोर्ट को अधिकार है। डिप्टी कमिश्नर को पॉवर नहीं हैं, यह मानते तो हाई कोर्ट में जाकर इस मुद्दे को साफ करने के बजाय लेजिस्लेचर के फोरम को ही क्यों यूज करना चाहते हैं ? यहां जितने भाषण हुए हैं डिप्टी कमिश्नर को अपीलेट पावर्स रहने चाहिये, हाउस का इन्टेन्शन रीड कर लें, आपकी पार्टी का बहुमत है और अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों की भावना के विरुद्ध लायेंगे तो एक पार्टी के डिप्सिलन में बाउन्ड होने के नाते और मेजोरिटी होने के नाते मानना पड़ेगा। आप ही देख लीजिये कि आपके सिवाय आपकी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य का ऐसा कोई भाषण हुआ हो जो आपके पक्ष में जाता हो कि अधिकार न दिये जायं अपील के, माननीय बृजसुन्दरजी ने भी इसको कन्डेम किया, इसका विरोध किया। सदन की भावना जो बनी है वह सामने है, लेकिन यदि आप मेजोरिटी के बल पर इसको करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी की कार में डिक्टेटरशिप हो सकती है, जनतन्त्र नहीं हो सकता।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने मेरे अमेंडमेंट को तहेदिल से स्वीकार किया है और कहा है कि टाइमली इसको लाया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गुप्त रूप से कह दिया क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मेजोरिटी पार्टी का जो व्यू पोइन्ट है और जो मैं बात सदन में कह रहा हूं इन्हेरेन्ट पॉवर्स के रखने की लेजिस्लेचर को मान्य है या नहीं थी, मैं छिपा कर तो नहीं कर रहा हूं, आप एक इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं, दूसरा दूसरा कर रहा है, आप कर रहे हैं वह सही है और मैं कर रहा हूं वह गलत है, यह मानना उचित प्रतीत नहीं होता। रेफरेन्स कर रहे हैं उसमें यह पोइन्ट डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड है,

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन लेजिस्लेचर की यह मंशा है, दूसरी स्टेट में expressly इसको डाला गया है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब तरह के पॉवर्स हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I am putting it to vote.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : पॉवर्स दी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! There can be no end to this.

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में जो संशोधन माननीय श्री मदेरणा ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Noes have it, Sir,.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Noes have it, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'हां' पक्ष में बोलने वाले हैं ही नहीं।

(मत-विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः प्रश्न रखता हूं।

क्या सदन की राय है कि खण्ड ६ में जो उप-मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it, Sir; 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : 'ना' पक्ष वाले 'नोज' की लोबी में जायं व 'हां' पक्ष वाले 'हां' की लोबी में जायं।

(मत-विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष ६८

'ना' पक्ष २५

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(४. ३२ म. प.)

[मत-विभाजन के पश्चात् 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

'हां' पक्ष

श्री अलदाराम मीणा
श्री आनन्दसिंह कछवाहा
श्री बालकृष्ण कौल
श्री बरकतुल्ला खां
श्री मगराज चौधरी
श्री भरतलाल
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल बैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री दलपतसिंह
श्री दौलतराम सारण
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्री गंगाराम चौधरी
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोपीलाल गोठवाल
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हरिदेव जोशी
डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम धारू
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री हरफूल
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल वरवड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
श्री काना भाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री किशनसिंह वाटड़
श्री ललितमोहन
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्री मोहनराज
श्री मोहरसिंह राठौड़
श्री मोतीलाल चौधरी
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थीलाल
श्री नाथूराम (बागीडौरा)
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री प्रभुलाल "सेन्टर"
राव श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी)
श्री रघुनाथ बिश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री रावतराम
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
श्री सांवलियाराम
श्री शीशराम ओला
श्री शिवनारायण छाब्रिया
श्री कुम्भाराम आर्य

(श्री उपाध्यक्ष)

कुमारी उमा माथुर
श्री बिरधाराम फुलवारिया
'ना' पक्ष
श्री अमरसिंह (दूदू)
श्री भैरोंसिंह
श्री दयाचन्द सोन
श्री डूंगाराम राजोरिया
श्री फतहसिंह
श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल)
वैद्य श्री गोविन्दसहाय
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री जोधसिंह चौहान
श्री कृष्णकुमार गोयल
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़)
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री सम्पतिलाल बोहरा
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री मानधातासिंह
श्री सौभागसिंह
रावत श्री उम्मेदसिंह
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयपाल कटारा
श्री विजयसिंह झाला
श्री विट्ठल
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ में जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने प्रस्तुत किया वह पारित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८........

श्री मानिकचन्द सुराणा : ८ ई है, सारा खण्ड नहीं है।

यह तो स्पेसिफिकली मन्त्री महोदय ने कहा है जो अमेन्डमेंट पर्टीक्यूलर्स से रिलेट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड छः और आठ दोनों साथ ले लिये जावें।

[खण्ड ८ में संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत हुए]

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) :—

(1) After sub-clause (d), insert the following new sub-clause, namely :—

(श्री परसराम मदेरणा)

"f(e) after sub-section (5) the following new sub-section shall be added, namely :—

"(6) Notwithstanding that an appeal has been preferred to the appellate authority, the tax shall, subject to the provisions contained in the provisos to sub-section (3) of section (II) be paid in accordance with the order against which an appeal has been preferred; and the payment of tax shall not be stayed by the appellate authority."

श्री सम्पतिलाल चोहरा (मावली) :

(2) Part (a) : insert the following expression, after the expression sought to be inserted, in sub-section (1) :—

"order fixing the liability of registration under section 6, or orders for attachment and sale of property by Assessing Authority under Section 11 (4) or order of refusal to issue refund voucher under Section 23 of the Act or an order of refusal to accord permission to submit the return annually."

(3) omit the proposed amendment by the Minister-in-charge in the clause.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):

(4) (i) Part (a) : After the expression "or an order under sub-section (6) of section 22" sought to be inserted in sub-section (1) of section 13 insert the following expression:—

"or an order fixing the liability of registration under section 6 or an order for attachment and sale of property by Assessing Authority under section 11 (4) or an order of refusal to issue refund voucher under section 23."

(ii) Delete part (b) of clause 8 :

(iii) Part (c) : In new sub-section (3) sought to be substituted the following words be deleted:—

"or may direct the assessing authority or the officer against whose order appeal has been preferred to make further inquiry,,;

(iv) In part (d) add the following expression after the words "shall be inserted,, :—

and the expression "and if a fresh order under sub-clause (ii) of clause (a) is not made by the Assessing authority within one month, the whole of the disputed amount, or penalty if realised; shall be refunded" shall be inserted at the end".

(5) omit the proposed insertion by the Minister-in-charge of new sub-clause (e) in clause 8 of the Bill.]

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):

इसीलिये बाकी खंड में जो संशोधन हैं वे मूव नहीं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किये हैं और उन संशोधनों पर कोई डिबेट भी नहीं हुई है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : ६ और ८ को साथ डिस्कशन में लिया था। जहां विभाग के एक अधिकार की पॉवर्स ली हैं और दूसरे को दी हैं पर जो ऑर्डर अपॉलेबल करना चाहते हैं उस पर अमेन्डमेंट्स हैं और वे मूव नहीं किये गये, यह समझ कर कि ८ पर मेरा अमेन्डमेंट था।

इस स्थिति में इस सिलसिले में यहां पर बहस हुई जो इनहेरेन्ट पॉवर है या नहीं वह तो डिस्कशन हो गया। पर डिपार्टमेंट असेसिंग ऑथोरिटी के order के खिलाफ अपील होनी चाहिये। यह कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं इसलिये इनके अमेन्डमेंट हैं। माननीय सदस्यों को उन amendments पर बोलने की अब इजाजत दी जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : All amendments were considered moved. इस पर तीन मिनट में ही कह देता हूं। पर्टीकूलर मुद्दे लिखे हैं सीमित रक्खे थे इसलिये बाकी अमेन्डमेंट्स जो हैं उनको सीमित समय में मूव करके कह देंगे। उसमें कुछ ऐसा भी है कि उनको शायद सरकार स्वयं स्वीकार कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सामने काफी बिजनेस है। पांच मिनट से ज्यादा कोई भी सदस्य अधिक न ले। Yes please.

श्री सम्पत्तिलाल वोहरा (मावली) : मेरा अमेन्डमेंट...

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अपने अमेन्डमेंट्स मूव करता हूं। इन सारे अमेन्डमेंट्स को मूव करने का मुख्य मुद्दा यह है कि जिन जिन बातों में अपील का प्रावधान रक्खा गया है तीन बातों में और अपील का प्रावधान रक्खा जावे। इसका संशोधन पेश किया है।

पहला अपील का प्रावधान सेक्शन ६ में रक्खा जावे जिसमें यदि किसी डीलर को रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी फिक्स कर दी जावे तो इस रजिस्ट्रेशन की लाएबिलिटी को सेल्स टैक्स ऑफीसर का हुक्म जो है बचाने के लिये अगर कोई अपील करना चाहे तो इसका प्रोवीजन होना चाहिये। इसके लिये मैंने अमेन्डमेंट मूव किया है। क्योंकि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दिया जाता है तो यह भी हुक्म आता है कि आप इतनी सिक्योरिटी जमा करवाइये और रजिस्ट्रेशन के साथ इतनी सिक्योरिटी जमा कराना आवश्यक है और यह जमा कराना बड़ा रिट्रन्जेन्ट होता है कभी कभी बड़े बड़े डीलर के लिए भी तो छोटे छोटे डीलर का तो कहना ही क्या।

इसी के साथ यह भी संशोधन रक्खा है कि कोई प्रोपर्टी अटैच कर ली जावे और उसके सेल का हुक्म दे दिया जावे तो उसका तो प्रावधान है कि फाइनली देता है तो उसकी अपील तो है, पर उसके ऑर्डर के तहत प्रोपर्टी कुर्क हो जावे नीलाम का

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हुक्म हो जावे तो इसके लिये भी अपील हो, यह प्रावधान नहीं है, जो कि जरूरी है, होना चाहिये इसका भी प्रावधान ।

तीसरा मेरा संशोधन है कि जिस किसी केस में सेल्स टैक्स अधिकारी इस तरह से प्रोपर्टी कुर्क कर ले और सेल करने का आदेश दे दे तो उसके लिए अपील का प्रावधान रहना चाहिये ।

इसके साथ ही इसके भी प्रावधान रखने की बात मैंने कही है कि यदि कोई सेल्सटैक्स अधिकारी अपने ऊपर से कोर्ट के आदेश के बावजूद रिफन्ड न दे और रिफ्यूज करे तो इसमें भी अपील का प्रावधान रहना चाहिये ।

ये तीन संशोधन मैंने क्लॉज़ ८ में पेश किये हैं और इसके साथ ही दूसरे संशोधन सरकार ने रक्खे हैं उसमें सरकार ने यह रक्खा है कि किसी भी असेसी को बिना सुने उसके खिलाफ कोई हुक्म दिया जा सकता है तो इसमें नेचरल जस्टिस के सिद्धान्त की हत्या कर दी है । किसी को सुने बिना किसी के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया जा सकता । पर आप सेल्स टैक्स कानून में ऐसा प्रावधान ले आये हैं तो इसके लिये मैंने संशोधन दिया है कि जो क्लॉज़ ८ में डी पार्ट है उसको डिलीट कर दिया जावे ।

इसके साथ ही कुछ टैक्निकल संशोधन इस सरकार ने पेश किये हैं । एक टैक्निकल संशोधन यह है कि असेसिंग ऑथोरिटी के खिलाफ अपील होगी डिप्टी कमिश्नर के यहां पर तो उसके यहां असेसिंग ऑथोरिटी के भी प्रतिनिधि को सुना जावेगा । यह बड़ा हास्यास्पद है । आखिर डिप्टी कमिश्नर आपके ही विभाग का सबसे बड़ा प्रतिनिधि स्वयं ही तो है । वह किसको रिप्रेज़ेन्ट करता है ? जैसा इन्कम टैक्स में है । उसमें अपीलेट इन्कम टैक्स कमिश्नर के यहां इन्कम टैक्स ऑफीसर के प्रतिनिधि को जाने की जरूरत नहीं होती न उसके वकील को वहां पैरवी करने की जरूरत है । तो यहां मूल नियम है कि असेसिंग ऑथोरिटी जो सरकार का प्रतिनिधि होता है और वह भी सरकार का प्रतिनिधि है अपीलेट ऑथोरिटी तो वह दोनों को तोलकर ही निर्णय करता है । पर हमारी सरकार ने संशोधन पेश किया है तो यह टैक्निकल संशोधन नासमझी से पेश किया गया है ।

आपके कमिश्नर महोदय के साले जो कि आपकी तरफ से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पैरवी करते हैं श्री बालूराम जी यदि कोई वकील महोदय एतराज करते हैं कि यह डिपार्टमेन्ट को रिप्रेज़ेन्ट नहीं कर सकते तो उस परिस्थिति में आप अपने इस तरह के निकम्मे एडवोकेट की पैरवी और उनको सपोर्ट करने के लिए जब कि कानून में पूरा सपोर्ट है कि कोई भी ऑथोरिटी रिप्रेजेन्ट की जा सकती है तो भी आप यह निरर्थक अमेन्डमेन्ट रख रहे हैं कि डिपार्टमेन्ट के नोमिनी को भी सुना जा सके । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इसको डिलीट किया जाये । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, रिफण्ड में क्योंकि परेशानी राजस्थान के व्यापारियों को है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के हाईकोर्ट में एक फैसला हुआ हाईकोर्ट ने होल्ड कर दिया कि केस के अन्दर इतना रिफण्ड दे दिया जाये लेकिन उस पर्टीकुलर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

केस में जो कि आर० एल० डब्ल्यू० में रिपोर्टेड है जब कोई व्यापारी हाईकोर्ट से अपने पक्ष में हुक्म करा लिया तो सेल्स टैक्स अधिकारी उसको रिफण्ड नहीं करता है। जब वह रिफण्ड नहीं करता है तो उसकी अपील का प्रावधान होना चाहिए। यदि सेल्स टैक्स अधिकारी इतना इनडिस्क्रिमिनेट हो जाये तो डिप्टी कमिश्नर उसके पक्ष में फैसला दे इसलिए जो ३ संशोधन मैंने पेश किये हैं मैं उनको मूव करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो थोड़े से प्रावधान अपील के रखे गये हैं उनमें यह तीन प्रावधान अपील के हैं इनको भी इन्कोर्पोरेट करने का सुझाव देता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी क्लॉज में जो अपील करने का प्रावधान है उसमें निम्न और सेक्शन्स में भी अपील हो सके यह प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन रखे हैं :

"Part (a) : insert the following expression, after the expression sought to be inserted, in sub-section (1) :-- "Order fixing the liability of registration under section 6, or orders for attachment and sale of property by Assessing Authority under section 11 (4) or order of refusal to accord permission to submit the return annually."

उपाध्यक्ष महोदय, आज होता क्या है कि कोई आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करता है राज्य सरकार या असेसिंग ऑथोरिटी उसे रजिस्ट्रेशन इश्यू नहीं करती तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। यदि वह सेक्शन (ए) में पैनल्टी इम्पोज करके किसी को जबरदस्ती लाइसेन्स दें और पेनल्टी इम्पोज करे तब तो वह अपील के लिए जा सकता है लेकिन असेसिंग ऑथोरिटी ने पैनल्टी इम्पोज नहीं की और कहा कि तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फीस जमा करानी है तो इसकी अपील नहीं हो सकती। इसलिए मेरा संशोधन है कि :—

"Order fixing the liability of registration under section 6, or orders for......

यानी किसी व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन की लाएबिलिटी दी जाये तो उसकी भी अपील हो सके इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है :

"or orders for attachment and sale of property by the Assessing Authority under section 11(4);"

यदि कोई अटेचमेन्ट किया गया सेक्शन ११(४) में और उस अटेचमेन्ट के बाद सेल का प्रोवीजन है तो कम से कम वह ऑर्डर लीगल है या इल्लीगल है, अटेचमेन्ट सही है या नहीं वह कोर्ट में जाकर चेलेन्ज कर सके इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने मूव किया है कि प्रोपर्टी के सेल के बारे में और जो असेसिंग ऑथोरिटी के ११(४) में पॉवर्स हैं उनको भी अपीलेबल बनाया जाये।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

इसके बाद में यह है :

"Refund vouchers issued."

उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था है कि रिफण्ड वाउचर्स इश्यू किये जायेंगे और यह रिफण्ड वाउचर्स एप्लीकेशन देने पर किये जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने तो ऑर्डर्स इश्यू कर दिये और डिप्टी कमिश्नर ने फैसला दे दिया कि इसके रिफण्ड वाउचर्स इश्यू किये जायें लेकिन वह नहीं करता। वह कहता है कि एप्लीकेशन दो तो करूंगा। याने कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। यदि उस एप्लीकेशन के ऊपर वह ऑर्डर पास नहीं करे तो कोई अपील लाई नहीं करती। इसलिए वह ऑर्डर पास नहीं करे या रिफण्ड इश्यू नहीं करे उसकी भी अपील हो सके इसका ऐसा प्रावधान अपील का होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति एप्लाई करता है तो उसे एनुअल रिटर्न भरने की पर्मीशन दी जाये। यदि वह पर्मीशन नहीं देते हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाये और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एनुअल रिटर्न भरने का प्रावधान है वह ऐसे लोगों के लिए है कि जिनकी ३० हजार से कम आमदनी है। इसलिए वे अपील में जा सकें तो उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। इतना कहकर मैं ये अमेन्डमेन्ट्स मूव करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय!

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त): उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय चूंकि समाप्त होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि सदन की अनुमति होगी कि सदन की बैठक जब तक यह बिल समाप्त न हो जाये तब तक के लिए बढ़ाई जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नहीं साहब। इसमें बहुत सी चीजें हैं और बहुत समय लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : That is true, but the Hon'ble Members should co-operate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट के पास तो उनके सारे डिपार्टमेन्ट्स हैं। सारा दफ्तर उनके पास रहता है। कानूनी बात के लिए विधि विभाग है और फैक्ट्स उनको एड्मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट देता है.........

श्री उपाध्यक्ष : हमें समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि गवर्नमेन्ट नहीं सुने तो आपको तो उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि सैकण्ड सिटिंग कर लें और दो घन्टे के लिए ब्रेक कर लें और ७ बजे दुबारा आ जायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन से पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाये।

(मत-दान के पश्चात्)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : जब तक डिविज़न हो जाये तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

(विभाजन-घंटी)

(५.०० म. प.)

आॅर्डर प्लीज़ !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टाइम के एक्सटेंशन का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय जब तक यह बिल पास नहीं हो जाये तब तक बढ़ाया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it sir.

मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको कल कर लें, परसों कर लें। बजट तो है नहीं कि आज ही पास करना जरूरी है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : बजट का हिस्सा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट है तो आपके पास प्रोवीज़नल एसेसमेंट एक्ट है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो 'हां' पक्ष में हों वे 'हां' की लाबी में जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट का इस प्रकार से नॉन-कोआॅपरेटिव मूड रहा तो हम भी अपना कोआॅपरेशन नहीं देंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कल कमेटी का चुनाव भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कई धाराएं हैं। यह ९–१० बजे तक पास नहीं हो सकता और उसका यह हाल होगा जो पंचायत कानून का हुआ था। इसके लिए दो घन्टे एक्स्ट्रा कल बैठ जाय, परसों बैठ जायं, सेटर्डे को बैठ जायं, सन्डे को बैठ जायं। अभी तो क्लॉज़ ८ चल रही है। इसमें २३ क्लॉजेज हैं। १५ क्लॉजेज और करनी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : 'Ayes' to 'Ayes gallory 'Noes' to 'Nols gallary

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो थर्ड रीडिंग बाकी है।

श्री मानसिंह महार : इतना समय आज नहीं है। इसमें काफी समय लगेगा।

(श्री मानसिंह माहर)

कल या परसों एक्स्ट्रा मीटिंग रख दी जाय। कल एस्टीमेट कमेटी का चुनाव है। लोगों को व्हिप इश्यू करना है। जो मेम्बर नहीं आये हैं उनको गाड़ी भेजकर बुलाना है। इसलिए आज कृपा कर ५ बजे हाउस को एड्जर्न कर दें। आज इसको पास नहीं करके कल या परसों एक एक घण्टा दो दिन बैठकर एक्स्ट्रा सिटिंग करके कर लें। आज करगे तो यह हालत नहीं है कि इसको सोच लेंगे। हम यह नहीं चाहते हैं, नहीं कहते हैं कि पास नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन का आर्डर हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिविजन कहां क्लेम किया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम तैयार हैं दो बजे तक बैठने के लिए

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपना प्रश्न रख चुका हूं। कायदे की बात तो यह है कि (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर! आर्डर प्लीज !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, फायदा क्या है ?....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): दो घंटे कल ज्यादा ठहरेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: फायदा तो यह है कि डिविज़न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स अपने हाथ में हैं। हम जब एकोमोडेट करके चल रहे हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ८ क्लॉजेज हुई हैं। पांच घंटे में २ क्लाजेज पास हुई हैं तो हम यह अनुमान लगाकर चलते हैं कि एक-ड़ेढ़ घंटे में यह पास होने वाला नहीं है क्योंकि हर क्लॉज़ पर १५-२० मिनिट तो लगेंगे ही क्योंकि जिनके एमेंडमेंट हैं उनको बोलना पड़ेगा उसका गवर्नमेंट का रिप्लाई होगा और फिर थर्ड रीडिंग होगी। हम कितना ही डिबेट को कर्टेल करें तो भी एक-दो घन्टे में नहीं हो सकता है और वही हालत होगी जो पंचायत बिल की हुई थी कि १२ बजे तक बैठे थे। आपके पास जनरल प्रोवीज़नल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज़ कलेक्ट एक्ट है टैक्स कलेक्ट हो रहा है। रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट फेल नहीं हो रही है। हम जितना कोऑपरेट करते उतना उनको करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अन्नेसेसरिली डिबेट प्रोलान्ड नहीं करना चाहते हैं और जो रीज़नेबल डिबेट का राइट है उस आधार पर वाद-विवाद में हिस्सा लेना पड़ेगा और उसमें हिस्सा लेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, तो १० बजे तक की बात करते हैं तो किसी भी हालत में वह पूरा नहीं हो सकता है। यह ह्यूमेनली इम्पोसिब्ल होगा। हम सुबह से आकर बैठे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, अगर माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि इसके बारे में आगे टाइम एक्स्टेन्ड नहीं करें और दूसरे जो डेज हैं और टाइम फिक्स्ड है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसके अन्दर शिड्यूल में फर्क नहीं पड़े उस लिहाज से सभी इस बात को चाहते हैं तो यह हो सकता है कि या तो कल या परसों रख लें। दो घन्टे के लिए इसको ले लें। या तो कल ५ बजे बाद इसको ले लिया जाय जिससे यह कल पारित हो जाय और कोऑपरेटिव बिल के बारे में जो समय निर्धारित किया गया है उसमे कमी न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १६ तारीख को टीनेन्सी का बिल है जो कि सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है। इसलिए १६ तारीख को इसको पास कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): १५ और १६ को कोआॅपरेटिव बिल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५ बजे के बाद आधा घंटे का गैप दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य इतनी कृपा करें कि यह कल पारित हो जाय क्योंकि बहुत से व्यक्ति १६ तारीख की शाम को जाना चाहते हैं, उनको दिक्कत न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल कर लिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आधा घंटे का गैप तो दें, ताकि कुछ रेस्पाइट तो मिले ५ बजे बाद। उसके बाद कल कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : कल यह बिल ५॥ बजे से लिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न तो रखें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की यह मन्शा है कि कल साढ़े पांच बजे इस बिल को लिया जाय।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक सप्लीमेंट्री एजेन्डा अभी सर्क्यूलेट किया गया है और मैं इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिसमें कि ५ मिनट लगेंगे उस वक्त तक टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जैसा चाहें कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय ५ मिनट का बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो खत्म हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : पहले एक्स्टेन्ड हो गया था आफ्टर डिविजन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई बात नहीं।

(५.४ म. प.)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पुरःस्थापित)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पुरःस्थापित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसको पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ (संशोधन) विधेयक, १९६५

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पारित भी करवा लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय श्री विधि मंत्रीजी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उस विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचार विमर्श एवं पारित)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसे विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पारित कल करा लें तो क्या बात है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदन्नतर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजकर ८ मिनट पर कल दिनांक १५ अप्रेल, १९६५ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८९९ का उत्तर देखिये)

(१) श्री केला पिता रामा धाकड़, नेगडिया निवासी व उसके साथी श्री चूना को जंगलात चौकी बसी पर रात को रोकना व मारपीट करना—

जांच से मारपीट करना तो साबित नहीं हुआ किन्तु श्री चूना को चौकी पर रात को रोकना पाया गया जिस पर श्री चैनसिंह, हैड गार्ड को तुरन्त बदल दिया गया और सेन्सर (निन्दा) का दण्ड दिया गया।

(२) श्री ऊंकारलाल फोरेस्ट गार्ड द्वारा श्री बालू के साथ मारपीट करना व हाथ में अंगारे रखना।

जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई।

(३) अवैध रूप से मोली लाने पर २१ रु० या ५१ रु० एवजाना लेना।

जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई।

(४) जंगल से सूखी मरी, पड़ी लकड़ी लाने पर पकड़ना।

जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई।

(५) बस्सी के जंगल में से परमिट द्वारा डाढे लाने पर भी मुआवजा वसूल करना।

जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई।

(६) जंगल से बांस की गांठें खोद कर निकालने पर श्री भेरू धाकड़ व नारायण धाकड़ को पकड़ना व रुपये लेना।

जांच से शिकायज सही नहीं पाई गई।

(७) श्री बालू पिता जगन्नाथ ब्राह्मण ग्रा० पालका से ७ रु० वसूल करना।

जांच से शिकायत ठीक नहीं पाई गई। बिना परमिट रक्षित वन में से लकड़ी काट कर लाने के अपराध में ७ रु० मुआवजा वसूल किया गया था जिसकी रसीद उसे दे दी गई थी।

(८) अवैधानिक तरीके से मवेशी का रोकना व पकड़ना।

जांच से शिकायत ठीक नहीं पाई गई।

(९) वन कर्मचारियों द्वारा जालेश्वर ब्लाक में अवैध कटाई कराना।

जांच से इस कटाई में वन कर्मचारियों का कोई हाथ नहीं पाया गया। किन्तु जिन जिन कर्मचारियों की इसमें गलफत पाई गई उन्हें एक केस में सेन्सर (निन्दा) का दण्ड तथा एक केस में एक एक ग्रेड इंक्रीमेंट रोकने का दण्ड दिया गया।

(१०) श्री स्वरूपसिंह राजपूत, सुवाबा निवासी, द्वारा डांडों का महसूल ६ रु० देने पर १ रु० ५० पैसे की रसीद दिया जाना।

प्रार्थी ने शिकायत में दो गवाह बताये थे। उनमें से एक गवाह तो उसके सामने रकम देने से इन्कार करता है किन्तु दूसरा गवाह तीन बार बुलाने पर भी गवाही के लिये उपस्थित नहीं हुआ। अब उसे १५-४-६५ को बुलाया गया है। उसके बयान हो जाने पर इस केस में निर्णय लिया जावेगा।

(११) बस्सी नाके पर परमिट नहीं देकर रेन्ज से परमिट देना।

जांच से मालूम हुआ कि तत्कालीन नाकेदार के विरुद्ध मनमाने ढंग पर चिट्ठियें देने की शिकायत आने पर रेन्ज आॅफिसर चित्तौडगढ़ ने स्वयं चिट्ठियां देना आरम्भ कर दिया था। इसके बाद दूसरा नाकेदार बस्ती नाके पर पहुंचा तब से फिर चिट्ठियां बस्सी नाके पर ही दी जाने लग गयी।

(१२) कटे हुए कूप बंजारी डोल नं० ६ से १४ में कर्मचारियों का नाजायज रकम लेकर चराई कराना।

कोई गवाह नहीं होने से शिकायत का पता नहीं लग सका।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ का उत्तर देखिये)

जिन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स को बिना अप्रूवल के प्रमोट कर डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया है उनकी सूची निम्न प्रकार है :—

(१) श्री कृष्ण माथुर

(२) श्री गोविन्दकान्त शर्मा

(३) श्री राधाकृष्ण

(४) श्री नाहरसिंह

(५) श्री मिश्रीलाल जैन

(६) श्री सम्पतराय जैन

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक, १४ अप्रेल, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६१६०	शीर्षक	तृनीय	तृतीय
,,	अन्तिम से ३	सं या	संख्या
,,	अन्तिम से २	श्री ेरसिंह	श्री मोहरसिंह
६१६१	२	पानका	पालका
,,	१४	'किसानों	किसानों
,,	अन्तिम से २	निणय	निर्णय
६१६२	शीर्षक	तारांवित	तारांकित
,,	४	उा-मन्त्री	उप-मन्त्री
,,	५	डांगी	डांगी
,,	अन्तिम से ७	काबयान	का बयान
६२६३	१२	की	का
,,	अन्तिम से ८	श्री दपाचन्द सोन	श्री दयाचन्द सोन
६१६४	४	आबका ी मन्त्री	आबकारी मन्त्री
६१६५	अन्तिम से ६	प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप कं	प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप के
६१६६	१	ोल:--	कौल :
६१६८	१३	को	की
,,	१७	श्री जोर्चसिंह चौहान	श्री जोधसिंह चौहान
६१६६	१२	मत्री	मन्त्री
६२००	७	श्री हरिश्चद्र	श्री हरिश्चन्द्र
६२०१	१	मत्रीजी	मन्त्रीजी
,,	५	बाघ	बांध
,,	१४	श्री दिनेशराय डांगी	श्री दिनेशराय डांगी
,,	अन्तिम से ८	धर्म पत्नि	धर्मपत्नि
६२०३	६	तहमील	तहसील
,,	८	गाव	गांव
,,	अन्तिम से ४	मग	भग
६२०४	१०	जरेंगे	करेंगे
६२०५	७	कोटा)	(कोटा)

१	२	३	४
६२०५	१६	उप-मन्त्री सहका ी	उप-मन्त्री, सहकारी
६२०६	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६२०७	३	सविप	सर्विस
,,	१७	श्री कृष्ण ुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
,,	अन्तिम से ४	श्री भैरोंतिह	श्री भैरोंसिह
६२०२	अन्तिम से २	पव्लिक	पब्लिक
६२११	१५	श्री भोंरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	२०	माथुर	माथुर
,,	अन्तिम	माथर	माथुर
६२१२	१६	सीसियर	सीनियर
६२१३	अन्तिम	बक्त	वक्त
६२१४	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६२१५	स्कम्भ	६२५५	६२१५
,,	६	अबालिस	आबोलिश
६२१६	स्कम्भ	६२१६	६२१६
६२१७	१६ व २५	श्री कुष्णवुमार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
६२१८	५	श्री मथुगदास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१५	डिपाटमेंट	डिपार्टमेंट
६२२१	अन्तिम से २	श्री जुभारंिह	श्री जुझारसिंह
६२२३	७	जानका ी	जानकारी
,,	१३	वेन म त्री	वन मन्त्री
६२२४	१३	श्री भा माई	श्री मीखाभाई
,,	अन्तिम से ४	श्री मीखमा	श्री मीखामाई
,,	अन्तिम से ३	हैं तो ।	है यह तो ।
६२२५	४	श्री भै ोंसिह	श्री भैरोंसिह
६२२७	२८	with	with
६२३०	१	श्री मथु ादास	श्री मथुरादास
,,	१	नसिह भगवान्	नरसिंह भगवान्
,,	५	नसिह	नरसिंह
,,	१६	सावजनिक	सार्वजनिक
,,	१६	ढूढ	ढूंढ

(३)

१	२	३	४
६२३३	अन्तिम से १	टट गया	टूट गया
६२३४	१६	मिल	मिल
६२३६	अन्तिम से २	श्री हग्श्चिन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
,,	,,	पंचायन	पंचायत
६२३८	३	श्री गिरधागीलालव्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
६२३९	१	श्री हग्श्चिन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
,,	४	टेका	ठेका
६२४१	२२	आबकाग्ी	आबकारी
,,	अन्तिम से २	आयरन आर	आयरन ओर
६२४२	१७	असेसमन्ट	असेसमेन्ट
,,	२०	श्री जुभा सिह	श्री जुभारसिंह
६२४३	१६	करन	करने
,,	२०	श्री सनीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	अन्तिम से २	श्री जुभासिंह	श्री जुभारसिंह
६२४४	२३	श्री जुभारसिंह	श्री जुभारसिंह
६२४८-४९	शीर्षक	१७ अप्रेल,	१४ अप्रेल
६२४९	१६	बसूल	वसूल
,,	अन्तिम से ४	वसूल	वसूल
६२५०	१६	श्री भैरोनिह	श्री भैरोंसिह
६२५१	२	बहुन	बहुत
,,	८	श्री नैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
६२५३	१२	कार्यवाही	कार्यवाही
,,	२८	रक्खगे	रक्खेंगे
,,	अन्तिम से ३	नही	नहीं
६२५४	शीर्षक	१४ अप्रेल	१४ अप्रेल
,,	१	श्री बालकरण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
६२५६	शीर्षक	१४ अप्रल	१४ अप्रेल
६२६०	शीर्ष	(श्री हरिमाई)	(श्री हीरामाई)
६२६१	१ – २	(मुख्य न्त्री)	(मुख्य मंत्री)
,,	६	यइसके	इसके

Page No 134

१	२	३	४
६२६२ व ६२६४	शीर्षक	मेले में हुई जीप से हुई	मेले में जीप से हुई
६२६४	,,	१४ अप्र ल	१४ अप्रेल
६२६६	१५	१६६५ ।	१६६५
६२६७	३	exprcssion	expression
,,	७	protit	profit
६२६६	७	श्री सम्पखिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
६२७०	२३	अपाल	अपील
६२७२	१७	आवश्यकगा	आवश्यकता
६२७५	२२	aiseout	arise out
६२८३	६	उपभात्ता	उपभोक्ता
,,	अन्तिम से ८	सेकेटेरियट	सेक्रेटेरियेट
६२८५	१३	इन्सटिट्य शन्स	इन्स्टीट्यूशन्स
,,	१६	तारिफ	तारीफ
६२८६	१३	मी	भी
,,	१८	मत्री	मंत्री
६२८७	२३	मंत्री ी	मंत्री जी
६२८८	अन्तिम से १०	इम	इस
६२६५	११	इन्सटीट्यूशन्न	इन्सटीट्यूशन्स
,,	१४	श्री ब्रजसुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
६२६७	१८	इसम	इसमें
६२६८	शीर्षक	१४ अप्रल, ६५	१४ अप्रेल, ६५-
६३००	,,	करारांपण	करारोपण
,,	अन्तिम से ३	Ary	Any
६३०१	१६	टेग्स	टैक्स
६३०२	शीर्षक	१४ अप्रल, ६५	१४ अप्रेल, ६५
,,	अन्तिम से ६	ऐोसाइटीज	सोसाइटीज
६३०३	११	सक्रेटेरियेट	सेक्रेटेरियेट
६३०५	१४	मानतीय	माननीय
६३०७	७	elause	clause
,,	१५-१६	Proscribed	Prescribed

१	२	३	४
६३१२	शीर्षक	१४ अप्रेल, ६५–(सशोधन)	१४ अप्रेल, ६५–(संशोधन)
,,	१०	मा ा	माल
,,	२२	ा	का
६३१६	शीर्षक	१४ अप्रेल, ६५	१४ अप्रेल,
६३२२	,,	अप्रल	अप्रेल
६३३१	अन्तिम से ६	iavests an appelletn	invests an appellate
६३३४	८	बिना	सर्टिफाइड कॉपी बिना
६३३५	१६	श्री सम ात्तिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
६३३६	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल .
६३३७	अन्तिम से ६	tnc	the
६३३६	१४	अन न्स्टिट्यू शनल	अनकॉन्स्टिट्यूशनल
६३४५	२२	एक्ससाइज़	एक्सर्साइज़
६३४८	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
,,	८	हुई–	हाई–
६३५३	शीर्षक	१९६५ ६३५३	१९६५ [६३५३
,,	अन्तिम	best,	best."
६३५४	शीर्षक	करारांपण	करारोपण
,,	अन्तिम से ५	कमिश्नर	कमिश्नर ने
६३५६	२२	शाइ ोक	शाइलोक
६३५७	२	प्रो ारली	प्रोपर्ली
७३६५	१०	गगानगर	गंगानगर
६३६६	२३	पिछल	पिछले
६३६८	१२	सशोधन	संशोधन
६३७३	२१	श्री भै ोसिह	श्री भैरोंसिह
६३७६	४	प्रातुत	प्रस्तुत
,,	अन्तिम से २	करा्ते	कराते
,,	अन्तिम	पाइ ेन्स	फाइनेन्स
७३७७	शीर्षक	१९६५ ६३७७	१९६५ [६३७७
,,	अन्तिम से ३	रेपुट शन	रेपुटेशन
६३८०	१	श्री सम्पत्तिला ा बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	५	me, are	me, we are

(६)

१	२	३	४
६३८१	५	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाव	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६३८३	२४, २५	उस व्यक्ति को, जो जुडीशियल निर्णय करता है, उस व्यक्ति को जो जुडीशियल निर्णय करता है,	उस व्यक्ति को, जो जुडीशियल निर्णय करता है,
६३८८	शीर्ष	(श्री माकिचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
६३६८	१०	श्री स ीशचन्द्र अग्रवाल}	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२०	श्री ज ालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
६३६६	२१	टास	टैक्स
६४०३	१७	म,।	मना
,,	अन्तिम	अटास्पेक	आस्पेक्ट
६४०५	१२	Significa	Significant
,,	१४	detalis	details
,,	,,	ineluded	included
,,	अन्तिम	ह	यह
६४०७	२२	रेवे यू	रेवेन्यू
६४०८	६	बगाल	बंगाल
,,	११	अक्लमदी	अक्लमन्दी
६४१५	१६	श्री मानिकचन्द सराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६४१८	शीर्षक	१४ अप्रल, ६५	१४ अप्रेल, ६५
६४२४	१४	श्री समात्तिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	२०	inserted,, :—	inserted:—
,,	२१	and	"and
६४२६	७	अपालेबल	अपीलेबल
६४३०	६	अ ील	अपील
,,	अन्तिम से ४	'eturn annually:"	return annually"
६४३१	२१	II (4):"	II (4),"
६४३२	२	issued:"	issued."
,,	अन्तिम	म होदय	महोदय
६४३५	अन्तिम से ५	gallory 'Noes' to 'Nols gallary	gallary, 'Noes' to 'Noes' gallary.
६४३६	१७	के लिये	के लिए।

१	२	३	४
६४३६	अन्तिम से ५	व्यंक्ष	अध्यक्ष
६४३७	,, ,, ७	सससे	सवेरे
,,	,, ,, ६	श्री उपांध्यच्च	श्री उपाध्यच्च
,,	,, ,, ७	अगवाल	अग्रवाल
६४४०	१६	श्री मथुरारास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	२३	मत्री	मंत्री
६४४१	४	पारलाभ	परिलाभ
,,	६	विंमर्श	विमर्श
,,	६	की मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	१३	माननोय	माननीय
,,	१४	उस	उसे
६४४३	शीर्षक	(संशोधन), विधेयक	(संशोधन) विधेयक, १६६५